रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/96 REGISTERED No. DL—33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 24 नई दिल्ली, शनिवार, जून 15, 1996 (ज्येष्ठ 25, 1918)
No. 24] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 15, 1996 (JYAISTHA 25, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालयों द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	433
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	463
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	7
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	825
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उप-विधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	697
भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	435
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।	3309
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	101
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	Page
PART I— SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	433
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	463
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	7
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	825
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .	697
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	435
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3309
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	101
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios, not received

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 1996

सं. 27-प्रेज/96—राष्ट्रपति, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री वी. के. पटेल,
उप-निरीक्षक,
के. औ. सु. बल यूनिट,
बी. एच. ई. एल.
भोपाल ।

श्री एस. मीनाकेथनन नायर, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
के. औ. सु. बल यूनिट,
बी. एच. ई. एल.,
भोपाल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

12 दिसम्बर, 1992 को साम्प्रदायिक हिन्सा की रोकथाम करने के लिए तैनात केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के गश्ती दल पर पिपलानी भोपाल के निकट हमला किया गया । श्री पटेल और एक अन्य कांस्टेबल, एक दल के सदस्य दंगाईयों को पकड़ने के लिए निर्भीकता के साथ आगे बढ़े । एक दंगाई ने अचानक उप-निरीक्षक पटेल पर घातक हथियार से हमला कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए । ऐसा होते देख कांस्टेबल टी. मुकेश ने अपनी राईफल से एक राउण्ड गोली चलाई ताकि हमलावरों को काबू किया जा सके । तुरन्त पुलिस दल के अन्य सदस्यों ने आक्रमणकर्ताओं को घेर लिया तथा उन्हें हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया ।

उसी बस्ती में कांस्टेबल एस. मीनाकेथनन नायर, जोकि अन्य बल का एक सदस्य था, ने भी दंगाईयों को पकड़ने की जिम्मेदारी संभाल ली । अचानक पास के क्षेत्र से कुछ दंगाई निकल आए और उन्होंने कांस्टेबल नायर को घेर लिया । डट कर मुकाबला करने के बावजूद दंगाईयों में से एक ने श्री नायर के चेहरे पर तेज हथियार से वार कर दिया । जब दंगाई शेष दल की ओर बढ़ने लगे तो उप-निरीक्षक अनिल कुमार ने गोलियां चलाई और उन्हें घातक हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया ।

कांस्टेबल नायर को अस्पताल ले जाया गया जहां उन्होंने अंतिम सांस ली ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री वी. के. पटेल, उप-निरीक्षक और (दिवंगत) श्री एस. मीनाकेथनन नायर, कांस्टेबल ने अदम्य साहस, वीरता और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12-12-1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 28-प्रेज-/96—राष्ट्रपति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री मंगल सिंह,
सैकेण्ड-इन-कमाण्ड,
2 बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस ।

श्री तारा सिंह,
नायक,
19 बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस ।

श्री कुलवन्त सिंह,
कांस्टेबल,
19 बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान कि

22-1-1995 को श्री मंगल सिंह, सैकेण्ड-इन बटालियन, भारत तिब्बत सीमा पुलिस को सूचना

अनंतनाग जिले के एक गांव में खूंखार उग्रवादी रहमान जंग्री डेका तथा उसका अंगरक्षक बशीर अहमद डेका मौजूद है। इन उग्रवादियों को पकड़ने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा एक आपरेशन की योजना बनाई गई।

23-1-1995 को तड़के अन्य कार्मिकों, जिनमें नायक तारा सिंह और कांस्टेबल कुलवन्त सिंह शामिल थे, को मिलाकर श्री मंगल सिंह के नेतृत्व में एक हमलावर दल ने उस खास घर को चारों तरफ से घेर लिया जिसमें उग्रवादी छिपे हुए थे। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के कार्मिकों की उपस्थिति भांप कर, उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से अंधाधुन्ध गोलीबारी शुरू कर दी। छापामार दल भी गोलीबारी का जवाब देता रहा ताकि उग्रवादियों का गोला-बारूद समाप्त हो जाए। यह जानने के बाद की उग्रवादियों की तरफ से गोलीबारी रूक चुकी है, श्री मंगल सिंह, ने नायक तारा सिंह और कांस्टेबल कुलवन्त सिंह के साथ दरवाजे को तोड़ कर खोल दिया। यह देख कर कि उग्रवादी अपने हथियार के मैगजीन, जिसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी, के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तुरन्त ही श्री मंगल सिंह ने उनके सिर और हाथों पर वार किए तथा तारा सिंह एवं कुलवन्त सिंह की सहायता से उन्हें दबोच लिया। उनके पास से एक ए. के. 56 राईफल, एक हथगोला तथा कुछ गोली-बारूद बरामद किया गया। पकड़े गये उग्रवादियों में से एक रहमान जंग्री डेका, इखवान उल-मुसलमीन का स्वयंभू एरिया कमांडर था और दोनों अनेक जघन्य अपराधों में अन्तग्रस्त थे।

इस मुठभेड़ में, श्री मंगल सिंह, सेकेन्ड-इन-कमांड; तारा सिंह, नायक, और कुलवन्त सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22-1-1995 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 29-प्रेज/96—राष्ट्रपति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री भगत राम, (मरणोपरान्त)
हवलदार/आर. ओ,
23 बटालियन,
भारत तिब्बत सीमा पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

22-5-1994 को श्री भगत राम अवकाश पर कुल्लू से अपने गांव जा रहे थे। वे कुल्लू-मण्डी-कोटली वाली बस में चढ़ गए। बस, यात्रियों से खचाखच भरी थी और फिर कोटली गांव के पास खड़ी चढ़ाई से यह बस लुढ़क गई। इस प्रक्रिया में अधिकांश यात्री घायल हो गए और उनमें से कुछ तो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। श्री भगत राम की भी दाईं बांह टूट गई थी। श्री भगतराम सहित अधिकांश यात्री उस दुर्घटनाग्रस्त बस के खिड़की और दरवाजे के शीशे तोड़कर बाहर निकल आने में सफल हो गए। घायल होने के बावजूद श्री भगतराम बस की ओर भागे, उसके भीतर घुसे और उसमें फंसे यात्रियों में से दो को बाहर निकाल लाए। फिर एक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर वे एक बार फिर, उसमें फंसे बच्चे की ओर बढ़े। कुछ ही सैकेण्ड में, वहां फैले तेल के कारण बस में आग लग गई और श्री भगतराम उस बच्चे के साथ आग की लपटों में घिर गए और उन्होंने वहीं पर दम तोड़ दिया। इस प्रकार एक बच्चे की जान बचाते समय श्री भगतराम ने अपनी जान नीछावर कर दी।

इस घटना में (दिवंगत) श्री भगतराम, हवलदार/आर. ओ ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 22-5-1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 30-प्रेज/96—राष्ट्रपति, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री सुरेश कुमार, मरणोपरान्त
कांस्टेबल,
सपोर्ट बटालियन,
(19वीं बटालियन से संबद्ध)
भारत तिब्बत सीमा पुलिस।

श्री करामत उल्लाह, सिपाही,
सपोर्ट बटालियन,
(19वीं बटालियन से संबद्ध)
भारत तिब्बत सीमा पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

18-12-1994 को लाड़नू गांव (जम्मू व कश्मीर) में तैनात भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टीम को सूचना मिली कि गांव हालान में एक खूंखार आतंकवादी छिपा हुआ है। एक निरीक्षक के नेतृत्व में 10 कांस्टेबल वाला एक दल तलाशी/छापा मारने के लिए चल दिया। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि आतंकवादी अब्दुल मजीद बानी नामक व्यक्ति के घर में छिपा हुआ है। घर को घेर लेने के बाद उन्होंने आतंकवादी को

आत्मसमर्पण कर देने के लिए ललकारा । इस पर श्री वाली और उसके परिवार के लोग बाहर आ गए और उन्होंने पुलिस दल को बताया कि आतंकवादी घर के तहखाने में छिपा है । तथापि, इसी बीच आतंकवादी ने अपनी पोजीशन बदल ली और अपनी स्वचालित हथियार से भारत तिब्बत सीमा पुलिस के दल पर गोली चलानी शुरू कर दीं । भारत तिब्बत सीमा पुलिस के दल ने जवाब में गोलियां चलाईं परन्तु वे आतंकवादी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके क्योंकि वह घर में बड़ी मजबूती से जमा हुआ था । इस पर, टीम कमांडर ने निर्णय लिया कि आतंकवादी को गिरफ्तार करने के लिए दल को घर के अन्दर घुसना होगा । सर्वश्री सुरेश कुमार और करामत उल्लाह घर के अन्दर घुसने के लिए स्वेच्छा से आगे आए । कांस्टेबल सुरेश कुमार ने ऊपरी तल के ढक्कन नुमा दरवाजे को खोला जबकि कांस्टेबल करामत उल्लाह ने कवरिंग फायर प्रदान करने के लिए मोर्चा ले लिया । दरवाजा खोले जाने पर घर के अन्दर लकड़ी के लट्ठों में छिपे आतंकवादी ने उन पर गोली चलानी शुरू कर दी । गोलियां श्री सुरेश कुमार के सिर पर लगीं और उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई । कांस्टेबल करामत उल्लाह ने फिर अकेले ही उग्रवादी से निपटने का प्रयास किया । इस बीच गोलियों की आवाज सुनकर गांव वाले बड़ी संख्या में बाहर निकल आए और उग्रवादी को अपनी ए.के.-56 राईफल सौंप देने को बाध्य कर दिया । तथापि, नीचे उतरते हुए आतंकवादी ने चालाकी से मृत हैड-कांस्टेबल की एस.एल.आर. उठा ली और गोली चलाना शुरू कर दिया । फिर उसने कांस्टेबल करामत उल्लाह को खोजा तथा उस पर गोली चलानी शुरू कर दी । श्री करामत उल्लाह ने होशियारी से तुरन्त आड़ ले ली और एस.एल.आर. राईफल की नाल तक पहुंचने के लिए हाथ बढ़ाया और इतनी ताकत से नाल खींची कि आतंकवादी राईफल सहित जमीन पर गिर पड़ा । उसकी राईफल कब्जाने के बाद कांस्टेबल करामत उल्लाह आतंकवादी पर झपट पड़े और उस पर काबू पा लिया ।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत) श्री सुरेश कुमार, कांस्टेबल ने और करामत उल्लाह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18-12-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 31-प्रेज/96—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री शिव प्रसाद चौबे,
लांस-नायक,
109वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस दल,
निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश)

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

10-9-1993 को लगभग 0130 बजे, लांस नायक शिव प्रसाद चौबे, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों और सिविल पुलिस की एक टुकड़ी के साथ जब गश्त पर थे तो उन्हें सूचना मिली कि दलम कमांडर स्वामी के नेतृत्व में पी.डब्ल्यू.जी. के 6 व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाकरानपल्ली के एक गांव में एक भोज में सम्मिलित हैं । पुलिस पार्टी तुरन्त घटनास्थल पर गयी और मकान को घेर लिया । मकान के अन्दर से नक्सलवादियों ने गोली चलानी शुरू कर दी । श्री एस.पी. चौबे हथगोले फेंकने के लिए आगे बढ़े लेकिन मकान के अन्दर से स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी के कारण उन्हें रुकना पड़ा । पुलिस पार्टी मकान के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गयी और उन्होंने खिड़की से होकर गोलियां बरसायी । इसी बीच सिविल पुलिस का एक कांस्टेबल साहसपूर्वक दरवाजा तोड़कर घर में घुस गया लेकिन उसे घटनास्थल पर ही मार दिया गया । जब कि चौबे ने शव को हटाने के लिए कवरिंग फायर किया तो उनके शरीर के ऊपरी हिस्से में दाहिनी तरफ गोलियां लगी लेकिन जख्मी होने के बावजूद उन्होंने प्रभावी गोलीबारी की जिससे नक्सलवादी हताहत हो गए । क्षेत्र की तलाशी लेने पर 5 शव बरामद किए गए जिनकी शिनाख्त प्रभाकर (दलम के उप-कमांडर) गोपी, कांति उर्फ केन्दुरू, ज्योति उर्फ पुष्पा और पद्मा उर्फ पुष्पा के रूप में की गयी, जिनके कब्जे से .303 की तीन राईफलें, एक एस.एल.आर., .12 बोर की दो बंदूकें, एक .410 मस्कट, दो एच.ई. 36 हथगोले बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में, श्री शिव प्रसाद चौबे, लांस नायक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10-9-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 32-प्रेज/96—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद
श्री कुलदीप सिंह,
कांस्टेबल,
49 बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

12-4-1993 को कांस्टेबल कुलदीप सिंह को क्रय-पार्टी की सुरक्षा ड्यूटी के लिए तैनात किया गया लगभग 1120 बजे कुछ अज्ञात उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायी जिसमें एक कांस्टेबल जख्मी हो गया । पुलिस पार्टी ने तत्काल मोर्चा संभाला । इसी बीच कांस्टेबल कुलदीप सिंह ने एक उग्रवादी को देखा जो पुलिस पार्टी पर हथगोला फेंकने ही वाला था और वे एक सेकिन्ड भी गवाए बिना, उग्रवादी पर झपट पड़े और अपने जीवन को भारी जोखिम में डालकर ए. आर. जी. ई. एस. हथगोला स. 69 उससे छीन लिया तथा दूसरे कांस्टेबल के साथ मिलकर उस उग्रवादी पर गोलियां चलायी और उसे मार गिराया । दूसरे उग्रवादियों की शिनाख्त, उग्रवादी को मार गिराया । मृतक उग्रवादियों की शिनाख्त, जे. के. एल. एफ. के नजीर अहमद और फयाज अहमद धार के रूप में की गयी ।

इस मुठभेड़ में, श्री कुलदीप सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटी की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12-4-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 1996

सं. 33-प्रेज/96—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद
श्री बलविंदर सिंह,
कांस्टेबल, (जी. डी.)
16 बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

12-10-1993 को कांस्टेबल, बलविंदर सिंह समेत केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल कार्मिकों की दो सेक्शनों को 0700 बजे से सेनापति जिले में यात्रियों की चौंकिंग के लिए तैनात किया गया था । अचानक दो आंतवादियों ने एक नायक को धर दबोचा और उससे एस. एल. आर. छीनने की कोशिश की । नायक को इसका प्रतिरोध करते देख, 6 और आतंकवादी आ गए और राईफल छीनने में सफल हो गए । कांस्टेबल, बलविंदर सिंह, जो नजदीक ही में ड्यूटी पर थे, ने सहायता के लिए इस नायक की आवाज सुनी और तुरन्त अपनी जी. एफ. राईफल से गोली चलाकर एक हमलावर को मार गिराया । इस पर, छत पर मोर्चा लिए आतंकवादियों द्वारा की गई स्पोर्टिंग फायर की आड़ में वे भाग उठे । मारे गए आतंकवादी की पहचान कुकी फ्रन्ट के संस्थापक एवं प्रमुख नेहलुम किपगेन के रूप में की गई जिसकी तलाश हत्याओं, लूटपाट और आगजनी के अनेक मामलों में थी । बाद में और कुमक आ गई, उन्होंने क्षेत्र को घेर लिया और मुठभेड़ में एक और आतंकवादी मारा गया और चार संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया जिनके पास से 8 एस. बी. बी. एल. गन ओरिजनल, 4 देशी एस. बी. बी. एल. बन्दूकें, एक .22 राईफल, ओरिजनल, 2 स्केलटन देशी बन्दूकें, .12 बोर के सक्रिय 58 राउण्ड और देशी हथियार निर्मित करने के औजार बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री बलविंदर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 12-10-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 34-प्रेज/96—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद
श्री अब्राहम जार्ज,
लांस नायक (ड्राइवर)
7 वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

3-5-1994 को बाबीजिया और धाहीगांव में उल्फा उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में सूचना पाकर, 7 वीं बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक पार्टी, सैकण्ड इन कमांड के अधीन तलाशी अभियान चलाने के लिए लगाई गई । लगभग 1800 बजे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के दल ने एक संदिग्ध उल्फा उग्रवादी को देखा जिसने पुलिस दल को देखकर अपने हथियार से गोलियों की बौछार कर दी । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों ने गोलियों का जवाब दिया परन्तु अंधेरे और उबड़-खाबड़ भूमि का फायदा उठाकर उग्रवादी ने एक घर से सटे मिट्टी की टीले के पीछे पोजीशन ले ली । घर से ठीक आगे ही केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एक वाहन खड़ा था जिसमें लांस-नायक/ड्राइवर अब्राहम जार्ज और एक कांस्टेबल बैठे हुए थे । गोलियों की आवाज सुनकर श्री जार्ज और उस कांस्टेबल ने अपने चारों तरफ देखा और पोजीशन लिए हुए उस उल्फा उग्रवादी

को देख लिया । श्री जार्ज ने यह भी जान लिया कि उग्रवादी का लक्ष्य केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का दल है । यह देखकर श्री जार्ज ने कांस्टेबल को निर्देश दिया कि वह बचकर निकल भागने के मार्ग को रोक दे । श्री जार्ज को अपनी ओर बढ़ता पाकर उग्रवादी ने उन पर गोली चला दी । श्री जार्ज और आगे बढ़े तथा आंतकवादी को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा । यह देखकर कि उग्रवादी उनकी चेतावनी पर ध्यान नहीं दे रहा है, श्री जार्ज ने मिट्टी के टीले के ऊपर से छलांग लगाई और बहुत निकट से उग्रवादी पर गोली चलाई जिससे वह वहीं मारा गया । मृत उग्रवादी की शनाख्त प्रमोद बोरा उर्फ लम्बू बोरा, जिला कमांडर-मगांव के रूप में की गई जोकि 4 पुलिसकर्मियों की हत्या करने और हथियार लूटने के लिए जिम्मेवार था । मारे गए आंतकवादी के पास से 9 मि. मि. की एक पिस्तौल तथा सक्रिय कारतूसों सहित एक मैगजीन बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में, श्री अब्राहम जार्ज, लांस नायक (ड्राइवर) ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता दिनांक 3-5-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 35-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री अजीत सिंह,
उप निरीक्षक,
53 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

श्री राज सिंह,
हैड कांस्टेबल,
53 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

श्री अली रजा खान,
कांस्टेबल,
53 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

श्री राज कुमार,
कांस्टेबल,
96 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26-6-1994 को उग्रवादियों के एक ग्रुप ने कोकरनाग से अनन्तनाग जाने वाली सड़क पर पैठा दयालगांम नामक गांव के पास घात लगाई ताकि वे उस मार्ग से होकर गुजरने वाले, सीमा सुरक्षा बल के उप महानिरीक्षक के दल पर हमला कर सकें । साथ ही, सीमा सुरक्षा बल की 96वीं बटालियन की एक कम्पनी, जिसे कि पैठा दयालगाम गांव के इलाके में सड़क खोलने के काम पर लगाया गया था, ने एक छोटी सड़क पर 5-6 उग्रवादियों के एक ग्रुप को देखा । यद्यपि सीमा सुरक्षा बल ने तुरन्त ही पोजीशन ले ली फिर भी उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया । सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने उग्रवादियों से टक्कर लेनी शुरू कर दी । तथापि उग्रवादियों ने पीछे हटकर एक बंध के पीछे पोजीशन ले ली तथा सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर भारी गोलीबारी की । सीमा सुरक्षा बल के कार्मिक जब उग्रवादियों की ओर बढ़ रहे थे तो कांस्टेबल राज कुमार की जांघ में गोली लगी परन्तु घायल होने और दर्द के बावजूद उसने आगे बढ़ना जारी रखा और अंतत: दो उग्रवादियों को घायल करने में सफल हो गया।

जब यह मुठभेड़, गांव के एक हिस्से में चल रही थी तभी दूसरे हिस्से में अनन्तनाग के सीमा सुरक्षा बल उपमहानिरीक्षक और उनके दल पर लगभग सभी दिशाओं से भारी गोलीबारी की गई । गोलीबारी को रोकने के लिए उप निरीक्षक अजित सिंह अपनी कमांडो प्लाटून लेकर घरों/इमारतों की जांच के लिए चल पड़े । उन पर, साथ लगे मकान से स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाई गई । उप निरीक्षक अजीत सिंह ने एक घर की शिनाख्त कर ली जहां पर उग्रवादी छिपे हुए थे । उन्होंने तुरन्त ही उस घर को घेर लिया । सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों की प्रभावी गोलीबारी के कारण उग्रवादी चुपचाप निकटवर्ती खेतों में खिसक गए । इस पर उप निरीक्षक अजीत सिंह अपने कार्मिकों को लेकर उग्रवादियों की ओर बढ़े । उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के दल पर स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाई और नजदीक से उन पर कई हथगोले फेंके । इसके परिणामस्वरूप दो कांस्टेबल घायल हो गए और उन्हें तुरन्त ही सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया ।

तत्पश्चात् कांस्टेबल अली रजा खान अपनी एल एमजी के साथ एक इमारत में घुस गए । उग्रवादियों ने श्री खान पर गोलियां चलाई जिससे वे बाल-बाल बच गए । गोलाबारी में एक अन्य कांस्टेबल, गोलियां लगने से घायल हो गया, परन्तु आगे बढ़ रहे सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों से उग्रवादियों का ध्यान हटाने के लिए श्री खान ने उसी पोजीशन से उग्रवादियों का मुकाबला करना जारी रखा । श्री खान द्वारा की गई प्रभावी एवं सटीक गोलीबारी से एक उग्रवादी घातक रूप से घायल हो गया । श्री खान की प्रभावी कवरिंग फायर की आड़ में उप निरीक्षक अजीत सिंह और हैड-कांस्टेबल राज सिंह युक्तिपूर्वक आगे बढ़े और अपने जीवन को भारी जोखिम में डालकर उग्रवादियों के अति निकट पहुंच गए । उप निरीक्षक अजीत सिंह और हैड कांस्टेबल राज सिंह ने दुस्साहसिक ढंग से कार्रवाई करते हुए उग्रवादियों पर धावा बोला और उनमें से दो को मार गिराया ।

इस मुठभेड़ में, कुल मिलाकर पांच उग्रवादी मारे गए, उनकी पहचान बाद में (1) बलूचिस्तान (पाक अधिकृत कश्मीर) के बोम्बर खान; (2) फारीक भाई; (3) सबूल्ला भाई; (4) कैप्टन सलाउद्दीन; और (5) मुदीमिर के रूप में की

गई। मारे गए पांच उग्रवादियों में से 4 विदेशी नागरिक थे। तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से एक ए. के.-47 राइफल, 3 ए. के.-56 राइफलें, एक राकेट लांचर, एक यू.एम.जी., एक पी. के-30 (पिक्का गन), ए. के. मैगजीन की 10 मैगजीनें, 2 हथगोले और भारी मात्रा में गोलीबारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री अजीत सिंह, उप निरीक्षक; राज सिंह, हैड कांस्टेबल; ए. आर. खान, कांस्टेबल; और राजकुमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26-6-1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 36-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद
श्री रूस्तम सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
88 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल।

संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

13-4-1994 को असम के सोनीतपुर जिला, थाना-रंगापाड़ा, गांव, मेहरगांव में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना मिली। सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों ने तुरन्त इस क्षेत्र की घेराबन्दी कर दी। गांव की तलाशी के लिए तीन दल बनाए गए। एक दल, जिसका नेतृत्व नायक, साजी जोसेफ कर रहे थे, ने लगभग 500 गज का क्षेत्र कवर किया ही था कि उन्होंने 11 सशस्त्र उग्रवादियों को देखा। सुरक्षा बलों को देखते ही उन्होंने सात और चार के दो ग्रुप बनाए और विभिन्न दिशाओं में भागने लगे। सात उग्रवादियों वाले ग्रुप का पीछा सहायक कमांडेंट के नेतृत्व वाले बल ने किया, लेकिन वे जंगल की तरफ भागने में सफल हो गए।

चार उग्रवादियों वाले ग्रुप का पीछा कांस्टेबल, रूस्तम सिंह के नेतृत्व वाले दल ने किया। साथ ही साथ नायक जोसेफ ने भी उग्रवादियों का पीछा किया और अपने ग्रुप की सहायता से उन्हें घेर लिया। नायक जोसेफ ने नजदीक की छप्पर वाली गौशाला के ऊपर मोर्चा संभाला और उग्रवादियों को आत्मसमर्पण की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों पर भारी गोलीबारी की। सीमा सुरक्षा बल की पार्टी पर उग्रवादियों के दबाव को कम करने हेतु नायक जोसेफ ने उनका ध्यान बांटने के लिए अपनी स्वचालित राईफल से गोलियां चलाईं। इसी बीच, कांस्टेबल, रूस्तम सिंह उग्रवादियों की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन उग्रवादियों ने उन पर गोली चला दी। गम्भीर खतरे के बावजूद वे उग्रवादियों की तरफ बढ़ते गए और उनके बहुत करीब पहुंच गए और उन्हें उलझाए रखा। परस्पर गोलीबारी में, कांस्टेबल रूस्तम सिंह ने एक उग्रवादी को मार गिराया लेकिन इस दौरान वे स्वयं भी गोली से बुरी तरह जख्मी हो गए और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। इस बीच नायक जोसेफ ने देखा कि कांस्टेबल सिंह गोली से घायल हो गए हैं और उग्रवादी उनकी ए.के.-47 राईफल हथियाना चाहते हैं। यह महसूस करके वे लगातार उग्रवादियों पर तब तक गोलाबारी करते रहे जब तक कि अतिरिक्त कुमक घटनास्थल पर नहीं पहुंच गई, इस प्रकार इन्होंने उनके प्रयास को विफल कर दिया। बाद की मुठभेड़ में शेष तीन उग्रवादियों को मार गिराया गया। बाद में, मृत उग्रवादियों की पहचान (1) प्राणजीत उर्फ स्वराज मेधी (2) इतुल कालिता उर्फ अभिज्योति कालिता (3) मंटूनाथ उर्फ नीतू बालस्या और (4) प्रांजल कोच के रूप में की गई। ये सभी प्रशिक्षित उल्फा कार्यकर्ता थे। तलाशी के दौरान मृत उग्रवादियों से तीन .303 राईफलें, एक अमेरिका में निर्मित कारबाईन, एक थैला गोला-बारूद और भारी मात्रा में सक्रिय एवं खाली कारतूस बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री रूस्तम सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13-4-1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 37-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद
श्री डी. बी. जोशी, सहायक कमांडेंट,
182वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।
श्री रामफल सिंह,
नायक,
182वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

17-6-1994 को सूचना प्राप्त हुई कि जम्मू और कश्मीर के कुछ गांवों में सशस्त्र विद्रोहियों का एक ग्रुप चक्कर लगा रहा है। सीमा सुरक्षा बल की 182वीं बटालियन के कमांडेंट ने तुरन्त घेराबन्दी करने और तलाशी अभियान की योजना

बनायी और उन्होंने स्वयं कम्पनियों का नेतृत्व किया, जिसमें सर्वश्री बी. बी. जोशी, रामफल सिंह और एन. के. शर्मा थे। प्रारम्भिक तलाशी के दौरान तीन विद्रोही पकड़े गए और उनसे 2 ए. के.-56 राइफलें, 2 मैगजीन और 25 राउन्ड बरामद किए गए। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की शिनाख्त, बाद में पाक प्रशिक्षित "अल-जेहाद" ग्रुप के पाक सदस्यों के रूप में की गयी।

इसी बीच, अन्य तलाशी दलों ने अपना अभियान जारी रखा। कुछ उग्रवादी, जो गोशाला में छिपे हुए थे, ने तलाशी दल पर गोलियां चलायी। उस समय, नायक रामफल सिंह गोशाला के नजदीक थे और उन्होंने गोशाला की पिछवाड़े की दीवार तोड़ी और उन पर गोलियां चलायी। वे एक विद्रोही को घायल करने में सफल हो गए लेकिन दूसरे विद्रोही ने एक हथगोला फेंका जिसके परिणामस्वरूप नायक रामफल सिंह गम्भीर रूप से घायल हो गए। जख्मी होने के बावजूद भी वे गोशाला के अन्दर घुसे और उस विद्रोही से भिड़ पड़े तथा उसकी राइफल छीन ली। तब उनमें जबरदस्त हाथापाई हुई जिसमें उन्होंने उसे मार गिराया।

इसी बीच, अन्य संदिग्ध व्यक्ति, जो अभी तक गोशाला में छिपे हुए थे, अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए बाहर दौड़ पड़े और भागने की कोशिश की। कांस्टेबल एन. के. शर्मा ने उन्हें उलझाए रखा और उन्हें भागने नहीं दिया। लेकिन विद्रोही एक घर में घुस गए और तलाशी पार्टियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में, कांस्टेबल शर्मा गम्भीर रूप से जख्मी हो गए।

उसके बाद, श्री बी. बी. जोशी, सहायक कमांडेंट, जो तलाशी अभियान का पर्यवेक्षण कर रहे थे, अपने एस्कार्ट के साथ उस मकान के अन्दर गए, जहां कांस्टेबल शर्मा ने मोर्चा सम्भाल रखा था। कमांडेंट द्वारा की गयी गोलीबारी की आड़ में, श्री जोशी कांस्टेबल शर्मा को निकाल ले आने में कामयाब हो गए। लेकिन इस प्रक्रिया में श्री जोशी और अन्य कांस्टेबल, उग्रवादियों द्वारा फेंके गए हथगोलों के विस्फोट के कारण, गोले के टुकड़ों जख्मी हो गए जख्मी होने के बावजूद, श्री जोशी ने मोर्चा सम्भाला और उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे और अन्ततः उनमें से एक को मारने में कामयाब हुए। मृतक उग्रवादियों की शिनाख्त बाद में मुश्ताक अहमद राठेर और मुश्ताक अहमद नाइकू के रूप में की गयी और मृतक उग्रवादियों से 6 मैगजीनों सहित 4 ए. के. 56 राइफलें, और ए. के. 56 श्रेणी के 40 राउन्ड बरामद किए गए। लगभग एक घंटे तक परस्पर गोलीबारी होने के कारण मकान को आग लग गयी और वह पूर्णतः भस्म हो गया। तलाशी के दौरान, एक उग्रवादी की पूरी तरह जली हुई लाश मिली। इस प्रकार से इस मुठभेड़ में 3 उग्रवादी मारे गए और 3 पकड़े गए तथा एक जख्मी हुआ।

इस मुठभेड़ में, श्री बी. बी. जोशी, सहायक कमांडेंट और रामफल सिंह, नायक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17-6-1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 1996

सं. 38-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल की निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री आजाद मोहिउद्दीन,
सहायक कमांडेंट,
173वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री एस. एस. रावत,
सूबेदार,
173वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

18-4-1994 को सूचना मिली कि कुछ खतरनाक उग्रवादी ददपुरा क्षेत्र में छिपे हुए हैं। दो प्लाटूनों और एम. एम. जी. टुकड़ी के साथ सूबेदार एस. एस. रावत तलाशी के लिए चौकी से चल पड़े। उस क्षेत्र में पहुंचने पर उन्होंने गांव के आसपास की उत्तर पूर्व, पूर्व और पश्चिमी दिशाओं को कवर करते हुए तीन ग्रुप और दक्षिण की ओर कट-आफ पार्टी के रूप में एक सेक्शन कार्मिक तैनात कर दिए। लगभग 0600 बजे श्री रावत ने चार व्यक्तियों को संदिग्ध अवस्था में घूमते देखा। इन्होंने उन्हें रुकने के लिए ललकारा परन्तु उन्होंने स्वचालित हथियारों से सीमा सुरक्षा बल के दलों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। श्री रावत और उनके दल के कार्मिकों ने तुरन्त ही पोजीशन ले ली और उग्रवादियों का मुकाबला करने लगे। दोनों ओर से भारी गोलीबारी होती रही। इसी बीच श्री रावत ने अपने बटालियन मुख्यालय को मुठभेड़ के बारे में बता दिया और कुमक भेजने का अनुरोध किया। संदेश मिलने पर 173वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट, श्री आजाद मोहिउद्दीन, सहायक कमांडेंट और कमांडो प्लाटून की एक कम्पनी के साथ मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गए। अतिरिक्त बलों को देखकर दो उग्रवादी अपने साथियों की कवरिंग फायर की आड़ में एक निकटवर्ती नाले की ओर भागने लगे। कमांडेंट ने श्री रावत को भागते हुए उग्रवादियों का पीछा करने का निदेश दिया। श्री रावत और उनके दल ने उग्रवादियों का पीछा किया। इसी बीच उग्रवादियों ने पोजीशन ले ली और उनमें से एक उग्रवादी ने श्री रावत की ओर एक बर्स्ट फायर किया। उन्होंने पोजीशन लेकर उग्रवादियों के

छिपने के स्थान की ओर बढ़ना शुरू कर दिया । श्री रावत उग्रवादी पर झपट पड़े, उसके साथ थोड़ी हाथापाई हुई और अंततः उसे गोली मारकर ढेर कर दिया । इसी बीच के अन्य कार्मिकों ने दूसरे उग्रवादी को मार गिराया ।

दूसरी ओर, अपने दल के कार्मिकों के साथ श्री आजाद मोहिउद्दीन रणनीतिक रूप से उग्रवादियों की ओर बढ़े । जैसे ही वे उग्रवादियों के निकट पहुंचे, उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के दल पर स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाई । बचकर भागने के प्रयास में उग्रवादियों ने हथगोले भी फेंके । स्थिति का जायजा लेने और उग्रवादियों को लाभप्रद स्थिति में देखकर श्री मोहिउद्दीन ने अपने एल. एम. जी. ग्रुप को निकट ही एक टूटी दीवाल के पास जाने और उग्रवादियों का ध्यान बंटाने के लिए उधर से हमला करने का आदेश दिया । कवरिंग फायर की आड़ में मोहिउद्दीन किसी तरह उस उग्रवादी के पीछे पहुंच गए जो यू. एम. जी. से गोलियां चला रहा था, वे उस पर झपट पड़े और गोली मारकर उसे ढेर कर दिया ।

तत्पश्चात श्री मोहिउद्दीन, दूसरे उग्रवादी की ओर दौड़े । उन्हें देखकर वह उग्रवादी एक निकटवर्ती नाले की ओर भागा । बाद में उसे कमांडेंट के नेतृत्व वाले दल द्वारा मार गिराया गया । बाद में, मारे गए उग्रवादियों की शिनाख्त (1) नाजिर अहमद भट, कोड-असगर (2) रफीक अहमद, कोड-अकरम, (3) गुलाम हसन मीर, कोड-इम्तियाज, और (4) तनवीर अहमद रिशी, कोड-माजिद के रूप में की गई । वे बड़ी संख्या में जघन्य अपराधों में शामिल थे । तलाशी के दौरान एक यू. एम. जी., 3 ए. के-56 राईफलें, ए के-56 की 7 मैगजीनें, यू. एम. जी. का एक मैगजीन ड्रम तथा ए के-56 के 150 कारतूस, मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री आजाद मोहिउद्दीन, सहा. कमांडेंट तथा एस. एस. रावत, सूबेदार ने अदम्य वीरता, साहस और उत्कृष्ट की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 18-4-94 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 39-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री गणेश भगत,
हैड कांस्टेबल,
104 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

27-9-1994 को यह सूचना मिली कि थाना-सदर जिला-बड़गाम स्थित छानपुरा की गवर्नमेंट हाउसिंग कालोनी में उग्रवादी मौजूद हैं । सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न बटालियनों से सैनिक लेकर एक संयुक्त घेराबंदी एवं तलाशी आपरेशन चलाने की योजना बनाई गई । जब तलाशी अभियान चल रहा था तभी उग्रवादियों ने तलाशी दलों पर स्वचालित हथियारों से गोलियां चलानी शुरू कर दी । 59 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल का एक कांस्टेबल गोलियों से घायल होकर गिर पड़ा । उसे तुरन्त ही वहां से उठाकर अस्पताल ले जाया गया । चूंकि उग्रवादी एक बहुत बड़ी इमारत में मोर्चा लिए हुए थे इसलिए सेना की मदद मांगी गई और गढ़वाल रेजीमेन्ट की 5 वीं बटालियन द्वारा इमारत पर राकेट दागे गए । चूंकि अंधेरा हो चुका था इसलिए आपरेशन रोक देना पड़ा किन्तु घेराबंदी पूरी रात जारी रही ।

28-9-1994 को बेहतर फायर पावर के साथ सेना द्वारा उग्रवादियों को जबरदस्ती बाहर निकालने के प्रयास किए गए परन्तु कोई फायदा नहीं हुआ । अन्य कोई विकल्प न पाकर यह निर्णय लिया गया कि चुनिंदा कार्मिकों को लेकर इमारत पर धावा बोल दिया जाए । धावा पार्टी किसी तरह इमारत में घुस गई और उसने भूतल पर कब्जा कर लिया । लगभग 11.30 बजे जब हैड कांस्टेबल गणेश भगत के नेतृत्व वाली धावा पार्टी, प्रथम तल की ओर बढ़ रही थी तो उग्रवादियों ने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी जिसके फलस्वरूप श्री भगत गंभीर रूप से घायल हो गए । घायल होने के बावजूद श्री गणेश ने कमरे में पोजीशन ले ली और रूक-रूककर गोली चलाते हुए उग्रवादियों को उलझाए रखा और उन्हें अपनी पोजीशन बदलने के लिए मजबूर कर दिया । उन्होंने दूसरे दल को भी कवरिंग फायर दिया जिससे वे प्रथम तल पर पहुंचने में सफल हो गए । इस प्रक्रिया में एक अन्य कांस्टेबल को गोलियां लगी । एक नायक और एक कांस्टेबल ने जोकि प्रथम तल पर पहुंच गए थे, उग्रवादियों पर हथगोले फेंके परन्तु उग्रवादियों की भारी गोलाबारी के कारण वे अपने स्थान से हिल न सके । इसी बीच श्री भगत के साथ दूसरे घायल कांस्टेबल को भी वहां से सुरक्षित निकालकर 92 बेस अस्पताल पहुंचाया गया जहां श्री भगत ने घायलावस्था में दम तोड़ दिया ।

उग्रवादियों के खिलाफ अभियान अगले दो दिनों तक चलता रहा जिसके दौरान दोनों ओर से भारी गोलाबारी हुई । तीसरे दिन अर्थात् 30-9-1994 को लगभग 0900 बजे उग्रवादी मारे गए । इमारत की तलाशी लेने पर उग्रवादियों के दो शव बरामद हुए जिनकी पहचान बाद में अब्दुल गनी उर्फ कैप्टन गफार (हिज्बुल मुजाहिदीन का जिला कमांडर) और जावेद अहमद डार उर्फ कर्नल हैदर के रूप में की गई । तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से एक मैगजीन सहित एक ए. के. 56 राईफल, एक मैगजीन सहित एक ए. के.-47 राईफल, रूस निर्मित एक हथगोला और ए. के.-56 सीरीज के 29 कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री गणेश भगत, हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28-9-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 40-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद
श्री एम. एस. संधू,
सेकेण्ड-इन-कमांड,
65वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

सौपोर शहर के खुशाल मट्टू और सेनग्रामपुरा के क्षेत्रों में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, 15-9-1994 को एक विशेष छानबीन और तलाशी अभियान चलाने की योजना बनायी गयी । उग्रवादियों के छिपने के स्थान का पता लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल की 65 वीं बटालियन के कार्यकारी कमांडेंट श्री एस. एस. सन्धू के नेतृत्व में चुने गए कमांडों द्वारा, संदिग्ध घरों की तलाशी शुरू की गयी । जब श्री सन्धू ने कांस्टेबल शैली जैकब के साथ, एक संदिग्ध छिपने के स्थान का दरवाजा थोड़ा सा खोला तो अन्दर छिपे उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से गोलियां चलानी शुरू कर दी । श्री सन्धू और कांस्टेबल जैकब ने प्रत्युत्पन्नमति और सावधानीपूर्वक दीवार के पीछे तत्काल मोर्चा संभाला । तथापि, हथगोलों के फटने के कारण, उसके टुकड़ों से श्री सन्धू जख्मी हो गए, जिससे उनके बायें हाथ के अगले हिस्से से खून बहने लगा फिर भी श्री सन्धू सुरक्षित मोर्चे की तरफ बढ़े और उग्रवादियों को आत्म-समर्पण करने के लिए ललकारा । इस पर छिपा हुआ एक उग्रवादी बाहर आया और उसने आत्म-समर्पण करने का नाटक किया, लेकिन उसने श्री सन्धू और उनकी पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । श्री सन्धू और कांस्टेबल जैकब ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और साथ ही साथ उग्रवादी पर गोलियां चलायी और उसे मार गिराया । उसकी शिनाख्त बाद में एच.एम. गिरोह के प्लाटून कमांडर फारूक अहमद मट्टू के रूप में की गयी ।

इसी बीच, अन्य उग्रवादी, छिपने के स्थान के अन्दर से गोलीबारी करते रहे । श्री सन्धू ने अपनी पार्टी को पुनः संगठित किया और बाहरी घेरे को सुदृढ़ करने के लिए कुमुक मंगवायी। श्री सन्धू ने उग्रवादियों को आत्म-समर्पण करने के लिए पुनः ललकारा । उसके बाद, उग्रवादियों और सीमा सुरक्षा बल टुकड़ियों के मध्य लगभग तीन घंटे तक जमकर गोलीबारी हुई। लगातार दबाव बनाए रखने और सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों के नियंत्रण के कारण शेष दो उग्रवादी अन्ततः आत्म-समर्पण करने के लिए राजी हो गए । बाद में, पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उनके साथी एक अन्य छिपने के स्थान पर हैं। एक छापा मारा गया और तथाकथित छिपने के स्थान से तीन उग्रवादी पकड़े गए । मुठभेड़/छापे के दौरान 7 ए.के. राइफलें, दो मैगजीनों सहित एक चीनी पिस्तौल, एक राकेट लांचर, 1 वायरलैस सेट, 20 मीटर कोरडेक्स और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री एस. एस. संधू, सेकेण्ड-इन-कमांड, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15-9-94 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 41-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री एन. सी. शर्मा, (मरणोपरान्त)
कमांडेंट,
194 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

श्री आफताब आलम, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
194 बटालियन सीमा, सुरक्षा बल ।

श्री एन. सी. नंदी,
कांस्टेबल,
26 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

13-8-1994 को श्री एन. सी. शर्मा, कमांडेंट, 194 बटालियन, सीमा सुरक्षा बल, उन टुकड़ियों जो स्वतंत्रता दिवस परेड में भाग लेने जा रही थी, का पर्यवेक्षण करने हेतु बख्शी स्टेडियम, श्रीनगर की तरफ रवाना हुए । बटमालू क्षेत्र जो परेड ग्राउन्ड स्टेडियम के निकट है, में तलाशी अभियान पहले से ही चल रहा था। 11.00 बजे के करीब उन्हें सूचना मिली कि बटमालू में मुठभेड़ हो रही है और उग्रवादियों द्वारा पहले ही सीमा सुरक्षा बल की 26 वीं बटालियन का एक कांस्टेबल मारा जा चुका है। वे तुरंत अपने एस्कोर्ट के साथ घटनास्थल

पर पहुंचे और एक घर में मोर्चा ले लिया और उग्रवादियों को शान्त कर दिया। 12 बजे के करीब एक उग्रवादी ने श्री शर्मा की तरफ गोलीबारी करते हुए हमारी टुकड़ियों से बच कर भाग निकलने की कोशिश की लेकिन उसे देख लिया गया और घटना-स्थल पर ही मार दिया गया। नजदीक के घर में छिपे हुए उग्रवादियों ने यू. एम. जी./ए. के. राईफलों से पुलिस दल पर भारी गोलीबारी की और हथगोले फेंके। उग्रवादियों पर प्रभावी गोलीबारी करते हुए श्री शर्मा के सीने के दाहिनी तरफ एक गोली लगी। लेकिन वे तब तक अपने कार्मिकों को निर्देश देते रहे जब तक कि वे बेहोश नहीं हो गए। उन्हें तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया जहां जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

इस बीच, उसी तलाशी अभियान के दौरान बटमालू की न्यू कालोनी में सीमा सुरक्षा बल की 26 वीं बटालियन की टुकड़ियों पर उग्रवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की गई, जिसमें एक कांस्टेबल मारा गया और एक अन्य घायल हो गया। अपनी टुकड़ियों के साथ कमांडेंट घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। पार्टी कार्मिकों के साथ कांस्टेबल, आफताब आलम ने उस घर पर धावा बोल दिया जहां उग्रवादी छिपे हुए थे। कांस्टेबल आफताब आलम, जो उस दल का नेतृत्व कर रहे थे, के सीने की बांयी तरफ उग्रवादियों की गोली लगी। गंभीर रूप से घायल होते हुए भी उन्होंने अपने दल के सदस्यों द्वारा सही मोर्चा लेने में मदद करने के लिए उग्रवादियों को उलझाए रखा। उसके बाद, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

कांस्टेबल, एन. सी. नन्दी, जो घेरा डालने वाले दल में थे, ने तीन घरों के एक समूह से गोली चलने की कुछ आवाज सुनी और अपने कंपनी कमांडर को सूचित किया। इन घरों की घेराबन्दी के बाद, तलाशी दल एक घर में घुस गया। तलाशी अभियान के दौरान उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से बल पर भारी गोलीबारी की। लेकिन कांस्टेबल, नंदी, जो सबसे आगे थे, ने उग्रवादियों को उलझाए रखा। इसी बीच, साथ के एक मकान से एक उग्रवादी ने कांस्टेबल नन्दी पर गोलियां चलानी शुरू कर दिया। अपनी प्रभावी गोलीबारी से उन्होंने इस उग्रवादी को उलझाए रखा, लेकिन इस दौरान उनके सिर में एक गोली लगी। उन्हें तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया जहां जख्मों के कारण उनकी मृत्यु हो गई।

उसके बाद, राकेट लांचरों से उच्च विस्फोटक गोले छोड़े गए और डिमोलिशन चार्जेज का प्रयोग किया गया जिससे अंततः घर की छत ढह गई और इस प्रकार उग्रवादियों को खामोश कर दिया गया। इस घर की तलाशी के दौरान, हथियारों एवं गोला-बारूद के साथ-साथ तीन उग्रवादियों की लाशें मिली।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री एस. सी. शर्मा, कमांडेंट, (दिवंगत) श्री आफताब आलम और (दिवंगत) श्री एन. सी. नन्दी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13-8-1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 42-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्न-लिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और पद
श्री रमेश चन्द,
कांस्टेबल,
81वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

19-9-1994 को सूचना प्राप्त हुई कि विद्रोहियों का एक गिरोह, जम्मू व कश्मीर के बाटमालू में सचिवालय पर एक राकेट दागने की योजना बना रहा है। सीमा सुरक्षा बल की 81वीं बटालियन के कमांडेंट ने रिज चौक से माग्रमल चौक की ओर 2 कम्पनियां तैनात की। कांस्टेबल रमेश चन्द टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। जब वह एक गली में पहुंचे तो विद्रोहियों ने उन पर गोली चलाई। कांस्टेबल रमेश चन्द भूमि पर ऐसे गिर गए जैसे कि यानी मर चुके हों ताकि वह विद्रोहियों को आने के लिए आकर्षित कर सकें और उन पर गोली चला सकें। आगे बढ़ते हुए जवानों को अच्छी तरह से देखने के लिए विद्रोही एक घर की ओर बढ़ गए। सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने तुरन्त इमारतों के पीछे मोर्चा ले लिया। कांस्टेबल रमेश चन्द तेजी से बढ़ा और सड़क के किनारे बनी एक इमारत की सीढ़ियों के पीछे मोर्चा संभाल लिया। उग्रवादी उसकी ओर आगे बढ़े तो उसने उनमें से एक को मार डाला। एक अन्य विद्रोही ने तुरन्त रमेश चन्द पर गोलियां चलाई परन्तु क्योंकि वह एक सुरक्षित स्थान पर मोर्चा लिए हुए थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। विद्रोहियों ने कई हथगोले भी फेंके परन्तु जोखिम की परवाह किए बगैर उन्होंने विद्रोहियों को उलझाए रखा। तब तक सीमा सुरक्षा बल की एक बख्तरबन्द गाड़ी आगे बढ़ चुकी थी और उसने एल. एम. जी. से गोलियां चलानी शुरू कर दी जिस कारण उग्रवादियों को अपने सुरक्षित स्थान से पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। मृत उग्रवादी की बाद में एच. एम. गिरोह के बटालियन कमांडर, "बादशाह खान" के रूप में पहचान की गई।

इस मुठभेड़ में, श्री रमेश चन्द, कांस्टेबल ने अदम्य साहस, वीरता और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19-9-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 43-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और पद

श्री साजी जोसफ,
नायक,
88वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

13-4-1994 को सूचना प्राप्त हुई कि थाना रंगापाड़ा जिला-सोनितपुर, असम के मेहरगांव में कुछ उग्रवादी मौजूद हैं । सीमा सुरक्षा बल सैनिकों ने तुरन्त ही क्षेत्र की घेराबंदी कर ली । गांव की तलाशी के लिए तीन दल बनाए गए । नायक साजी जोसफ के नेतृत्व वाले दल ने लगभग 500 गज का क्षेत्र कवर किया हुआ था तभी उन्होंने ग्यारह सशस्त्र उग्रवादियों को देखा । सुरक्षा बलों को देखकर वे सात और चार के दो ग्रुपों में बंट गए और विभिन्न दिशाओं में भागने लगे । सात उग्रवादियों वाले ग्रुप का पीछा सहायक कमांडेंट के नेतृत्व वाले दल ने किया परन्तु उग्रवादी जंगल की ओर बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गए ।

चार उग्रवादियों वाले ग्रुप का पीछा अन्य दल ने किया जिसमें कांस्टेबल रूस्तम सिंह सबसे आगे था और उन्होंने जबरदस्त पीछा किया । साथ ही साथ नायक जोसफ ने भी उग्रवादियों का पीछा किया और अपने ग्रुप की सहायता से उन्हें घेर लिया । नायक जोसफ ने निकट स्थित एक गौशाला के ऊपर पोजीशन ले ली और उग्रवादियों को समर्पण के लिए ललकारा परन्तु उन्होंने सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों पर भारी गोली-बारी शुरू कर दी । सीमा सुरक्षा बल की पार्टी पर उग्रवादियों के दबाव को कम करने के लिए नायक जोसफ ने उनका ध्यान बंटाने के लिए अपनी स्वचालित राइफल से गोलियां चलाईं । इसी बीच कांस्टेबल रूस्तम सिंह उग्रवादियों की ओर बढ़ने लगे लेकिन उग्रवादियों ने उन पर गोलियां चला दी । गंभीर खतरे के बावजूद वे उग्रवादियों की ओर बढ़ते रहे और उनके बहुत करीब पहुंच गए तथा उन्हें उलझाए रखा । परस्पर गोलीबारी में कांस्टेबल रूस्तम सिंह ने एक उग्रवादी को मार गिराया लेकिन इस दौरान वे स्वयं भी गोली से बुरी तरह जख्मी हो गए और उन्होंने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया । इसी बीच नायक जोसफ ने देखा कि कांस्टेबल सिंह गोली से घायल हो गए हैं और उग्रवादी उनकी ए. के.-47 राईफल हथियाना चाहते हैं । यह महसूस करके वे लगातार उग्रवादियों पर तब तक गोलियाँ चलाते रहे जब तक कि कुमक घटनास्थल पर नहीं पहुंच गई, इस प्रकार इन्होंने उनके प्रयास को विफल कर दिया । बाद की मुठभेड़ में शेष तीनों उग्रवादियों को मार गिराया गया । बाद में, मृत उग्रवादियों की शिनाख्त (1) प्राणजीत उर्फ स्वराज मेधी, (2) इतूल कालिता उर्फ अभिज्योति कालिता, (3) मंटूनाथ उर्फ नीतू बाल्स्या और (4) प्रजॉल कोच के रूप में की गई । ये सभी प्रशिक्षित उल्फा कार्यकर्ता थे । तलाशी के दौरान मृत उग्रवादियों के पास से तीन .303 राईफलें, एक अमेरिका निर्मित कारबाईन, एक थैला गोलीबारूद और बड़ी संख्या में खाली/भरे कारतूस बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में, श्री साजी जोसफ, नायक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया ।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13-4-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 44-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री एन. के. शर्मा,
कांस्टेबल,
182 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

17-6-1994 को सूचना प्राप्त हुई कि जम्मू और कश्मीर के कुछ गांवों में सशस्त्र विद्रोहियों का एक ग्रुप चक्कर लगा रहा है । सीमा सुरक्षा बल की 182 वीं बटालियन के कमान्डेन्ट ने तुरन्त घेराबन्दी करने और तलाशी अभियान की योजना बनायी और उन्होंने स्वयं कम्पनियों का नेतृत्व किया, जिसमें सर्वश्री बी. बी. जोशी, रामफल सिंह और एन. के. शर्मा थे । प्रारम्भिक तलाशी के दौरान तीन विद्रोही पकड़े गए और उनसे 2 ए.के.-56 राईफलें, 2 मैगजीन और 25 राउन्ड बरामद किए गए । गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की शिनाख्त, बाद में पाक प्रशिक्षित "अल-जहाद" ग्रुप के पाक सदस्यों के रूप में की गयी ।

इसी बीच, अन्य तलाशी दलों ने अपना अभियान जारी रखा। कुछ उग्रवादी, जो गोशाला में छिपे हुए थे, ने तलाशी दल पर गोलियां चलायी। उस समय, नायक रामफल सिंह गोशाला के नजदीक थे और उन्होंने गोशाला के पिछवाड़े की दीवार तोड़ी और उन पर गोलियां चलायी वे एक विद्रोही को घायल करने में सफल हो गए लेकिन दूसरे विद्रोही ने एक हथगोला फेंका जिसके परिणामस्वरूप नायक रामफल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए जख्मी होने के बावजूद भी वे गोशाला के अन्दर घुसे और उस विद्रोही से भिड़ पड़े तथा उसकी राईफल छीन ली। तब उनमें जबरदस्त हाथापाई हुई जिसमें उन्होंने उसे मार गिराया।

इसी बीच, अन्य संदिग्ध व्यक्ति, जो अभी तक गोशाला में छिपे हुए थे, अंधाधुंध गोलीबारी करते हुए बाहर दौड़ पड़े और भागने की कोशिश की। कांस्टेबल एन. के. शर्मा ने उन्हें उलझाए रखा और उन्हें भागने नहीं दिया। लेकिन विद्रोही एक घर में घुस गए और तलाशी पार्टियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में कांस्टेबल शर्मा गम्भीर रूप से जख्मी हो गए।

उसके बाद, श्री बी. बी. जोशी, सहायक कमांडेंट, जो तलाशी अभियान का पर्यवेक्षण कर रहे थे, अपने एस्कार्ट के साथ उस मकान के अन्दर गए, जहां कांस्टेबल शर्मा ने मोर्चा सम्भाल रखा था। कमांडेंट द्वारा की गयी गोलीबारी की आड़ में, श्री जोशी कांस्टेबल शर्मा को निकाल ले आने में कामयाब हो गए। लेकिन इस प्रक्रिया में श्री जोशी और अन्य कांस्टेबल, उग्रवादियों द्वारा फेंके गए हथगोलों के विस्फोट के कारण, गोले के टुकड़ों से जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद, श्री जोशी ने मोर्चा सम्भाला और उग्रवादियों पर गोलियां चलाते रहे और अन्ततः उनमें से एक को मारने में कामयाब हुए। मृतक उग्रवादियों की शिनाख्त बाद में मुश्ताक अहमद राठेर और मुश्ताक अहमद नाईकू के रूप में की गयी और मृतक उग्रवादियों से 6 मैगजीनों सहित 4 ए. के. 56 राईफलें, और ए. के. 56 श्रेणी के 40 राउन्ड बरामद किए गए। लगभग एक घंटे तक परस्पर गोलाबारी होने के कारण मकान को आग लग गयी और वह पूर्णतः भस्म हो गया। तलाशी के दौरान, एक उग्रवादी की पूरी तरह जली हुई लाश मिली इस प्रकार से इस मुठभेड़ में 3 उग्रवादी मारे गए और 3 पकड़े गए तथा एक जख्मी हुआ।

इस मुठभेड़ में, श्री एन. के. शर्मा, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(I) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17-6-1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 45-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री राज सिंह,
उप-कमांडेंट,
73 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

15-7-1994 को इस बात की जानकारी प्राप्त हुई कि गांव बाकूरा में बगीचों में उग्रवादियों का एक गिरोह छिपा हुआ है। सीमा सुरक्षा बल की 73 वीं बटालियन के जवानों ने तुरन्त उस क्षेत्र को घेर लिया जिस समय घेरा डालने वाले दल घेरे को छोटा करते जा रहे थे तो उसी समय उग्रवादियों ने स्वचालित शस्त्रों से भारी गोली-बारी शुरू कर दी और सीमा सुरक्षा बल के दलों पर हथगोले भी फेंके। श्री राज सिंह, उप-कमांडेंट, चुने हुए कमांडों को साथ लेकर, दक्षिण-पश्चिम की ओर से उनके छिपने के स्थान की ओर आगे बढ़ने लगे उन्हें उनके कमांडेंट द्वारा कवरिंग फायर प्रदान किया जा रहा था। जिस समय धावा बोलने वाला दल उनके निकट होता जा रहा था तो उग्रवादियों ने इस दल को देख लिया और उस पर भारी गोली-बारी शुरू कर दी। श्री सिंह और उनका दल घायल होने से बाल-बाल बच गया तथा बिना विचलित हुए इस दल ने मोर्चा संभाले रखा और उग्रवादियों को उलझाए रखा। उन्होंने एक उग्रवादी को देखा जो सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर गोलियां चला रहा था। श्री सिंह ने एक उप-निरीक्षक सहित वृक्षों के पीछे खड़े होकर इस प्रकार से मोर्चा लिया जहां से वह उग्रवादी को स्पष्ट रूप में देख सकते थे तथा वहां से उस पर गोली चला कर उसको वहीं मार गिराया। मृत उग्रवादी की पहचान बाद में भी. सरवर मीर के रूप में की गई जोकि "जेहाद फोर्स मिलीटेंट्स" नामक गुट का स्वयं-भू डिवीजनल कमांडर और अत्यंत खूंखार आतंकवादी था जोकि सुरक्षा बलों के खिलाफ घाटी में चलाए गए कई अभियानों में शामिल था। तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से बेस प्लेट और बाईपाड युक्त एक 60 मि.मी. का मोर्टार 3 ए.के.-56 राईफलें, ए.के. श्रृंखला की 8 मैगजीनें तथा ए.के. श्रेणी की राईफल के 15 बिना चले कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री राज सिंह, उप-कमांडेंट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15-7-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 46-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री अखिलेश्वर सिंह,
उप-कमांडेंट,
एच.एच.क्यू.,
सीमा सुरक्षा बल,
बारामूला ।

श्री एस. रोबिनसन,
हैड-कांस्टेबल,
73 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 29-9-94 को इस आशय की विशिष्ट सूचना प्राप्त हुई कि सोपोर के क्षेत्र में कुछ उग्रवादियों ने अपनी गतिविधियां केन्द्रित की हुई हैं । एक विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई गई तथा गांव तरजुआ के चारों ओर एक घेरा डाला गया। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया। पूछताछ के दौरान, उन्होंने बताया कि कुछ खूंखार सशस्त्र उग्रवादी, फारूक अहमद मीर नामक व्यक्ति के घर में रसोई तल के नीचे बने हुए छिपने के स्थान में छिपे हुए हैं । कुछ चुनिन्दा कर्मांडों ने संदिग्ध घर को घेर लिया । 29-9-1994 को करीब 15.45 बजे एक सुव्यवस्थित रूप में ली गई तलाशी के दौरान कंकरीट की स्लैब से बने एक ढक्कन के ऊपर मिट्टी के प्लास्टर से बने एक "चूल्हे" के नीचे छिपने का स्थान बना होने के बारे में पता लगा । श्री एस. रोबिनसन, हैड-कांस्टेबल और एक अन्य कांस्टेबल द्वारा जैसे ही स्लैब को हटाया जा रहा था, तो उसके नीचे छिपे हुए उग्रवादियों ने हथगोले फैंके और उसके बाद स्वचालित हथियारों से भारी गोली-बारी की । सीमा सुरक्षा बल के दल ने तुरन्त मोर्चा संभाल लिया और जवाब में आत्मरक्षा में गोलियां चलाईं । करीब 17.30 बजे उनमें से एक उग्रवादी, धुएं और धूल की आड़ का लाभ उठा कर छिपने के स्थान से बाहर आने में सफल हो गया। श्री सिंह ने दो स्टेन ग्रेनेड दागे और उसके बाद एक के बाद एक जल्दी-जल्दी दो हथगोले फैंके जिसमें वह उग्रवादी वहीं गिर कर मर गया । उसके बाद श्री रोबिनसन ने स्टेन-ग्रेनेड और हथगोले छिपने के ठिकाने में फैंक कर उग्रवादियों की बन्दूकों को शान्त कर दिया । गोली-बारी बन्द हो जाने पर, दो और शव बरामद किए गए । मृत उग्रवादियों की बाद पहचान में (1) गुलाम मोहम्मद भट्ट, (2) रफीक अहमद गनाई, और (3) मौ. अकबर लोने के रूप में की गई । उनमें से एक, अर्थात् गुलाम मोहम्मद भट्ट एक खूंखार उग्रवादी था जोकि सुरक्षा बलों के साथ हुई अनेकों सशस्त्र मुठभेड़ों में शामिल था तथा जिसकी कई हत्या और धन एंठने के मामलों में तलाश थी । तलाशी लेने पर, मुठभेड़ स्थल से तीन ए. के. 47/56 राईफलें, एक वायरलैस सैट, 8 ग्रेनेड राईफल गोलें, ए. के. श्रेणी की 9 मैगजीनें, ए. के. श्रेणी के गोला-बारूद के 27 राउण्ड तथा ए. के. श्रेणी की 29 ई. एफ. सी. एस. बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री अखिलेश्वर सिंह, उप-कमांडेंट और एस. रोबिनसन, हैड-कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 29-9-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 47-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री बी. एस. रावत, (मरणोपरान्त)
उप कमांडेन्ट,
12 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

श्री यू. आर. एस. चौधुरी, (मरणोपरान्त)
हैड कांस्टेबल,
12 वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23-2-1995 को लगभग 1445 बजे सीमा सुरक्षा बल की 12 वीं बटालियन की टुकड़ियों ने बछपुरा की बिलाल कालोनी के क्षेत्र में गश्त/कार्डन आपरेशन शुरू किया । श्री यू. आर. एस. चौधुरी, हैड कांस्टेबल श्री बी. एस. रावत, उप कमांडेन्ट के गश्ती दल से सबसे आगे थे । जब यह दल एक संकरी गली से गुजर रहा था, तो पड़ोस के घरों में छिपे हुए उग्रवादियों ने सीमा सुरक्षा बल के दल पर भारी गोलीबारी की । । श्री रावत ने श्री चौधुरी को घर घेर लेने का आदेश दिया । उग्रवादियों ने दुबारा सीमा सुरक्षा बल के दल पर भारी गोलाबारी की । अपने दल के अन्य सदस्यों को मोर्चा लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए श्री चौधुरी ने प्रभावकारी गोलाबारी करके उग्रवादियों

को शान्त रखा । इस दौरान उग्रवादियों द्वारा चलाई गई एक गोली श्री चौधुरी के पेट का चीरती हुई निकल गई । यद्यपि वे बुरी तरह जख्मी हो गए थे फिर भी उग्रवादियों से मुकाबला करते रहे । श्री रावत यह देखकर कि श्री चौधुरी गोली लगने से जख्मी हो गए हैं, तुरन्त उस की तरफ बढ़े और अपनी ए.के. 47 राईफल से उग्रवादियों पर जमकर गोलीबारी की और उन्हें कोई कार्रवाई नहीं करने दी । उन्होंने एक उग्रवादी को घायल कर दिया, लेकिन घायल उग्रवादी घर से छलांग लगाकर भागने में सफल हो गया लेकिन अपनी ए.के. 47 राईफल पीछे ही छोड़ गया । इसी बीच दूसरे उग्रवादी ने श्री रावत पर गोली चला दी जो उनकी बायीं तरफ की कनपटी पर लगी । गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद, दल के अन्य सदस्यों को बचाने के लिए वे उग्रवादियों पर गोलीबारी करते रहे । इस साहसपूर्ण कार्रवाई के कारण उग्रवादी घने मकानों वाले क्षेत्र का लाभ उठाकर भाग खड़े हुए । सर्वश्री रावत और चौधुरी को अस्पताल पहुंचाने पर जख्म के कारण उनकी मृत्यु हो गई । तलाशी के दौरान एक मैगजीन के साथ एक ए.के. 47 राईफल, एक आई.ई.डी, एक विदेशी निर्मित वाकी टाकी सेट, 25,000 रुपये का एक टेप-रिकार्डर 500 मीटर बिजली की तार और ए. के. 47 का 20 राउन्ड गोलाबारूद बरामद हुआ ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) श्री बी. एस. रावत, उप-कमांडेंट और (दिवंगत) श्री यू. आर. एस. चौधुरी, हैड कांस्टेबल, ने अदम्य वीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23-2-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 48-प्रेज/96—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री शैली जैकब,
कांस्टेबल,
65 बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

सौदौरा शहर के खुशाल मट्टू और संग्रामपुरा के क्षेत्रों में उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में एक विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर, 15-9-1994 को एक विशेष छानबीन और तलाशी अभियान चलाने की योजना बनायी गयी । उग्रवादियों के छिपने के स्थान का पता लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल की 65 वीं बटालियन के कार्यकारी कमांडेंट श्री एस. एस. सन्धु के नेतृत्व में चुने गए कमांडों द्वारा, संदिग्ध घरों की तलाशी शुरू की गयी । जब श्री सन्धु ने कांस्टेबल शैली जैकब के साथ, एक संदिग्ध छिपने के स्थान का दरवाजा थोड़ा सा खोला तो अन्दर छिपे उग्रवादियों ने स्वचालित हथियारों से गोलियां चलानी शुरू कर दी । श्री सन्धु और कांस्टेबल जैकब ने प्रत्युत्पन्नमति और सावधानीपूर्वक दीवार के पीछे तत्काल मोर्चा संभाला । तथापि, हथगोलों के फटने के कारण, उसके टुकड़ों से श्री सन्धु जख्मी हो गए, जिससे उनके बाएं हाथ के अगले हिस्से से खून बहने लगा फिर भी श्री सन्धु सुरक्षित मोर्चे की तरफ बढ़े और उग्रवादियों को आत्म-समर्पण करने के लिए ललकारा । इस पर छिपा हुआ एक उग्रवादी बाहर आया और उसने आत्म-समर्पण करने का नाटक किया, लेकिन उसने श्री सन्धू और उनकी पार्टी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी । श्री सन्धू और कांस्टेबल जैकब ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और साथ ही साथ उग्रवादी पर गोलियां चलायी और उसे मार गिराया । उसकी शिनाख्त बाद में एच. एम. गिरोह के प्लाटून कमांडर फारूक अहमद मट्टू के रूप में की गयी ।

इसी बीच, अन्य उग्रवादी, छिपने के स्थान के अन्दर से गोलीबारी करते रहे । श्री सन्धु ने अपनी पार्टी को पुनः संगठित किया और बाहरी घेरे को सुदृढ़ करने के लिए कुमक मंगवायी। श्री सन्धू ने उग्रवादियों को आत्म-समर्पण करने के लिए पुनः ललकारा । उसके बाद, उग्रवादियों और सीमा सुरक्षा बल टुकड़ियों के मध्य लगभग तीन घंटे तक जमकर गोलीबारी हुई। लगातार दबाव बनाए रखने और सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ियों के नियंत्रण के कारण शेष दो उग्रवादी अन्ततः आत्म-समर्पण करने के लिए राजी हो गए । बाद में, पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उनके साथी एक अन्य छिपने के स्थान पर हैं । एक छापा मारा गया और तथाकथित छिपने के स्थान से तीन उग्रवादी पकड़े गए । मुठभेड़/छापे के दौरान 7 ए.के. राईफलें, दो मैगजीनों सहित एक चीनी पिस्तौल, एक राकेट लांचर, 1 वायरलैस सेट, 20 मीटर कॉरडेक्स और बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री शैली जैकब, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15-9-94 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 49-प्रेज/96—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री अशोक कुमार त्यागी,
पुलिस अपर-अधीक्षक,
हरदोई ।

श्री रामपाल गौतम,
पुलिस उप-अधीक्षक,
सी.ओ., बिलग्राम,
हरदोई ।

श्री हर पाल सिंह,
एस.ओ., माधोगंज,
हरदोई ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

23-3-93 को लगभग 4.30 बजे अपराह्न को श्री हरपाल सिंह को सूचना मिली कि 6-7 कुख्यात अपराधियों का एक गिरोह, गांव हरिया के सालिक राम और बालक राम तिवारी के घर में छिपा हुआ है और मेवालाल प्रधान, जिसका अपहरण फिरौती के लिए किया गया था, का भी उनके कब्जे में होने का संदेह है । श्री हरपाल सिंह ने श्री रामपाल गौतम को सूचना दी, जो उपलब्ध बल के साथ लगभग 5.30 बजे अपराह्न को इस गांव में पहुंचा । श्री गौतम ने बल को तीन पार्टियों में विभाजित किया—प्रथम पार्टी का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया, जिसमें श्री हरपाल सिंह, स्टेशन आफिसर, मधोगंज सहित अन्य थे, दूसरी और तीसरी पार्टी को उत्तर और दक्षिण की तरफ से घेरा डालने के लिए तैनात किया गया । श्री गौतम और हरपाल सिंह के नेतृत्व में प्रथम पार्टी, अपराधियों को पकड़ने के लिए सालिक राम के घर की तरफ धीरे-धीरे बढ़ी । श्री गौतम और श्री हरपाल सिंह, लगभग 5.55 बजे अपराह्न को जैसे ही सालिक राम के घर के नजदीक पहुंचे, 6-7 अपराधियों ने सालिक राम के घर के अन्दर से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी । इस प्रक्रिया में, एक उप-निरीक्षक जख्मी हो गया और उसे तुरन्त अस्पताल ले जाया गया । श्री गौतम ने अपराधियों को चेतावनी दी कि उन्हें घेर लिया गया है और उनसे आत्म-समर्पण करने के लिए कहा लेकिन अपराधियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अंधाधुंध गोलियां बरसाते रहे । पुलिस पार्टी ने भी आत्म-रक्षा में गोलियां चलायी लेकिन क्योंकि अपराधियों ने सामरिक रूप से अनुकूल मोर्चा लिया हुआ था अतः श्री गौतम ने और कुमुक मंगवायी । अपराधियों द्वारा भारी गोलीबारी के बीच, श्री गौतम अपने जीवन को खतरे में डालकर बालक राम के घर तक रेंगते हुए गए । श्री गौतम और श्री हरपाल सिंह ने अनुकरणीय साहस का परिचय देते हुए और प्रभावी गोलीबारी करके अपराधियों पर दबाव बनाए रखा ।

लगभग 8.25 अपराह्न को श्री अशोक कुमार त्यागी, पुलिस अपर अधीक्षक, अतिरिक्त बल के साथ उस स्थान पर पहुंचे और कमांड अपने हाथ में ले ली । श्री त्यागी, श्री गौतम और श्री हरपाल के साथ उत्तरी दिशा की ओर बढ़े और उस घर को घेर लिया, जहां से अपराधी गोलियां चला रहे थे । असाधारण साहस और रणनीति का परिचय देते हुए सर्वश्री त्यागी, पुलिस अपर-अधीक्षक, गौतम, पुलिस उप-अधीक्षक और हरपाल सिंह नजदीक के छप्पर के घर में घुसे और अपराधियों पर लक्षित गोलीबारी की । दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक अपराधी गोली से मारा गया और अन्य अपराधी अंधेरे में भागने में कामयाब हो गए । तलाशी के दौरान अन्य अपराधी मृत पाया गया । मृतक अपराधियों की शिनाख्त राजेश लोहार और चतुर्भुज सिंह के रूप में की गयी जिनके पास से एक देशी पिस्तौल और भारी मात्रा में सक्रिय और खाली कारतूसों सहित एक एस.बी.बी.एल. गन बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री अशोक कुमार त्यागी, पुलिस अपर अधीक्षक, रामपाल गौतम, पुलिस उप-अधीक्षक, हरपाल सिंह, स्टेशन आफिसर, माधोगंज ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23-3-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 50-प्रेज/96—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री राम सुन्दर तिवारी, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
जिला-इलाहाबाद ।

श्री राम कृपाल सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
जिला-इलाहाबाद ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

17-7-1991 को सूचना मिली थी कि दवेरिया गांव में एक कुख्यात गिरोह, सचिव के परिवार की हत्या करने के लिए इकट्ठा हुआ है । कांस्टेबल राम सुन्दर तिवारी और राम कृपाल सिंह सहित एक उप-निरीक्षक के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी तुरन्त दावेरिया गांव के लिए रवाना हुई और पाया कि वह गिरोह वहां से नीकर गांव चला गया है वहां पर किसी नानका के घर में मौजूद है । अपराधियों की मौजूदगी का पता लगाकर उप-निरीक्षक, कांस्टेबल राम सुन्दर तिवारी और राम कृपाल सिंह के साथ उस घर के पश्चिम की ओर गए जबकि शेष

कार्मिकों को उन्होंने उत्तर की ओर तैनात कर दिया । इसी बीच, अपराधी बुलाकी मल्लाह, नन्दू भारती, राम किशन पासी और सुरेश मल्लाह ने पूर्व की तरफ से पुलिस पार्टी पर बम फेंके और गोलियां चलाई तथा उत्तर की तरफ भागने की कोशिश की । श्री राम सुन्दर तिवारी और राम कृपाल सिंह ने भागते हुए अपराधियों का पीछा किया । भागते हुए अपराधी पुलिस को देख, पीछे मुड़े और पुन: बम फेंके लेकिन कांस्टेबल राम सुन्दर तिवारी और राम कृपाल सिंह ने आत्मरक्षा में अपराधियों पर गोलीबारी की । अपराधियों में से तीन लड़खड़ी में नदी के किनारे-किनारे भागे, जबकि राम किशन पासी नदी में कूद पड़ा और जलालपुरा गांव की तरफ तैरने लगा । कांस्टेबल राम सुन्दर तिवारी और राम कृपाल सिंह सहित पुलिस पार्टी पास ही पड़ी नाव में चढ़ गई और पासी का पीछा किया तथा उसे पकड़ लिया । इसी बीच, पासी के कुछ सहयोगी उसे बचाने के लिए आ गए और इस प्रक्रिया में उनकी राम सुन्दर तिवारी और राम कृपाल सिंह के साथ जबरदस्त भिड़ंत हुई । इस भिड़ंत में, राम सुन्दर तिवारी और राम कृपाल सिंह की भरपूर कोशिशों के बावजूद अपराधी पासी को छुड़ाने में सफल हो गए और उसे अपनी नाव में बिठाकर भाग निकले । पुलिस कार्मिकों को मारने के इरादे से अपराधियों ने उस नाव को डूबो दिया जिसमें कांस्टेबल राम सुन्दर तिवारी-राम कृपाल सिंह अन्य लोगों के साथ बैठे हुए थे ।

इस प्रकार, सर्वश्री राम सुन्दर तिवारी और राम कृपाल सिंह कांस्टेबल ने सेवा की उच्चतम परम्पराओं को बनाये रखते हुए अपने जीवन का बलिदान दिया ।

इस मुठभेड़ में, (दिवंगत) सर्वश्री राम सुन्दर तिवारी कांस्टेबल और (दिवंगत) श्री राम कृपाल सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 17-7-1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 51-प्रेज/96—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री उमा शंकर यादव,
पुलिस उपनिरीक्षक,
थाना-प्रभारी, सीतापुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

10-10-93 को सीतापुर के थाना प्रभारी श्री उमा शंकर यादव, पुलिस उपनिरीक्षक को यह विश्वस्त सूचना मिली कि भारी हथियारबन्द 7-8 अपराधी, थाना संधना के गांव बेहूरवा के अंदर राम पासी के बगीचे में छिपे हुए हैं और वे लोग कोई जघन्य अपराध करने वाले हैं । यह सूचना प्राप्त होने पर श्री यादव, उपलब्ध पुलिस बल के साथ उस स्थान की ओर चल पड़े । पुलिस बल मौके पर 11.55 पूर्वाह्न को पहुंच गया । पुलिस बल को दो दलों में विभाजित किया गया स्वयं श्री यादव के नेतृत्व वाले पहले दल ने अपराधियों का मुकाबला किया जबकि दूसरे दल को घेराबंदी पर लगाया गया ताकि कोई बचकर भागने न पाए । रणनीतिक रूप से पुलिस दलों को तैनात करके श्री यादव ने देखा कि 7-8 अपराधी पेड़ों के पीछे मौजूद हैं । अपराधियों को देखकर श्री यादव ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए ललकारा परन्तु समर्पण करने की बजाए उन्होंने पुलिस दलों पर अचानक अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया । श्री यादव जोकि अग्रपंक्ति में होने के कारण गोलियों के मुहाने पर थे, उन्होंने पुलिसकर्मियों से तुरन्त ही पोजीशनलेकर आत्मरक्षा में गोलियां चलाने के लिए कहा । पुलिस दलों की ओर से जवाबी गोलीबारी से विचलित हुए बिना अपराधियों ने बिना रुके गोलियां चलाना जारी रखा जिसके परिणामस्वरूप श्री यादव के बाएं हाथ में एक गोली आ लगी । घायल होने के बावजूद श्री यादव ने अपना संतुलन नहीं खोया, वे आगे बढ़ते रहे और अपनी स्टेनगन से गोलियां चलाते हुए, अपने कार्मिकों को अपराधियों पर गोलियां चलाते रहने के लिए प्रोत्साहित करते रहे । इसके अपेक्षित परिणाम भी निकले । दो अपराधी घटनास्थल पर ही मारे गए जबकि बाकी अपराधी बचकर भागने में सफल हो गए । मारे गए एक अपराधी की शिनाख्त भोला के रूप में हुई जबकि दूसरे की शिनाख्त नहीं हो सकी । घटनास्थल से एक देशी बंदूक तथा एक .12 बोर की बंदूक, कारतूसों सहित बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में, श्री उमा शंकर यादव, पुलिस उपनिरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 10-10-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 52-प्रेज/96—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री दुर्गा चरण मिश्र,
पुलिस उपाधीक्षक,
मेरठ ।

श्री श्रीनारायण त्रिपाठी,
एस. ओ. लिसारी गेट,
मेरठ ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8-12-1992 को सूचना मिली कि अहमद नगर, लालीपूरा, राशीद नगर, शकूरनगर और कालवानगर इलाकों से एक सम्प्रदाय के लोगों की भारी और उग्र भीड़, एक दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला करने के लिए श्याम नगर और पिलोखरी पुलिस चौकी के अधीन क्षेत्रों में इकट्ठी हुई है तथा उन्होंने एक व्यक्ति को चाकू मार कर घायल कर दिया है । इस सूचना के प्राप्त होते ही श्री एस. एन. त्रिपाठी, श्री डी. सी. मिश्रा और शहर के मैजिस्ट्रेट पुलिस बल सहित उस स्थान पर पहुंच गए । भीड़ को समझा-बुझा कर तितर-बितर करने के लिए पुलिस दल ने हर संभव प्रयास किया परन्तु उत्तर में पुलिस बल पर हमला किया गया और ईंट पत्थर फेंके गए । सिटी मैजिस्ट्रेट ने भीड़ को वहां से तितर-बितर हो जाने की चेतावनी दी परन्तु भीड़ ने इसका जवाब उन पर देशी पिस्तोलों से गोली चला कर तथा बम तथा ईंट फेंक कर दिया जिसके फलस्वरूप जीप और सर्च-लाईट के शीशे टूट गए तथा श्री एस. एन. त्रिपाठी, एस. ओ. घायल हो गए । इस पर मैजिस्ट्रेट ने पुलिस बल को लाठी चार्ज तथा आंसू गैस छोड़कर, कम-से-कम बल प्रयोग करके, भीड़ को तितर-बितर कर देने के आदेश दिए । श्री एस. एन. त्रिपाठी ने आंसू गैस के दो गोले छोड़े तथा अपनी बंदूक से भी गोली चलाई । इस मौके पर श्री बृज लाल अतिरिक्त बल सहित घटनास्थल पर पहुंच गए ।

पुलिस बल को उग्र भीड़ के बढ़ते दबाव में आते देख श्री बृज लाल ने भीड़ को वहां से हट जाने की चेतावनी दी पर भीड़ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा अन्य सहित श्री बृज लाल ने उग्र भीड़ का पीछा कालवानगर, राशीद नगर और शकूर नगर की तंग गलियों में किया जबकि श्री डी. सी. मिश्रा, पुलिस-उपाधीक्षक, सिटी मैजिस्ट्रेट तथा अन्य ने भीड़ का पीछा अहमद नगर, लालीपुर में उस समय किया जब भीड़ ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए । भीड़ पास की बनी इमारतों पर चढ़ गई और पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया । भीड़ ने श्री बृज लाल पर भी गोली चलाई लेकिन वे बच गए । चेतावनियों का वांछित प्रभाव न होते देख, श्री बृज लाल ने पुलिस बल को आत्मसुरक्षा में गोली चलाने का आदेश दिया । श्री बृज लाल और श्री त्रिपाठी ने अपने-अपने सर्विस रिवाल्वरों से गोली चलानी शुरू कर दी तथा पुलिस बल ने भी साथ ही साथ गोली चलाई । हिंसक भीड़ आतंकित हो गई और तितर-बितर हो गई तथा स्थिति नियंत्रण में आ गई । गोली-बारी के दौरान कुछ व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गए तो उनके सहयोगी सभी मामलों को छीन कर सुरक्षित स्थानों पर ले गए, जबकि दो व्यक्ति मर गए । पुलिस चार अपराधियों को गिरफ्तार करने में भी सफल हो गई जिनकी पहचान सलीम, जिससे 12 बोर की सी. एम. पी. और अनप्रयुक्त कारतूसों सहित पिस्तौल बरामद हुई, सलीमुद्दीन और बशीर, प्रत्येक से एक तेज धार वाला चाकू तथा एक चाकू सहित इस्लामुद्दीन के रूप में की गई ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री दुर्गाचरण मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक, श्रीनारायण त्रिपाठी, एस. ओ. लिसारी गेट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8-12-1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 53-प्रेज/96—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री जोध सिंह अधिकारी,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जिला-गाजियाबाद ।

श्री बालक राम,
कांस्टेबल,
जिला-गाजियाबाद ।

श्री राम नारायण,
कांस्टेबल/ड्राईवर,
जिला-गाजियाबाद ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

19-6-1993 को लगभग 11-15 बजे पूर्वाह्न को सूचना प्राप्त हुई कि एक मारूति वैन, जिसमें नवविवाहित दम्पत्ति जा रहे थे, का बन्दूक की नोक पर अपहरण कर लिया गया है, वैन में बैठी सवारियों को लूट लिया गया है और अपराधी दुल्हन को लेकर भाग गए हैं । यह सूचना प्राप्त होने पर, श्री जोध सिंह अधिकारी, पुलिस स्टेशन-धौलाना के स्टेशन आफिसर, सर्वश्री बालक राम, कांस्टेबल और राम नारायण, कांस्टेबल/ड्राईवर के साथ, तत्काल इस वाहन को रोकने के लिए दौड़ पड़े । चुरायी गयी मारूति को लगभग 11-25 बजे पूर्वाह्न को गांव करनपुरजाट के नजदीक देखा गया और श्री अधिकारी ने दो कांस्टेबलों के साथ, भागते हुए लूटेरों को रोकने की कोशिश की । यह पता चला था कि चार व्यक्ति भारी मात्रा में हथियारों से लैस हैं । सर्वश्री अधिकारी, बालक राम और रामनारायण ने अपराधियों की घात में मोर्चा सम्भाला । पुलिस पार्टी को देखने पर अपराधी रुके नहीं अपितु पुलिस कार्मिकों को रौंध डालने की कोशिश की लेकिन वे तेज़ी से दौड़ रहे वाहन से बचने के लिए जल्दी से लुढ़कते हुए दूर चले गए । उसकी

बाद, अपराधियों ने पुलिस कार्मिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी लेकिन पुलिस कार्मिक विचलित हुए बिना जीप में कूद पड़े और मारूति वैन का पीछा करने लगे। लगभग ढाई किलोमीटर तक पीछा किया गया और इस पूरे समय में अपराधी, जीप में बैठी पुलिस पार्टी पर गोली चलाते रहे। पुलिस ने भी जवाब में गोलियां चलायी। दूसरी दिशा से एक अन्य वाहन को आते देख, अपराधियों ने सोचा कि वे घिर गए हैं इसलिए वे मारूति वैन को छोड़ और लगातार गोली-बारी करते हुए खेतों में भाग गए। यह देखने पर, पुलिस कार्मिक जीप से उतर गए और खेतों से पैदल ही अपराधियों का पीछा करने लगे। अपराधियों ने पीछा कर रही पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायी जिससे श्री अधिकारी, जो टीम के आगे थे, बाल-बाल बचे। पुलिस पार्टी ने जवाबी गोलियां चलायी जिसके परिणामस्वरूप, एक अपराधी घायल होकर नीचे गिर गया, जबकि शेष तीन अपराधी भागते रहे। पुलिस पार्टी ने उनका पीछा किया तथा एक और अपराधी को गोली से मार गिराया। अतिरिक्त कुमुक से चलाए गए छानबीन अभियान के दौरान एक और अपराधी मार गिराया गया जबकि दूसरा भागने में कामयाब हो गया। शवों की तलाशी लेने पर, प्रत्येक अपराधी से सक्रिय कारतूसों सहित एक .315 बोर देशी पिस्तौल और लूटी गयी सारी सम्पत्ति बरामद की गयी। तीनों मृतक अपराधियों की शिनाख्त (1) विनोद गूजर पुत्र बाबू गूजर (2) विनोद गिरी, पुत्र नानक गिरी, और (3) वीरेन्द्र, पुत्र हरदम जाट के रूप में की गयी जो खूंखार डकैत थे जिनकी तलाश हत्या, लूटपाट और डकैती के अनेक मामलों में थी।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री जोध सिंह अधिकारी, पुलिस उप-निरीक्षक, बालक राम, कांस्टेबल, राम नारायण, कांस्टेबल (ड्राइवर) ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 19-6-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 54-प्रेज/96—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्न-लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा,
पुलिस उप-निरीक्षक,
थाना-साहिबाबाद, (स्पेशल स्क्वैड),
जिला-गाजियाबाद।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

22/23-9-1993 की रात को श्री रमेश चन्द्र शर्मा, निरीक्षक को विश्वसनीय सूचना मिली कि स्वचालित और आधुनिक हथियारों से लैस कुछ अपराधियों ने, फिरौती के लिए गाजियाबाद से एक उद्योगपति के अपहरण करने की योजना बनायी है। श्री आर. सी. शर्मा पुलिस बल के साथ (श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, उप-निरीक्षक सहित) तुरन्त लोनी की ओर गए और अपराधियों की प्रतीक्षा करने लगे। करीब 1.15 बजे पूर्वाह्न में एक सफेद मारूति कार आती हुई दिखायी दी और श्री आर. सी. शर्मा ने कार को रोकने का संकेत दिया। कार-धीमी हुई लेकिन पुलिस बल को देखते ही तेजी से भाग गयी। श्री आर. सी. शर्मा ने पुलिस पार्टी के साथ इस मारूति कार का पीछा किया। बदमाशों ने यह देखने पर कि पुलिस पार्टी उनका पीछा कर रही है, अंधाधुंध गोलियां चलायी और पुलिस पार्टी को आत्म-रक्षा में जवाबी गोलियां चलानी पड़ी। श्री डी. के. शर्मा द्वारा चलायी गयी एक गोली कार के बांए टायर में लगी जिससे टायर पंक्चर हो गया। तीनों अपराधी कार से नीचे उतर कर जंगल में भागने लगे और पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाते रहे। निरीक्षक, शर्मा ने अपराधियों को आत्म समर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन अपराधियों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायी। इस स्थिति में निरीक्षक शर्मा और उप-निरीक्षक शर्मा अपने जीवन को भारी खतरे में डालकर रेंगते हुए अपराधियों की तरफ बढ़े और गोलियां चलाने लगे। पुलिस पार्टी ने भी गोलियां चलायी और इस दौरान एक अपराधी को गोली लगी, और घटनास्थल पर ही मर गया। दो अन्य अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए। तलाशी के दौरान, मृतक के पास से खाली/सक्रिय कारतूसों के साथ, एक ए. के.-56 असाल्ट राईफल बरामद की गयी। मृतक अपराधी की शिनाख्त हरीश उर्फ मामा के रूप में की गयी जो अशोक त्यागी के खतरनाक गिरोह का सदस्य था और 12 हत्याओं, 6 अपहरणों के लिए जिम्मेदार था और जिसके सिर पर 1000/- रुपए का इनाम था।

इस मुठभेड़ में, श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23-9-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 55-प्रेज/96—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री विष्णु कुमार तिवारी,
पुलिस उप निरीक्षक,
सिविल पुलिस, मूलगंज,
जिला-कानपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26-2-1993 को लगभग 5.30 बजे शाम को सूचना प्राप्त होते ही श्री विष्णु कुमार तिवारी, पुलिस उप निरीक्षक, एस ओ मूलगंज, जिला-कानपुर ने अपराधियों को पकड़ने के लिए रणनीति बनायी । उपलब्ध पुलिस बल को चार दलों में विभाजित किया गया । श्री तिवारी के नेतृत्व वाले पहले दल को अपराधियों से टक्कर लेनी थी जबकि अन्य दलों का अपराधियों के बचकर भागने से रोकने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया जाना था । पुलिस दल, घटनास्थल पर 8.00 बजे शाम को पहुंच गए और उन्होंने पोजीशन ले ली । लगभग 8.20 बजे सायं, भेदिए ने तीन व्यक्तियों को बाबूपुर्वा की तरफ से आते और घंटाघर होकर सर्कुलर रोड की ओर एक मोटर साइकिल पर जाते देखा । मुखबिर ने श्री तिवारी को इशारा किया कि पीछे बैठे दो व्यक्ति जिन्द नाथ और राजू शुक्ला हैं । अपराधी जिस रास्ते से जा रहे थे, वह भीड़-भाड़ वाला था इसलिए श्री तिवारी ने कुछ दूरी रखते हुए अपनी जीप में उनका पीछा किया ताकि भीड़ में लोगों को कोई परेशानी न हो और एक सुनसान सड़क पर पहुंचकर उन्होंने अपराधियों को समर्पण के लिए ललकारा । अपराधियों ने चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय पुलिस दल पर गोली चला दी । तुरन्त ही श्री तिवारी ने भाग रहे अपराधियों पर गोली चलाई जिससे मोटर साइकिल फिसल गई और पीछे बैठे दोनों व्यक्ति मोटर साइकिल से उतरकर पुलिस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे जबकि तीसरा व्यक्ति अपनी मोटर साइकिल पर बचकर भाग गया । श्री तिवारी के अधीन जीप में बैठा पुलिस दल भी जीप से उतर पड़ा, पोजीशन लेकर उन्होंने अपराधियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया । तब अपराधियों ने भागकर एक शेल्टर में शरण ले ली तथा पुलिस दल पर गोलियां चलाने लगे । इस मौके पर श्री तिवारी और उनके दल ने अपराधियों पर प्रभावी गोलीबारी की गोलियां थोड़ी देर तक चलती रहीं और फिर बन्द हो गई । उस क्षेत्र की तलाशी लेने पर दो अपराधी मरे पड़े पाए गए जिनकी शिनाख्त जिन्द नाथ और राजू शुक्ला के रूप में हुई । मृत अपराधियों के पास से 315 बोर की दो पिस्तौलें तथा भारी संख्या में सक्रिय कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री विष्णु कुमार तिवारी, पुलिस उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26-2-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 56-प्रेज/96—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री रमेश चन्द्र शर्मा,
पुलिस निरीक्षक,
थाना-शाहिबाबाद, प्रथम बार
जिला-गाजियाबाद

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

22/23-9-1993 की रात को श्री रमेश चन्द्र शर्मा, निरीक्षक को विश्वसनीय सूचना मिली कि स्वचालित और आधुनिक हथियारों से लैस कुछ अपराधियों ने फिरौती के लिए गाजियाबाद से एक उद्यमपति का अपहरण करने की योजना बनायी है । श्री आर. सी. शर्मा पुलिस बल के साथ (श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, उप-निरीक्षक सहित) तुरन्त लोनी की ओर गए और अपराधियों की प्रतीक्षा करने लगे । करीब 1.15 बजे पूर्वाह्न में एक सफेद मारूति कार आती हुई दिखाई दी और श्री आर. सी. शर्मा ने कार को रोकने का संकेत दिया। कार धीमी हुई लेकिन पुलिस दल को देखते ही तेजी से भाग गयी। श्री आर. सी. शर्मा ने पुलिस पार्टी के साथ इस मारूति कार का पीछा किया । बदमाशों ने यह देखने पर कि पुलिस पार्टी उनका पीछा कर रही है, अंधाधुंध गोलियां चलायीं और पुलिस पार्टी को आत्म-रक्षा में जवाबी गोलियां चलानी पड़ीं । श्री डी. के. शर्मा द्वारा चलायी गयी एक गोली कार के बांये टायर में लगी जिससे टायर पंक्चर हो गया। तीनों अपराधी कार से नीचे उतर कर जंगल में भागने लगे और पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाते रहे । निरीक्षक, शर्मा ने अपराधियों को आत्म समर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन अपराधियों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायीं । इस स्थिति में निरीक्षक शर्मा और उप-निरीक्षक शर्मा अपने जीवन को भारी खतरे में डालकर रेंगते हुए अपराधियों की तरफ बढ़े और गोलियां चलाने लगे । पुलिस पार्टी ने भी गोलियां चलायीं और इस दौरान एक अपराधी को गोली लगी, जो घटनास्थल पर ही मर गया । दो अन्य अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए । तलाशी के दौरान, मृतक के पास से खाली/सक्रिय कारतूसों के साथ, एक ए. के.-56 असाल्ट राईफल बरामद की गयी । मृतक अपराधी की शिनाख्त हरीश उर्फ बाबा के रूप में की गयी जो अशोक त्यागी के खतरनाक गिरोह का सदस्य था और 12 हत्याओं, 6 अपहरणों के लिए जिम्मेवार था और जिसके सिर पर 1000 रु. का इनाम था ।

इस मुठभेड़ में, श्री रमेश चन्द्र शर्मा, पुलिस निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 23-9-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 57-प्रेज/96—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री बृज लाल, प्रथम बार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,

मेरठ ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8-12-1992 को सूचना मिली कि अहमद नगर, लाखीपुरा, राशीदनगर, शकूरनगर और कालवानगर इलाकों से एक सम्प्रदाय के लोगों की भारी और उग्र भीड़, एक दूसरे समुदाय के लोगों पर हमला करने के लिए श्याम नगर और पिलोखरी पुलिस चौकी के अधीन क्षेत्रों में इकट्ठी हुई है तथा उन्होंने एक व्यक्ति को चाकू मार कर घायल कर दिया है । इस सूचना के प्राप्त होते ही श्री एस. एन. त्रिपाठी, श्री डी. सी. मिश्रा और शहर के मैजिस्ट्रेट पुलिस बल सहित उस स्थान पर पहुंच गए । भीड़ को समझा-बूझा कर तितर-बितर करने के लिए पुलिस दल ने हर संभव प्रयास किया परन्तु उत्तर में पुलिस बल पर हमला किया गया और ईंट और पत्थर फेंके गए । सिटी मैजिस्ट्रेट ने भीड़ को वहां से तितर-बितर हो जाने की चेतावनी दी परन्तु भीड़ ने इसका जवाब उन पर देशी पिस्तौलों से गोली चला कर तथा बम तथा ईंट फेंक कर दिया जिसके फलस्वरूप जीप और सर्च-लाईट के शीशे टूट गए तथा श्री एस. एन. त्रिपाठी, एस. ओ. घायल हो गए । इस पर मैजिस्ट्रेट ने पुलिस बल को लाठी चार्ज तथा आंसू गैस छोड़कर, कम-से-कम बल प्रयोग करके, भीड़ को तितर-बितर कर देने के आदेश दिए । श्री एस. एन. त्रिपाठी ने आंसू गैस के दो गोले छोड़े तथा अपनी बंदूक से भी गोली चलाई । इस मौके पर श्री बृज लाल अतिरिक्त बल सहित घटनास्थल पर पहुंच गए ।

पुलिस बल को उग्र भीड़ के बढ़ते दबाव में आते देख श्री बृज लाल ने भीड़ को वहां से हट जाने की चेतावनी दी पर भीड़ ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया । तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तथा अन्य सहित श्री बृज लाल ने उग्र भीड़ का पीछा कालवानगर, राशीद नगर और शकूर नगर की तंग गलियों में किया जबकि श्री डी. सी. मिश्रा, पुलिस-उपाधीक्षक, सिटी मैजिस्ट्रेट तथा अन्य ने भीड़ का पीछा अहमद नगर, लाखीपुर में उस समय किया जब भीड़ ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए । भीड़ पास की बनी इमारतों पर चढ़ गई और पुलिस पर हमला करना शुरू कर दिया । भीड़ ने श्री बृज लाल पर भी गोली चलाई लेकिन वे बच गए । चेतावनियों का वांछित प्रभाव न होते देख, श्री बृज लाल ने पुलिस बल को आत्मसुरक्षा में गोली चलाने का आदेश दिया । श्री बृज लाल और श्री त्रिपाठी ने अपने-अपने सर्विस रिवाल्वरों से गोली चलानी शुरू कर दी तथा पुलिस बल ने भी साथ ही साथ गोली चलाई । जिससे भीड़ आतंकित हो गई और तितर-बितर हो गई तथा स्थिति नियंत्रण में आ गई । गोला-बारी के दौरान कुछ व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गए तो उनके सहयोगी सभी घायलों को खींच कर सुरक्षित स्थानों पर ले गए, जबकि दो व्यक्ति मर गए । पुलिस चार अपराधियों को गिरफ्तार करने में भी सफल हो गई जिनकी पहचान सलीम, जिससे 12 बोर की सी. एम. पी. और अनप्रयुक्त कारतूसों सहित पिस्तौल बरामद हुई, सलीमुद्दीन और दबीर, प्रत्येक से एक तेज धार वाला चाकू तथा एक चाकू सहित इस्लामुद्दीन के रूप में की गई ।

इस मुठभेड़ में, श्री बृज लाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8-12-1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान

निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 20 मई 1996

सं. 58-प्रेज/96-राष्ट्रपति—उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

बी. बी. एस. सोलंकी,

पुलिस उप-निरीक्षक,

जिला—मेरठ । प्रथम बार

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

1-3-1992 को श्री बी. एस. सोलंकी, उप-निरीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि अपराधियों के एक गिरोह द्वारा मुजफ्फर-नगर शहर में कुछ जघन्य अपराध करने की संभावना है । श्री सोलंकी उपलब्ध बल सहित करीब 0400 बजे मुजफ्फरनगर पहुंच गए और शहर के बाहरी क्षेत्र में उस स्थान पर डेरा लगा दिया जहां गिरोह के नेता जग्गी के ठहरे हुए होने का सन्देह था । जिस समय जग्गी और उसके तीन साथी सड़क पर बाहर की ओर आ रहे थे तो मुखबिर ने जग्गी, लाला और बिजेन्द्र की पहचान की तथा चौथे की पहचान नहीं हो सकी । श्री सोलंकी ने अपराधियों को आत्मसमर्पण कर देने के लिए ललकारा परन्तु अपराधियों ने पुलिस कार्मिकों को मार डालने के लिए गोलियां चलाईं । पुलिस कार्मिकों ने मोर्चा संभाला और आत्मसुरक्षा में गोलियां चलानी शुरू कर दी जिससे लाला उर्फ मुकेश जख्मी हो कर नीचे गिर गया जबकि जग्गी और उसके साथी एक अम्बेसडर कार में भाग गए । श्री सोलंकी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और पास के औद्योगिक क्षेत्र में अपराधियों का पीछा किया परन्तु भागते हुए अपराधियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलाना जारी रखा । पुलिस दल के दबाव के कारण अपराधियों ने एक फैक्ट्री में शरण ले ली और पुलिस दल पर गोलियां चलाते रहे । पुलिस बल ने भी आत्म सुरक्षा में जवाबी गोलीबारी की जिसके कारण बिजेन्द्र घटना स्थल पर ही मारा गया । उसके बाद जग्गी कमरे से बाहर निकल आया और साथ की एक इमारत में घुस

कर स्वयं को एक कमरे में बन्द कर लिया और गोलियां चलानी शुरू कर दी । श्री सोलंकी अद्वितीय साहस का परिचय देते हुए एक उप-निरीक्षक को साथ लेकर घर की छत पर चढ़ गए और जिस कमरे में जग्गी छिपा हुआ था उसमें घुस कर अपराधी पर गोली चलाई और उसे मार गिराया । मृत अपराधियों से फैक्ट्री में निर्मित एक डी.बी.बी.एल. बन्दूक और एक .315 बोर की पिस्तौल सहित बड़ी मात्रा में बिना चले कारतूस बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में, श्री बी. एस. सोलंकी, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 1-3-1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 59-प्रेज/96—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री औंकार सिंह,
कांस्टेबल,
तृतीय कमांडो बटालियन,
पुलिस स्टेशन—जगरांव ।

श्री कुलदीप सिंह,
कांस्टेबल,
तृतीय कमांडो बटालियन,
पुलिस स्टेशन—जगरांव ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

पुलिस स्टेशन जगरांव के स्टेशन हाउस आफिसर को कुछ गांवों में आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में 21-5-1993 को सूचना मिली । जिला पुलिस, तृतीय कमांडो बटालियन (सर्वश्री औंकार सिंह और कुलदीप सिंह कांस्टेबल सहित) और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मिकों की अलग-अलग पुलिस पार्टियां बनायी गयी और वे एक फार्म-हाउस के नजदीक पहुंचे । जैसे ही 8 कमांडरों वाली एक पार्टी ने फार्म हाउस में घुसने का प्रयास किया, आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । पुलिस कार्मिकों ने मोर्चा संभाला और आत्मरक्षा में जवाब में गोलियां चलाई । आतंकवादी भी फार्म हाउस से स्वचालित हथियारों से गोलियां चलाते रहे । जब सर्वश्री औंकार सिंह और कुलदीप सिंह, फार्म-हाउस की खिड़की की तरफ बढ़ रहे थे तो उग्रवादियों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी । दोनों कांस्टेबल अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए आगे बढ़े और अपने हथियारों से गोलियां चलायी । कांस्टेबल औंकार सिंह की प्रभावी गोलीबारी के परिणामस्वरूप एक उग्रवादी जख्मी हो गया और मारा गया । इस प्रक्रिया में औंकार सिंह की जांघ में और पीठ में गोली लगी । इनके जख्मों से खून बाहर रहने के बावजूद भी उन्होंने उग्रवादियों को उलझाया रखा । यह देखने पर कांस्टेबल कुलदीप सिंह ने खिड़की के अन्दर गोलियों की बौछार कर दी और दूसरे आतंकवादी को घायल कर दिया । उसके बाद वे, कांस्टेबल औंकार सिंह को अस्पताल ले गए । बाद में, बुलैट-प्रूफ ट्रैक्टर की सहायता से ट्यूबवेल के कमरे को गिराया गया । तलाशी लेने पर, उग्रवादियों के 2 शव मिले, जिनकी शिनाख्त बाद में जग्गा सिंह और मोहन सिंह के रूप में की गयी । वे 10 जघन्य अपराधों में अन्तर्ग्रस्त थे और तलाशी लेने पर बड़ी मात्रा में गोली-बारूद सहित 2 ए. के. 47 राइफल बरामद हुई ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री औंकार सिंह और कुलदीप सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 21-5-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 60-प्रेज/96—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम और पद

श्री दिलबाग सिंह,
पुलिस उपाधीक्षक (नगर)
तरन तारण ।

श्री रवीन्दर सिंह,
कांस्टेबल,
तरन-तारण ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

27-2-1993 को पुलिस स्टेशन सदर और तरन-तारण शहर में एक आतंकवादी का पता लगाने के लिए श्री अजीत सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टियों द्वारा विशेष तलाशी अभियान चलाए गए । पुलिस देखने पर एक संदिग्ध व्यक्ति ने फार्म-हाउस से भागने की कोशिश की । फार्म-हाउस को तत्काल घेर लिया गया और पूछताछ करने पर, वहां रहने वालों ने बताया कि भागने वाला व्यक्ति गुरबचन सिंह मनोचहल था ।

उसके बाद, श्री अजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तरन-तारण ने अपने अधिकारियों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों और राज. राइफल्स के साथ उस क्षेत्र में रात में घात लगायी जहां पर गुरुबचन सिंह मनोचहल के छिपने की सम्भावना थी। अगली सुबह (28-2-1993) श्री सूबी राम, पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) श्री गुरमीत सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक (गुप्तचर), श्री दिलबाग सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक (शहर) तरन-तारण और पुलिस उप-अधीक्षक, भीखीविन्ड के नेतृत्व में पुलिस पार्टियां बनायी गयीं और श्री अजीत सिंह के पूर्ण-पर्यवेक्षण में तलाशी अभियान शुरू किए गए। जब श्री दिलबाग सिंह अपनी पार्टी के साथ सुखदेव सिंह के फार्म-हाउस के नजदीक पहुंचे तो स्वचालित हथियारों से लैस एक मध्य-वय सिख आतंकवादी बाहर आया और पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और भाग गया । तुरंत अन्य तलाशी-पार्टियों को संदेश भेजा गया। वहां पहुंचने पर इन पार्टियों ने घेराबंदी कर ली। जबकि श्री गुरमीत सिंह और पार्टी ने आतंकवादी को एक तरफ से घेरा, श्री सूबी राम और पार्टी, पानी की कूल्ह और गेहूं की फसल के बीच से होते हुए आगे बढ़े और दूसरी दिशा को कवर किया और भारी गोलीबारी शुरू कर दी, ताकि श्री गुरमीत सिंह घेरा डाल सकें। श्री दिलबाग सिंह, आतंकवादी के नजदीक एक उपयुक्त स्थान पर पहुंचे और गोलियां चलायी। इसी बीच श्री अजीत सिंह ने कांस्टेबल रविन्द्र सिंह को दीवार में छेद करने के लिए कहा, ताकि आतंकवादी की गतिविधियों को कवर किया जा सके, जो उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालकर किया। आतंकवादी ने अपना मोर्चा बदला और पुलिस पार्टियों पर रुक-रुक कर गोलीबारी करता रहा श्री अजीत सिंह और पार्टी ने छेद से, आतंकवादी पर गोलियां चलायी ।प्रभावी गोलीबारी के परिणामस्वरूप आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया । मृत आतंकवादी की शिनाख्त, बाद में गुरबचन सिंह मनोचहल के रूप में की गयी जो अनेक निर्दोष लोगों की हत्या करने, लूट-खसोट और अन्य जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेवार था। तलाशी के दौरान, मुठभेड़ के स्थान से एक जी.पी एम.जी. राइफल, एक ए. के. 74-राइफल, 70 कारतूसो सहित एक 9 एम.एम. माऊजर, 50 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, दो ड्रम मेगजीन, भारतीय/पाकिस्तानी मुद्रा और ए. के. 47 श्रेणी के 436 कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री दिलबाग सिंह, पुलिस उपाधीक्षक और रवीन्दर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28-2-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 61-प्रेज/96—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री राज किशन बेदी,
पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर)
जालंधर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

30-5-1990 को श्री आर. के. बेदी, पुलिस अधीक्षक गुप्तचर) को सूचना मिली कि गांव निजामदीनपुर के सुरजीत सिंह नामक एक व्यक्ति के घर में आतंकवादियों का एक दल छिपा हुआ है। करीब 1.45 बजे अपराह्न श्री बेदी ने सुरजीत सिंह के घर को घेर लेने के लिए एक छापा मार दल बनाया तथा वे अपने गनमैन के साथ घर के द्वार की ओर गए। घर में छिपे आतंकवादियों ने किसी प्रकार की चेतावनी दिए बगैर श्री बेदी और उनके दल की ओर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। उन्होंने तुरन्त मोर्चा संभाल लिया और आत्मसुरक्षा में जवाबी गोलियां चलाईं। दोनों ओर से गोली-बारी के दौरान सी.आई.ए. स्टाफ, जालंधर के एक कांस्टेबल गोलियां लगने से घायल हो गए। इस गोली-बारी में पुलिस दल ने सर्विस रिवाल्वर, एस. एल. आर., .303 राइफलों, एल. एम. जी. तथा हथगोलों का प्रयोग किया। 4.30 बजे (अपराह्न) तक दोनों ओर से गोली-बारी होती रही। जब घर के अन्दर से गोलियां चलनी बंद हो गई तो श्री बेदी, जिन्होंने बहादुरी के साथ आतंकवादियों का मुकाबला किया था, ने अंत: निर्भीकता के साथ घर की ओर आगे बढ़ने का साहसपूर्ण फैसला किया और अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर बढ़ रेंगते हुए घर के उस कमरे की ओर पहुंचे जहां आतंकवादी छिपे थे। उन्होंने घर का दरवाजा तोड़ा और पाया कि कमरे के अन्दर दो आतंकवादी मृत पड़े हुए हैं जिनकी गोलियों के घावों के कारण मौत हो गई थी। बाद में मृत आतंकवादियों की पहचान अवतार सिंह उर्फ बल्ली और जसवीर सिंह उर्फ सोढी के रूप में पहचान की गई। तलाशी लेने पर मुठभेड़ स्थल से तीन ए. के.-47 राइफलें, 5 मैगजीनें, बड़ी संख्या में प्रयुक्त/अनप्रयुक्त कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, श्री आर. के. बेदी, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य साहस, वीरता और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30-5-1990 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 62-प्रेज/96--राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारियों का नाम और पद
श्री ईश्वर चन्दर,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
बरनाला ।
श्री हरनेक सिंह,
पुलिस उपाधीक्षक,
थाना--टप्पा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

14-10-1992 को बरनाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री ईश्वर चन्दर और सब-डिवीजन टप्पा के पुलिस उपाधीक्षक की देख-रेख में गांव तजोके और पक्खो कलां के इलाकों की तलाशी लेने के लिए एक अभियान संयोजित किया गया। दोपहर करीब 12.30 बजे जिस समय तलाशी दल गांव पक्खो कलां के क्षेत्र में कपास के खेतों में बने नलकूपों की तलाशी ले रहा था तो अचानक चार उग्रवादियों ने पुलिस कार्मिकों पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं । पुलिस दल ने उग्रवादियों को समर्पण कर देने के लिए ललकारा परन्तु उग्रवादियों ने उस चेतावनी को अनसुना कर दिया और पुलिस दलों पर गोलियां चलाना जारी रखा। पुलिस दल ने भी आत्मरक्षा में गोली चला कर जवाबी कार्रवाई की। तब उग्रवादी कपास के खेतों की आड़ में वहां से बचकर भागने लगे। अन्य पुलिस कार्मिकों सहित श्री ईश्वर चन्दर ने उग्रवादियों को रास्ते में सामने की ओर से ही घेर लिया और आतंकवादियों पर गोली बारी की। श्री ईश्वर चन्दर ने तब श्री हरनेक सिंह और उनके दल को कपास के खेतों को जहां उग्रवादी छिपे हुए थे घेर लेने का निदेश दिया। अन्य पुलिस कार्मिकों सहित श्री ईश्वर चन्दर उग्रवादियों की ओर अपने-अपने हथियारों से गोलियां चलाते हुए और अपनी निजी सुरक्षा की चिन्ता [illegible]ना में लाया गया । फिर श्री ईश्वर चन्दर और श्री हरनेक [illegible]दना बढ़ने लगे । तत्पश्चात् बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरों/कैन्टरों [illegible] रेंगते हुए उस स्थान की ओर बढ़े जहां से उग्रवादी पुलिस दल पर गोलीबारी कर रहे थे ,और अपने शस्त्रों से उग्रवादियों पर कई राउण्ड गोलियां चलाईं । दोनों ओर से लगभग तीन घंटे तक गोली-बारी होती रही । तत्पश्चात्, उग्रवादियों की ओर से गोलीबारी रुक गई । तलाशी लेने पर उग्रवादियों के तीन शव बरामद हुए जिनकी पहचान आयब सिंह उर्फ नायबा उर्फ डाक्टर (के. सी. एफ., पंजवार गुट का एक स्वयं-भू ले. जनरल--जिसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित तथा), घोगा सिंह और हरमंजीत सिंह के रूप में हुई । ये लोग बड़ी संख्या में निर्दोष व्यक्तियों की हत्याओं, लूटपाट, धन एंठने, फिरौती मांगने के मामलों में लिप्त थे । मुठभेड़ स्थल से एक ए. के. 56 राईफल, एक माउजर, एक .32 बोर का रिवाल्वर और बड़ी मात्रा में गोली-बारूद बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री ईश्वर चन्दर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और श्री हरनेक सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 14-10-1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 63-प्रेज/96--राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :--

अधिकारी का नाम और पद
श्री हरदयाल सिंह,
पुलिस उपाधीक्षक,
मुख्यालय, गुरूदासपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26-6-1993 को श्री हरदयाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, मुख्यालय, गुरूदासपुर को सूचना मिली कि कुछ आतंकवादी कोई बड़ी वारदात करने के लिए गुरूदासपुर में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं । उन्होंने तुरन्त ही शहर-थाना जिला-गुरूदासपुर के थाना प्रभारी को निदेश दिया कि वे दारांगला रोड पर नाका लगाएं । लगभग 11.00 बजे रात को दो व्यक्तियों को नाका पार्टी की ओर आते देखा गया । उन्हें रूकने और अपनी पहचान बताने के लिए इशारा किया गया, ऐसा करने के बजाए उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चला दीं और खेतों की ओर भाग निकले । फोर्स के साथ श्री हरदयाल सिंह मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गए और आपरेशन की कमान अपने हाथ में ले ली । फसलों के घने झुण्ड के भीतर से उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी जारी रखी । मोर्चा संभाल लेने और बचकर भागने के संभावित मार्गों को बन्द करने के बाद श्री सिंह ने आतंकवादियों को समर्पण के लिए ललकारा परन्तु उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलाना जारी रखा । इसी बीच, आतंकवादियों ने पुलिस दल पर एक हथगोला फेंका परन्तु हथगोले के फटने से पहले ही श्री सिंह ने इसे तुरन्त ही लपककर आतंकवादियों की ओर वापस फेंक दिया जोकि उसी तरफ जाकर फटा, इस प्रकार उन्होंने अपने दल के सदस्यों की जान बचायी । तत्पश्चात्, अन्य पुलिस कार्मियों के साथ श्री सिंह, आतंकवादियों की तलाश में कवरिंग फायर की आड़ में आतंकवादियों के छिपने के ठिकाने की ओर बढ़े । आतंकवादी पुलिस दल पर गोलियां चलाते हुए भागने लगे । अपने जीवन की चिंता किए बिना श्री सिंह व उनके दल ने भागते हुए आतंकवादियों पर गोलियां चलाईं जिसके परिणामस्वरूप एक आतंकवादी को गोली लगी और वह जमीन पर गिर पड़ा । उसकी पहचान बाद में त्रिलोक सिंह, उप प्रमुख, बब्बर खालसा इन्टरनेशनल के रूप में की गई । दूसरा आतंकवादी अन्धेरे

और घने पेड़ों की आड़ में बचकर भाग निकलने में सफल हो गया। मारा गया आतंकवादी, बड़ी संख्या में बम-विस्फोटों, अपहरणों और हत्याओं में शामिल था। तलाशी के दौरान मुठ-भेड़ स्थल से एक ए. के. 47 एसाल्ट राईफल, एक .303 राईफल और एक .12 बोर बन्दूक के साथ भारी मात्रा में गोलीबारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, श्री हरदयाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक की नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26-6-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 64-प्रेज/96—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद	
श्री खुबी राम, पुलिस अधीक्षक, आपरेशन, तरन तारण	चतुर्थ बार
श्री गुरमीत सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक, गुप्तचर, तरन तारण	प्रथम बार

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

27-2-1993 को पुलिस स्टेशन सदर और तरन-तारण शहर में एक आतंकवादी का पता लगाने के लिए श्री अजित सिंह के नेतृत्व में पुलिस पार्टियों द्वारा एक विशेष तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस देखने पर एक संदिग्ध व्यक्ति ने फार्म हाउस से भागने की कोशिश की। फार्म-हाउस को तत्काल घेर लिया गया और पूछताछ करने पर, वहां रहने वाले ने बताया कि भागने वाला व्यक्ति गुरबचन सिंह मनोचाहल था।

उसके बाद, श्री अजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, तरन-तारण ने अपने अधिकारियों, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों और राज-राईफल्स के साथ उस क्षेत्र में रात में घात लगायी जहां पर गुरबचन सिंह मनोचाहल के छिपने की संभावना थी। अगली सुबह (28-2-1993) श्री खुबी राम, पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) श्री गुरमीत सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक (गुप्तचर), श्री दिलबाग सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक (शहर) तरन-तारण और पुलिस उप-अधीक्षक, भीखीविन्ड के नेतृत्व में पुलिस पार्टियां बनायी गयी और श्री अजीत सिंह के पूर्ण-पर्यवेक्षण में तलाशी अभियान शुरू किए गए। जब श्री दिलबाग सिंह अपनी पार्टी के साथ सुखदेव सिंह के फार्म-हाउस के नजदीक पहुंचे तो स्वचालित हथियारों से लैस एक मध्य-वय सिख आतंकवादी बाहर आया और पुलिस कार्मिकों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और भाग गया। तुरन्त अन्य तलाशी-पार्टियों को संदेश भेजा गया। वहां पहुंचने पर इन पार्टियों ने घेराबंदी कर ली। जबकि श्री गुरमीत सिंह और पार्टी ने आतंकवादी को एक तरफ से घेरा, श्री खुबी राम और पार्टी, पानी की कूल्ह और गेहूं की फसल के बीच से होते हुए आगे बढ़े और दूसरी दिशा को कवर किया और भारी गोलीबारी शुरू कर दी, ताकि श्री गुरमीत सिंह घेरा डाल सके। श्री दिलबाग सिंह, आतंकवादी के नजदीक एक उपयुक्त स्थान पर पहुंचे और गोलियां चलायी। इसी बीच श्री अजीत सिंह ने कांस्टेबल रविन्द्र सिंह को दीवार में छेद करने के लिए कहा, ताकि आतंकवादी की गतिविधियों को कवर किया जा सके, जो उन्होंने अपने जीवन को जोखिम में डालकर किया। आतंकवादी ने अपना मोर्चा बदला और पुलिस पार्टियों पर रूक-रूक कर गोलीबारी करता रहा। श्री अजीत सिंह और पार्टी ने छेद से, आतंकवादी पर गोलियां चलायी। प्रभावी गोलीबारी के परिणामस्वरूप आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारा गया। मृतक आतंकवादी की शिनाख्त, बाद में गुरबचन सिंह मनोचहल के रूप में की गयी जो अनेक निर्दोष लोगों की हत्या करने, लूट-खसोट और अन्य जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार था। तलाशी के दौरान, मुठभेड़ के स्थान से एक जी.पी.एम.जी. राईफल, एक ए.के. 74-राईफल, 70 कारतूसों सहित एक 9 एम.एम. माउजर 50 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री, दो ड्रम मेगजीन, भारतीय/पाकिस्तानी मुद्रा और ए.के. 47 श्रेणी के 436 कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री खुबी राम, पुलिस अधीक्षक और गुरमीत सिंह पुलिस उप-अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28-2-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 65-प्रेज/96—राष्ट्रपति, मणिपुर पुलिस के निम्न-लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद
श्री याई. सुशील कुमार सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
इम्फाल जिला पुलिस।

श्री मोहम्मद इकबाल खान,
कांस्टेबल,
इम्फाल जिला पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

3 अगस्त, 1994 को लगभग 6.45 बजे अपराह्न को नियंत्रण कक्ष से सूचना मिलने के बाद उप-निरीक्षक, वाई. सुशील कुमार सिंह अपने दल, जिसमें कांस्टेबल, मोहम्मद इकबाल खान और पांच अन्य कांस्टेबल शामिल थे, के साथ पुलिस दल पर घात लगाकर हमला करने के लिए जिम्मेदार उग्रवादियों को पकड़ने के लिए रवाना हुए । पुलिस दल ने अपनी गाड़ियां एक गांव में खड़ी कर दीं और पैदल ही आगे बढ़े । लगभग एक किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद, पुलिस दल ने आगे की तरफ कोई आवाज सुनी । अपने आगे चल रहे व्यक्तियों की पहचान करने के लिए कुछ क्षण तक रुका रहा । इस पर सशस्त्र उग्रवादियों ने पुलिस दल पर गोलीबारी की और दल के कमांडर एवं कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल खान को घायल कर दिया । गोली लगने से घायल होने के बावजूद, श्री वाई. सुशील कुमार सिंह एक नाले में छिप गए और उग्रवादियों की तरफ गोलीबारी करने लगे और उन्होंने अपने दल के सदस्यों को भी निर्देश दिया कि वे भी उग्रवादियों पर गोलीबारी करते रहें । कांस्टेबल, मोहम्मद इकबाल खान ने अपने घावों की परवाह किए बिना, अपनी ए.के.-47 राईफल से गोलियां चलाईं । पुलिस दल द्वारा की गई गोलीबारी के कारण उग्रवादियों को भागने पर मजबूर होना पड़ा । तलाशी के दौरान, एक उग्रवादी मृत पाया गया जिसकी पहचान बाद में थोउनौजाम सोमाथाजीत सिंह उर्फ नीतन के रूप में की गई । घटनास्थल से गोलाबारूद के 38 राउंड के साथ एस.एल.आर के दो मैगजीन बरामद हुए ।

इस मुठभेड़ में, श्री वाई. सुशील कुमार सिंह, उप-निरीक्षक तथा मोहम्मद इकबाल खान, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3-8-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 66-प्रेज/96—राष्ट्रपति, महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद
श्री एस. एस. वलीशेट्टी,
पुलिस निरीक्षक — द्वितीय बार
बृहत्तर मुम्बई

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

27-5-1994 को लगभग 12.55 बजे डी सी बी, सी आई डी, बृहत्तर मुम्बई के श्री एस. एस. वलीशेट्टी और दो अन्य, एक जीप में क्राफोर्ड मार्केट स्थित मुख्य कार्यालय की ओर जा रहे थे । सन्त निरंकारी भवन के पास उन्होंने देखा कि लोग हड़बड़ी में भाग रहे हैं और दुकानदार अपनी दुकानों के शटर बन्द कर रहे हैं । कुछ दूरी पर एक नीली मारूति कार ने रास्ता बन्द कर रखा था—जिससे यातायात अवरूद्ध हो गया था । उन्होंने एक कान्टेसा कार को तेजी से "यू" टर्न लेते और चेम्बूर कैम्प की तरफ भागते देखा । कार में बैठे व्यक्तियों में से एक ने अपने हाथ में रिवाल्वर पकड़ा हुआ था । कुछ गड़बड़ी का आभास पाकर श्री वलीशेट्टी ने ड्राईवर को इस कार का पीछा करने का आदेश दिया । सायरन के बावजूद कार नहीं रूकी । अंततः पुलिस का चालक, कार को ओवर टेक करके उसका रास्ता रोकने में सफल हो गया । तुरन्त ही श्री वलीशेट्टी जीप से कूद पड़े और अपना परिचय देकर कार में बैठे अपराधियों को आत्मसमर्पण के लिए ललकारा । जैसे ही कार रूकी तो अपराधी उतर पड़े और भागने लगे । उनमें से एक के सिर पर एक सटकेस था और वह आगे-आगे भाग रहा था । श्री वलीशेट्टी और अन्यों ने अपराधियों का पीछा किया । रिवाल्वर-धारी व्यक्ति चिल्लाया कि वह श्री वलीशेट्टी को मार देगा और ऐसा कहकर उसने उनकी दिशा में गोली चला दी । श्री वलीशेट्टी ने अपनी सर्विस रिवाल्वर से एक राऊंड गोली चलाई, गोली उस अपराधी को लगी और वह गिर पड़ा । उन्होंने उससे हथियार छीन लिया और उसे हिरासत में लेकर अपने ड्राईवर को सौंप दिया ताकि अन्य अपराधियों का पीछा किया जा सके । उस अपराधी के पास से दो कारतूसों सहित एक देशी रिवाल्वर बरामद हुआ । इसके बाद वे दूसरे अभियुक्त के पीछे भागे जिसके उनके साथी उलझाए हुए थे । श्री वलीशेट्टी ने एक बार उस अभियुक्त की ओर गोली दागी लेकिन गोली नहीं चली और वह अभियुक्त भागने में सफल हो गया । गिरफ्तार अपराधी डकैती, लूटमार और हत्या के प्रयास के 13 मामलों में शामिल था ।

इस मुठभेड़ में, श्री एस. एस. वलीशेट्टी, पुलिस निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 27-5-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 67-प्रेज/96—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का

पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद
श्री मुकेश गुप्ता,
पुलिस अधीक्षक,
बालाघाट ।

श्री बंजारी लाल, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
8 वीं बटालियन,
एस.ए.एफ.,
छिन्दवाड़ा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 3-5-1994 को करीब 11.30 बजे पूर्वाह्न में श्री मुकेश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, बालाघाट को सूचना प्राप्त हुई कि बालाघाट जिले के जंगलों में नक्सलवादी ठहरे हुए हैं। दो दलों, जिनमें से एक का नेतृत्व श्री मुकेश गुप्ता कर रहे थे तथा दूसरे दल का नेतृत्व श्री प्रेम बाबू शर्मा कर रहे थे, ने इलाके की तलाशी शुरू कर दी । दोनों दल चुपके से पहाड़ी के ऊपर चले गए और उनके छिपने के अड्डे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया । जैसे ही वे घेरा पूरा करने वाले थे, उसी समय नक्सलवादियों ने पुलिस कार्मिकों को आते देख लिया और पुलिस दलों पर स्वचालित हथियारों से भारी गोला-बारी शुरू कर दी और हथगोले फेंके । पुलिस कार्मिकों ने आत्मसुरक्षा में गोली चला कर जवाबी गोली-बारी की । 45 मिनट तक दोनों ओर से भारी गोली-बारी होती रही । जिस समय गोली-बारी चल रही थी, बच कर भाग निकलने के उद्देश्य से दो नक्सलवादी पास के नाले की ओर भागे। ऐसा होते देख श्री मुकेश गुप्ता अपनी ए.के.-47 राइफल सहित आगे बढ़े और उनके ठीक पीछे-पीछे कांस्टेबल बंजारी लाल चलते गए । अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों गोलियां चलाते हुए उग्रवादियों की ओर बढ़ते गए । इस प्रक्रिया में, श्री बंजारी लाल को एक गोली लग गई परन्तु उन्होंने नक्सलवादियों पर गोली चलाना जारी रखा । तत्पश्चात्, श्री गुप्ता और श्री बंजारी लाल ने नक्सलवादियों पर पुनः भारी गोली-बारी की और उनमें से दो को मार गिराया ।

इस बीच, श्री प्रेम बाबू शर्मा के नेतृत्व वाले अन्य दल पर भी भारी गोली-बारी की गई । क्योंकि श्री शर्मा वाला दल एक सुभेद्य स्थान पर था, इसलिए नक्सलवादी अधिक आक्रामक हो गए और उन्होंने उनकी ओर हथगोले फेंकने शुरू कर दिए । इस बात का अहसास करते हुए कि उनका दल खतरे में है, श्री शर्मा ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपनी जगह से हट कर नक्सलवादियों पर अपनी ए.के.-47 राइफल से भारी गोली-बारी की और उनको शान्त कर दिया । ऐसा होते देख कर, श्री शेखरानन्द भी अपनी सुरक्षित आड़ से बाहर निकल आए और पहाड़ी की दूसरी ओर चले गए तथा नक्सलवादियों पर गोली-बारी की और उनके बच कर भाग निकलने का रास्ता रोक दिया । उन्होंने नक्सलवादियों पर हथगोले भी फेंके । दोनों अधिकारी नक्सलवादियों पर लगातार गोली-बारी करते रहे और उन दोनों को मार गिराया । तथापि, अन्य नक्सलवादी जंगल में बच कर भाग निकलने में सफल हो गए । तलाशी लेने पर तीन मैगजीनों सहित तीन ए.के.-47 राइफलें, एक .303 बोर की राइफल, एक .12 की बोर की डबल बैरल गन, एक .12 बोर की सिंगल बैरल गन, लैण्ड माईन चार्जर तथा बड़ी संख्या में हथगोले उन मृत नक्सलवादियों से बरामद किए गए। । अत्यधिक खून बह जाने के कारण कांस्टेबल बंजारी लाल की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई ।

इस मुठभेड़ में, श्री मुकेश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक और (दिवंगत) श्री बंजारी लाल, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3-5-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 68-प्रेज/96—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद
श्री आर. के. गुप्ता,
अपर पुलिस अधीक्षक,
जबलपुर ।

श्री हरदास बैरागी,
नगर पुलिस अधीक्षक,
जबलपुर ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

26-9-1994 को पुलिस अधीक्षक जबलपुर को यह सूचना मिली कि कुछ आतंकवादियों ने पाल चौक पर एक पुलिस उप निरीक्षक तथा एक अन्य नागरिक को गोली मार दी है । पुलिस अधीक्षक ने रेड अलर्ट घोषित कर दिया और घटनास्थल पर पहुंच गए । तत्पश्चात्, उन्हें पता चला कि गोलीबारी के बाद आतंकवादी पहाड़ी क्षेत्र की ओर भागे हैं ।

पुलिस दलों ने बचकर भागने के अधिकांश मार्गों को कवर कर लिया था । दो दलों को पहाड़ी क्षेत्रों की जांच के लिए भेजा गया—एक दल श्री आर के गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक के और दूसरा दल, श्री हरदास बैरागी, नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में । जैसे ही ये दल दो दिशाओं से, छिपने के स्थान पर पहुंचे, आतंकवादियों ने उन्हें देख लिया और स्वचालित हथियारों से गोलियां चलानी शुरू कर दीं। दोनों ही दलों ने आत्मरक्षा में जवाबी गोलियां चलायीं। तब श्री गुप्ता ने आतंकवादियों को समर्पण की चेतावनी दी परन्तु उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दीं।

श्री गुप्ता और श्री बैरागी ने दो महत्वपूर्ण स्थानों पर मोर्चा जमा लिया और कांस्टेबल संतोष सिंह ने तीसरे महत्वपूर्ण स्थान पर पोजीशन ले ली। उन सभी ने आतंकवादियों पर भारी गोलीबारी की। श्री गुप्ता ने अपनी एल एम जी से दो चक्र गोलियां चलाईं। भारी गोलीबारी के परिणामस्वरूप एक आतंकवादी ने बचकर भागने की कोशिश की। परन्तु श्री गुप्ता ने उस आतंकवादी पर गोलियां चला दीं और एक गोली उसकी बाईं बांह में जा लगी। कांस्टेबल संतोष सिंह के साथ एक संक्षिप्त मुठभेड़ के बाद आतंकवादी के सीने में बाईं ओर गोली लगी। साथ ही साथ श्री बैरागी ने घायल आतंकवादी पर गोली चलाई और उसे वहीं ढेर कर दिया। तथापि दूसरा आतंकवादी पहाड़ी भू-भाग की आड़ में बचकर भाग निकलने में सफल हो गया।

इसी बीच, घेराबंदी करने वाले एक दल ने तीसरे आतंकवादी को पकड़ लिया। मारे गए आतंकवादी की पहचान बाद में पंजाब के के. सी. एफ. ग्रुप के एक खतरनाक आतंकवादी गुरमेल सिंह के रूप में हुई। तलाशी के दौरान, मारे गए आतंकवादी के पास से एक ए. के.-56 राईफल और खाली/भरे कारतूस बरामद किए गए।

कांस्टेबल संतोष सिंह, जिसने इस मुठभेड़ में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था, को बिना बारी के तरक्की दी गई है।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री आर. के. गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक और हरदास बैरागी, नगर पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 26-9-1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 69-प्रेज/96—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री प्रेम बाबू शर्मा,
पुलिस उप-अधीक्षक,
बालाघाट।

श्री शंकरा नन्द,
प्लाटून कमांडर,
8वीं बटालियन,
एस. ए. एफ.,
छिन्दवाड़ा।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

दिनांक 3-5-1994 को करीब 11.30 बजे पूर्वाह्न में श्री मुकेश गुप्ता, पुलिस अधीक्षक, बालाघाट को सूचना प्राप्त हुई कि बालाघाट जिले के जंगलों में नक्सलवादी ठहरे हुए हैं। दो दलों, जिनमें से एक का नेतृत्व श्री मुकेश गुप्ता कर रहे थे तथा दूसरे दल का नेतृत्व श्री प्रेम बाबू शर्मा कर रहे थे, ने इलाके की तलाशी करनी शुरू कर दी। दोनों दल चुपके से पहाड़ी के ऊपर चले गए और उनके छिपने के अड्डे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वे घेरा करने वाले थे, उसी समय नक्सलवादियों ने पुलिस कार्मिकों को आते देख लिया और पुलिस दलों पर स्वचालित हथियारों से भारी गोली-बारी शुरू कर दी और हथगोले फैंके। पुलिस कार्मिकों ने आत्मसुरक्षा में गोली चला कर जवाबी गोली-बारी की। 45 मिनट तक दोनों ओर से भारी गोली-बारी होती रही। जिस समय गोली-बारी चल रही थी, बच कर भाग निकलने के उद्देश्य से दो नक्सलवादी पास के नाले की ओर भागे। ऐसा होते देख श्री मुकेश गुप्ता अपनी ए. के.-47 राईफल सहित आगे बढ़े और उनके ठीक पीछे-पीछे कांस्टेबल बंजारी लाल चलते गए। अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों गोलियां चलाते हुए उग्रवादियों की ओर बढ़ते गए। इस प्रक्रिया में, श्री बंजारी लाल को एक गोली लग गई परन्तु उन्होंने नक्सलवादियों पर गोली चलाना जारी रखा। तत्पश्चात्, श्री गुप्ता और श्री बंजारी लाल ने नक्सलवादियों पर पुनः भारी गोली-बारी की और उनमें से दो को मार गिराया।

इस बीच, श्री प्रेम बाबू शर्मा के नेतृत्व वाले अन्य दल पर भी भारी गोली-बारी की गई। क्योंकि श्री शर्मा वाला दल एक सभेद्य स्थान पर था, इसलिए नक्सलवादी अधिक आक्रामक हो गए और उन्होंने उनकी ओर हथगोले फैंकने शुरू कर दिए। इस बात का अहसास करते हुए कि उनका दल खतरे में है, श्री शर्मा ने अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना अपनी जगह से हट कर नक्सलवादियों पर अपनी ए. के.-47 राईफल से भारी गोली-बारी की और उनको शांत कर दिया। ऐसा होते देख कर, श्री शंकरानन्द भी अपनी सुरक्षित जगह से बाहर निकल आए और पहाड़ी की दूसरी ओर चले गए तथा नक्सलवादियों पर गोली-बारी की और उनके बच कर भाग निकलने का रास्ता रोक दिया। उन्होंने नक्सलवादियों पर हथगोला भी फेंके। दोनों अधिकारी नक्सलवादियों पर लगातार गोलीबारी करते रहे और उन दोनों को मार गिराया। तथापि, अन्य नक्सलवादी जंगल में बच कर भाग निकलने में सफल हो गए। तलाशी लेने पर तीन मैगजीनों सहित तीन ए. के.-47 राईफलें, एक .303 बोर की राईफल, एक .12 बोर की डबल बैरल गन, .12 बोर की सिंगल बैरल गन, हैण्ड ग्रेनेड चार्जर तथा बड़ी संख्या में कारतूस उन मृत नक्सलवादियों से बरामद किए गए। अत्यधिक खून बह जाने के कारण कांस्टेबल बंजारी लाल की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री पी. बी. शर्मा, पुलिस उप-अधीक्षक और शंकरानन्द, प्लाटून कमाण्डर ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 3-5-1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 70-प्रेज/96—राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री मोहम्मद रफीक खान,
सहायक पुलिस-उप-निरीक्षक,
जिला-पुंछ।

श्री मोहम्मद सलीम खान,
एस. जी. कांस्टेबल,
जिला-पुंछ।

श्री बशीर अहमद,
कांस्टेबल,
जिला-पुंछ।

मेहर सिंह
कांस्टेबल,
जिला-पुंछ।

श्री भरत सिंह,
कांस्टेबल,
जिला-पुंछ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

20 सितम्बर, 1994 को भाटा धीरियां मेंधर में कुछ उग्रवादियों की उपस्थिति के बारे में सूचना प्राप्त होने पर, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक, मोहम्मद रफीक खान, एस. जी. कांस्टेबल मोहम्मद सलीम खान, कांस्टेबल बशीर खान, कांस्टेबल मेहर सिंह और कांस्टेबल भरत सिंह के साथ उन्हें बाहर खदेड़ने के लिए उस स्थान की ओर चल पड़े। उनके छिपने के ठिकाने पर पहुंचने के बाद, पुलिस दल ने उन्हें आत्म-समर्पण करने के लिए कहा। समर्पण करने के बजाए, उग्रवादियों ने गोलीबारी की और उन पर हथगोले फेंके। पुलिस दल ने भी इसका जवाब दिया और पुलिस एवं उग्रवादियों के बीच लगभग दो घंटे तक परस्पर गोलीबारी होती रही। सहायक उप-निरीक्षक खान के नेतृत्व वाले पुलिस दल ने अंततः दोनों उग्रवादियों को मार गिराया। उनके पास से अन्य आपत्तिजनक सामग्री के साथ-साथ निम्नलिखित हथियार एवं गोला-बारूद बरामद किया गया।

(1) राकेट फिटेड फायर के साथ राकेट लांचर
(2) ए. के.-56 राइफलें 3
(3) चीन निर्मित 9 एम. एम. पिस्तौल 2
(4) हथ गोले 4
(5) पिस्तौल कारतूस 30
(6) ए. के.-56 कारतूस 200

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री मोहम्मद रफीक खान, सहायक उप-निरीक्षक, मोहम्मद सलीम खान, कांस्टेबल, बशीर अहमद, कांस्टेबल मेहर सिंह और भरत सिंह कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 20-9-94 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 71-प्रेज/96—राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री अब्दुल रशीद मीर, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल सं. 434/सी. आर.
कश्मीर।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

28 फरवरी, 1995 को 2 ग्रेनेडियर्स, उत्तरी कमान ने बन्दागाम गांव से हिजबुल मुजाहिदीन के खूंखार उग्रवादियों को बाहर खदेड़ने के लिए विशेष तलाशी अभियान चलाया। तलाशी अभियान को सफल बनाने के उद्देश्य से सुरक्षा बलों को उग्रवादियों के छिपने के स्थान तक पहुंचाने के लिए कांस्टेबल मीर स्वयं आगे आए। उन्होंने स्वयं तलाशी दल की तैनाती की तथा इस प्रकार का प्रभावकारी चक्र व्यूह रचा ताकि कोई भी उग्रवादी बच कर न भाग पाए। छापे के दौरान दो उग्रवादियों ने बचकर भाग निकलने की कोशिश की परन्तु तलाशी दल ने उन्हें मार गिराया। इस बीच, कांस्टेबल मीर ने एक और उग्रवादी को छिपे हुए देखा और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। चूंकि उससे कोई उत्तर नहीं मिल रहा था, इसलिए कांस्टेबल मीर अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर उग्रवादी से राइफल छीनने के उद्देश्य से तेजी से आगे भागे। अपने मोर्चे का लाभ उठाकर उग्रवादी ने गोली चला दी और इस पुलिस कर्मी को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी बाद में घावों के कारण मृत्यु हो गई। इस अभियान के दौरान सेना ने 18 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया और उनसे एक ए. के. राईफल, 3 मैगजीनें तथा 67 राउण्ड बरामद किए।

इस मुठभेड़ में (दिवंगत), श्री ए. आर. मीर, कांस्टेबल ने अदम्य साहस, वीरता और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 28-2-1995 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 72-प्रेज/96—राष्ट्रपति, गुजरात पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री आर. एच. हादिया,
पुलिस उप-निरीक्षक,
सूरत शहर ।

श्री जे. के. पटेल,
हेड-कांस्टेबल,
सूरत शहर ।

संवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

30 नवम्बर 1994 को, उप-निरीक्षक, हादिया और हेड कांस्टेबल पटेल, हत्या के एक मामले की छानबीन करने के बाद, पटना-पुरी एक्सप्रेस के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में वापस लौट रहे थे । मध्य रात्रि में, 6 सशस्त्र लुटेरे कम्पार्टमेंट में घुस आए और यात्रियों पर झपट पड़े और धन, जेवरात तथा अन्य कीमती सामान मांगने लगे । सर्वश्री ईश्वर दयाल सिंह और रामपाल सिंह, दोनों स्वतंत्रता सेनानी, जो इसी कम्पार्टमेंट में यात्रा कर रहे थे, पर भी हमला किया गया । लुटेरों ने धमकी दी कि यदि वे अपना सामान उन्हें नहीं देंगे तो उन्हें मार दिया जाएगा । पुलिस कार्मिकों द्वारा ललकारे जाने पर एक डकैत ने श्री हादिया का कालर पकड़ लिया और उनके गले पर रेजर टिका दिया जबकि श्री पटेल अन्यों से भिड़ पड़े । अपने आपको रेजर के हमले से बचाने के लिए श्री हादिया ने अपना सर्विस रिवाल्वर बाहर निकाला और एक डकैत को गोली मारी । बदले में श्री हादिया के चेहरे पर रेजर से घाव कर दिया गया । लुटेरे डर गए और कम्पार्टमेंट से भागे । उनमें से दो बाथरूम की तरफ भागे और एक अन्य ने चलती गाड़ी से बाहर छलांग लगा दी । सर्वश्री हादिया और पटेल ने उनकी धमकी भरी चेतावनी की परवाह किए बिना उनका पीछा किया और दो भगोड़ों को बाथरूम में बंद कर दिया । अंततः जब गाड़ी आसनसोल स्टेशन पर रुकी तो स्थानीय रेलवे पुलिस ने बाथरूम से बदमाशों को गिरफ्तार किया। बाद में, शेष अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक की चलती गाड़ी से छलांग लगाने से मृत्यु हो गयी । सभी अभियुक्त अनेक गंभीर अपराधों में वांछित थे ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री आर. एच. हादिया, उप-निरीक्षक और जे. के. पटेल, हेड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 30-11-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 73-प्रेज/96—राष्ट्रपति, बिहार पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री एस. बी. शर्मा,
पुलिस निरीक्षक,
हाजीपुर पुलिस स्टेशन ।

श्री डी. एस. राय,
पुलिस उप-निरीक्षक,
हाजीपुर पुलिस स्टेशन ।

श्री जे. यू. खान,
हवलदार,
हाजीपुर पुलिस स्टेशन ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

8 जुलाई, 1994 को करीब 4.00 बजे अपराह्न श्री एस. बी. शर्मा, निरीक्षक को कुछ सशस्त्र अपराधियों के चाहाटा इलाके में मौजूद होने के बारे में सूचना प्राप्त हुई । श्री शर्मा ने अपने नेतृत्व में तुरन्त एक छापामार दल तैयार किया और अपराधियों के छिपने के स्थान का पता लगाया । एक व्यक्ति जो उस घर के सामने खड़ा हुआ था, ने पुलिस दल पर अपने सर्विस रिवाल्वर से दो राउण्ड फायर किए । छिपे हुए अपराधियों को बाहर निकालने के उद्देश्य से, दयाशंकर राय, उप-निरीक्षक, हवलदार जलालुद्दीन खान और कांस्टेबल चौरसिया सहित श्री शर्मा उस घर में घुस गए और शेष बल को बाहर निकलने के सभी रास्तों को सील कर देने का आदेश दिया, परन्तु अपराधी एक घने बाग में बच कर भाग गए । अपना पीछा होते देख अपराधियों ने बाग में मोर्चा ले लिया और पुलिस दल पर भारी-गोली-बारी करनी शुरू कर दी । गोली-बारी के दौरान, श्री शर्मा की दाईं कुहनी में गोली लगने से घाव हो गए फिर भी उन्होंने अपने सर्विस रिवाल्वर से दो राउण्ड गोली चलाई । इस बीच, उप-निरीक्षक राय की दाहिनी टांग में गोली लगी, फिर भी उन्होंने अपनी सर्विस रिवाल्वर से दो राउण्ड गोली चलाई । कोई और रास्ता न देख कर श्री शर्मा ने अपने दल के सदस्यों को जवाब में गोली-बारी करने का आदेश दिया । उप-निरीक्षक राय, हवलदार खान और अन्य साथियों ने अपराधियों पर गोलियां चलाईं । अन्त में, मुठभेड़ के स्थान से दो रिवाल्वर और कारतूसों सहित चार शव बरामद हुए । चार अपराधियों में से दो की पहचान देव चन्द्र झा और राज

नन्दन सिंह के रूप में की गई जिसकी कई बैंक डकैतियों, हत्याओं और लूटपाट के मामलों में तलाश थी ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री एस. वी. शर्मा, निरीक्षक, डी. एस. राय, उप-निरीक्षक तथा जे. यू. खान, हवलदार ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 8-7-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 74-प्रेज/96—राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री रजिन्दर सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
दिल्ली पुलिस ।

श्री ओम प्रकाश,
हैड कांस्टेबल,
दिल्ली पुलिस ।

श्री बिजेन्दर सिंह,
कांस्टेबल,
दिल्ली पुलिस ।

श्री दिनेश कुमार,
कांस्टेबल,
दिल्ली पुलिस ।

श्री प्रेम चंद,
कांस्टेबल,
दिल्ली पुलिस ।

श्री हरि भूषण,
कांस्टेबल,
दिल्ली पुलिस ।

श्री सुमेर सिंह,
कांस्टेबल,
दिल्ली पुलिस ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

15-9-94 को सूचना मिली कि बृज मोहन त्यागी अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के बीच आतंक पैदा करने के लिए जाएगा । श्री एल. एन. राव निरीक्षक के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय दल जिसमें सर्वश्री राजिन्दर सिंह, ओम प्रकाश, हैड कांस्टेबल, प्रेमचंद, हरिभूषण, बिजेन्दर सिंह, दिनेश कुमार तथा सुमेर सिंह, कांस्टेबल थे, उचित ब्रीफिंग के बाद चार गाड़ियों में निकल पड़े । पुलिस दल वायरलेस सेट से सुसज्जित प्राइवेट गाड़ियों में निकला । लगभग 1.15 बजे अपराह्न को एक मारूति कार खालसा कालेज के निकट घूमती हुई देखी गई । श्री राव को इस कार में सबसे अगली सीट पर ड्राइवर की बगल में बैठे व्यक्ति का बृज मोहन होने का संदेह हुआ इसलिए उन्होंने उस वाहन का पीछा किया । यह सन्देहास्पद मारूति कार सारी रेड लाईट्स को पार करती हुई भाग रही थी इसलिए उसके आंखों से ओझल हो जाने के भय से श्री राव ने हैड कांस्टेबल ओम प्रकाश और कांस्टेबल हरिभूषण के साथ जिप्सी में बैठे उपनिरीक्षक, श्री राजिन्दर सिंह को इस मारूति को रोकने का आदेश दिया । तदनुसार, कार के ड्राईवर हरिभूषण ने इस मारूति को ओवरटेक किया और उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया । तुरन्त उप-निरीक्षक राजिन्दर सिंह, हैड कांस्टेबल, ओम प्रकाश ने संदिग्ध व्यक्तियों को भागने से रोकने के लिए पोजीशन ले ली और तब उन्हें बाहर आने के लिए कहा। इसी बीच, इंस्पेक्टर श्री राव ने कांस्टेबल बिजेन्दर सिंह तथा सुमेर सिंह के साथ संदिग्ध कार के पिछले भाग में टक्कर मारी और कार को चारों तरफ से घेर लिया तथा इसमें बैठे लोगों को बाहर आने का आदेश दिया । इस पर, अपराधियों ने पुलिस दलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और श्री राव कांस्टेबल, बिजेन्दर सिंह और अन्य तीन व्यक्तियों को जख्मी कर दिया । श्री राव ने बांयी कलाई में गोली से घाव हो जाने के बावजूद अपराधियों पर गोलाबारी की । श्री बिजेन्दर सिंह ने बदमाशों को उलझाए रखा और कई राउण्ड गोलियां चलाईं । कांस्टेबल सुमेर सिंह ने घायल श्री राव को उपयुक्त रूप से कवर किया और उनकी मदद की, जबकि कांस्टेबल, दिनेश कुमार ने कांस्टेबल बिजेन्दर सिंह को कवर किया जो बुरी तरह जख्मी हो गए थे । उसी क्षण, दूसरी गोली श्री राव के पेट में लगी, इसके बावजूद, उन्होंने मुठभेड़ में अपने दलों का नेतृत्व किया । उप-निरीक्षक, राजिन्दर सिंह, हैड कांस्टेबल, ओम प्रकाश, कांस्टेबल, हरि भूषण और प्रेमचंद ने अपराधियों को बांयीं तरफ से तथा सामने की तरफ से उलझाए रखा । 10 मिनट के बाद कार से गोलीबारी रुक गई । कार की तलाशी करने पर दो व्यक्ति घायल पाए गए जिन्हें घायल पुलिस कार्मिकों और लोगों के साथ तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया । घायल अपराधियों की पहचान बृज मोहन त्यागी तथा अनिल मल्होत्रा के रूप में की गई जिन्हें मृत लाया घोषित किया गया । मृतकों के पास से सक्रिय कारतूसों के साथ एक .9 एम. एम. की आयातित पिस्तौल तथा .32 बोर की एक वेबली रिवाल्वर बरामद हुई।

श्री एल. एन. राव, निरीक्षक का आपरेशन किया गया और नाजुक हालत में इन्टेंसिव केयर यूनिट में रखा गया जबकि श्री ओम प्रकाश और श्री बिजेन्दर सिंह का भी आपरेशन किया गया और उन्हें लगी गोलियां निकाली गईं ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री राजिन्दर सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, ओम प्रकाश, हैड कांस्टेबल, बिजेन्दर सिंह, कांस्टेबल, दिनेश कुमार, कांस्टेबल, प्रेमचन्द, कांस्टेबल, हरिभूषण, कांस्टेबल और सुमेर सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस एवं कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15-9-1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं. 75-प्रेज/96—राष्ट्रपति, दिल्ली पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री लक्ष्मी नारायण राव, प्रथम बार
पुलिस निरीक्षक,
दिल्ली पुलिस।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

15-9-94 को सूचना मिली कि बृज मोहन त्यागी अपने सहयोगियों के साथ, दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में विद्यार्थियों के बीच आतंक पैदा करने के लिए जाएगा। श्री एल. एन. राव निरीक्षक के नेतृत्व में एक 11 सदस्यीय दल जिसमें सर्वश्री राजिन्दर सिंह, ओम प्रकाश, हैड कांस्टेबल, प्रेमचंद, हरिभूषण, बिजेन्दर सिंह, दिनेश कुमार तथा सुमेर सिंह, कांस्टेबल थे, उचित ब्रीफिंग के बाद चार गाड़ियों में निकल पड़े। पुलिस दल वायरलेस सेट से सुसज्जित प्राइवेट गाड़ियों में निकला। लगभग 1.15 बजे अपराह्न को एक मारूति कार खालसा कालेज के निकट घूमती हुई देखी गई। श्री राव को इस कार में सबसे अगली सीट पर ड्राइवर की बगल में बैठे व्यक्ति का बृज मोहन होने का संदेह हुआ इसलिए उन्होंने उस वाहन का पीछा किया। यह सन्देहास्पद मारूति कार सारी रेड लाईट्स को पार करती हुई भाग रही थी इसलिए उसके आंखों से ओझल हो जाने के भय से श्री राव ने हैड कांस्टेबल ओम प्रकाश और कांस्टेबल हरिभूषण के साथ जिप्सी में बैठे उप-निरीक्षक, श्री राजिन्दर सिंह को इस मारूति को रोकने का आदेश दिया। तदनुसार, कार के ड्राइवर हरिभूषण ने इस मारूति को ओवरटेक किया और उसका रास्ता अवरुद्ध कर दिया और उसे रूकने पर मजबूर कर दिया। तुरन्त उप-निरीक्षक, राजिन्दर सिंह, हैड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने संदिग्ध व्यक्तियों को भागने से रोकने के लिए पोजीशन ले ली और तब उन्हें बाहर आने के लिए कहा। इसी बीच, इंस्पेक्टर श्री राव ने कांस्टेबल बिजेन्दर सिंह तथा सुमेर सिंह के साथ संदिग्ध कार के पिछले भाग में टक्कर मारी और कार को चारों तरफ से घेर लिया तथा इसमें बैठे लोगों को बाहर आने का आदेश दिया। इस पर, अपराधियों ने पुलिस दलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और श्री राव, कांस्टेबल, बिजेन्दर सिंह और अन्य तीन व्यक्तियों को जख्मी कर दिया। श्री राव ने बांयी कलाई में गोली से घाव हो जाने के बावजूद अपराधियों पर गोलाबारी की। श्री बिजेन्दर सिंह ने बदमाशों को उलझाए रखा और कई राउण्ड गोलियां चलाई। कांस्टेबल सुमेर सिंह ने घायल श्री राव को उपयुक्त रूप से कवर किया और उनकी मदद की, जबकि कांस्टेबल, दिनेश कुमार ने कांस्टेबल बिजेन्दर सिंह को कवर किया जो बुरी तरह जख्मी हो गए थे। उसी क्षण, दूसरी गोली श्री राव के पेट में लगी, इसके बावजूद, उन्होंने मुठभेड़ में अपने दलों का नेतृत्व किया। उप-निरीक्षक, राजिन्दर सिंह, हैड कांस्टेबल, ओम प्रकाश, कांस्टेबल, हरिभूषण और प्रेमचंद ने अपराधियों को बांयी तरफ से तथा सामने की तरफ से उलझाए रखा। 10 मिनट में गोलीबारी रूक गई। कार की तलाशी करने पर दो व्यक्ति घायल पाए गए जिन्हें घायल पुलिसकर्मियों और लोगों के साथ तुरन्त अस्पताल पहुंचाया गया। घायल अपराधियों की पहचान बृज मोहन त्यागी और अनिल मल्होत्रा के रूप में की गई जिन्हें मृत लाया घोषित किया गया। मृतकों के पास से सक्रिय कारतूसों के साथ एक .9 एम. एम. की आयातित पिस्तौल तथा .32 बोर की एक देशी रिवोलवर बरामद हुई।

श्री एल. एन. राव, निरीक्षक का आपरेशन किया गया और नाजुक हालत में इन्टेंसिव केयर यूनिट में रखा गया जबकि श्री ओम प्रकाश और श्री बिजेन्दर सिंह का भी आपरेशन किया गया और उन्हें लगी गोलियां निकाली गई।

इस मुठभेड़ में, श्री लक्ष्मी नारायण राव, पुलिस निरीक्षक ने अदम्य साहस एवं कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 15-9-1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

The 20th May 1996

No. 27-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Central Industrial Security Force :—

PRESIDENT'S SECRETARIAT

Shri V. K. Patel,
Sub-Inspector,
CISF Unit, BHEL,
Bhopal.

Shri S. Meenakethanan Nair, (Posthumous)
Constable,
CISF Unit, BHEL,
Bhopal.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 12th December, 1992, CISF patrolling parties, deployed to curb communal violence were attacked near Piplani, Bhopal. Shri Patel and another Constable, members of one party proceeded courageously to apprehend the rioters. Suddenly, one of the rioters hit S. I. Patel with a deadly weapon causing grievious injury. Seeing this Constable T. Mukesh fired one round from his rifle to keep the assailants under control. Within no time other members of the police party surrounded the assailants and arrested them alongwith deadly weapons.

In the same settlement, Constable S. Meenakethanan Nair, a member of another party, took lead to apprehend the rioters. Suddenly some rioters from the nearby area emerged and isolated Constable Nair. Inspite of tough resistence Shri Nair was slashed on his face by one of the rioters. When other rioters advanced towards the remaining party, S. I. Anil Kumar opened fire and arrested them alongwith the deadly weapons.

Constable Nair, was rushed to the hospital where he breathed his last.

In this encounter S/Shri V. K. Patel, Sub Inspector and (Late) S. Meenakethanan Nair, constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 12-12-1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 28-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of Indo-Tibetan Border Police :—

NAME AND RANK OF OFFICERS

Shri Mangal Singh,
Second-in-Command,
2 Battalion
I.T.B.P.

Shri Tara Singh,
Naik,
19 Battalion,
I.T.B.P.

Shri Kulwant Singh,
Constable,
19 Battalion,
I.T.B.P.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 22-1-1995, Shri Mangal Singh, Second-in-Command of 2nd Battalion, ITBP received information about the presence of a hard-core militant Rehman Jantry Deka alongwith his body-guard Bashir Ahmed Deka in a Village in District Anantnag. An operation was planned by ITBP to nab the militants.

On 23-1-1995 in the early hours, an assault group under the command of Shri Mangal Singh alongwith others (including Naik Tara Singh and Constable Kulwant Singh) encircled the particular house, where the militants were hiding. Noticing the presence of ITBP personnel, the militants started indiscriminate firing with automatic weapons. The raiding party also returned fire, with the intention to make the militants to exhaust their ammunition. After noticing that the firing from the militants had stopped, Shri Mangal Singh alongwith Naik Tara Singh and Constable Kulwant Singh broke open the door. On seeing the militants struggling with the magazine of their weapon, which had developed some snag, in quick reflexes, Shri Mangal Singh hit them on the head and on their hands, with the help of S/Shri Tara Singh and Kulwant Singh, over-powered them. One AK-56 Rifle, one hand-grenade and some ammunition were recovered from their possession. One of the arrested militant Rehman Jantry Deka, was a self-styled Area Commander of Ekhwan-Ul-Musalmeen and both were involved in many heinous crimes.

In this encounter S/Shri Mangal Singh, Second-in-Command, Tara Singh, Naik, & Kulwant Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 22-1-1995.

G. B. PRADHAN
Director

No. 29-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers the Indo-Tibetan Border Police :—

NAME AND RANK OF OFFICER

Shri Bhagat Ram, (Posthumous)
Havildar/RO,
23 Battalion, ITBP.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 22-5-1994 Shri Bhagat Ram, was proceeding to his village from Kullu on leave. He boarded the Kullu-Mandi-Kotli bus. The bus was fully packed with passengers, it rolled down the steep slope near village kotli. In the process, most of the passengers were injured, some very seriously. Shri Bhagat Ram also broke his right arm. Most of the passengers (including Shri Bhagat Ram) managed to pull themselves out of the ill fated bus by breaking the window screens and the door. Shri Bhagat Ram, inspite of injury, rushed towards the bus, got inside and pulled out two trapped passengers. Again on hearing the cries of a child, he further moved towards the trapped child. Within seconds, the bus caught fire due to spillage of oil and both Shri Bhagat Ram and the child were engulfed in the fire and died on the spot. Thus, Shri Bhagat Ram made supreme sacrifice of his life while saving the life of a trapped child.

In this encounter (Late) Shri Bhagat Ram, Havildar/RO displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 22-5-1994.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 30-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the *Indo-Tibetan Border Police* :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Suresh Kumar (Posthumous)
Constable,
Support Battalion
(attached to 19 BN)
I. T. B. P.

Shri Karamat Ullah
Constable
Support Battalion
(Aattached to 19 BN)
I. T. B. P.

Statement of Services for which the decoration has been awarded :—

On 18-12-1994, The ITBP team deployed in Village Larnu (J & K) received information that a dreaded terrorist was hiding in Village Halan. A party of 10 Constables led by an Inspector left for search/raid. On reaching there, they came to know that the terrorist was hiding in the house of one Abdul Majeed Wani. After cordoning the house, they challenged the terrorist to surrender. On this, Shri Wani and his family came out of the house, and informed the party that the terrorist was hiding in the basement of the house. However, in the meantime the terrorist changed his position and started firing on the ITBP party with his automatic weapon. The ITBP party returned the fire but it could not do any harm to the terrorist as he was entrenched in the house. There upon, the Team Commander decided that the team would enter the house to arrest the terrorist : S/Shri Suresh Kumar and Karamat Ullah volunteered to enter the house. Constable Suresh Kumar opened the lid type door on the upper floor while Constable karamat Ullah took position to give covering fire. On the door being opened, the terrorist who was hiding between fire-wood logs, opened, fire at him. The bullets hit on the head of Shri Kumar and he died on the spot. Constable Karamat Ullah thereupon tried to tackle the militant independently. In the meanwhile the villagers who heard the gunshort, came out in large numbers and made the militant to surrender his AK-56 Rifle. However, while coming down, the terrorist clevery picked up the SLR of the dead Constable and started firing. He then tried to search Constable Karamat Ullah and opened fire on him. Shri Karamat Ullah promptly took cover and stretched himself to reach the muzzle of the SLR Rifle and pulled the muzzle with such a force that the terrorist alongwith Rifle came tumbling down. After grabing his Rifle, he pounced upon the terrorist and over powered him.

In this encounter (Late) Shri Suresh Kumar, Constable and Karamat Ullah, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 18-12-1994.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 31-Pers/96.—The President is pleased to award the President's Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the *Central Reserve Police Force* :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Shiv Prasad Choubey.
Lance Naik,
109 Bn.,
Central Reserve Police Force,
Nizamabad (A. P.)

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 10-9-93 at about 0130 hours Lance Naik Shiv Prasad Choubey detailed alongwith one Section of CRPF personnel and Civil Police for patrolling duty, received information that six persons of PWG headed by Dalam Commander Swamy are attending a feast in a village under Jakaranpalli P. S. The police party rushed to the spot and surrounded the house. The naxalites inside the house started opening fire. Shri S. P. Choubey advanced to lob grenades but was impeded by heavy automatic fire from inside the house. The police party managed to reach near the house and fired through the windows. In the meantime one Constable of Civil Police dared to gatecrash into the house but was shot dead on the spot. When Shri Choubey gave covering fire to remove the body, he sustained bullet injuries in his right supract region but despite his injuries he brought effective firing which inflicted casualities on the naxalites. On search of the area, 5 dead bodies were recovered who were identified as Prabhakar (Dy. Comndr. of Dalam), Gopi, Kranti @ Kenduru, Jyoti @ Puspa and Padma @ Pushpa from whose possession 3 Nos. 303 rifles, 1 SLR, 2 Nos. 12 bore gun, one 410 masket, 2 HE 36 hand grenades were recovered.

In this encounter Shri Shiv Prasad Choubey, Lance Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of president's Police Medal and consequently, carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 10-9-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 32-Press/96—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

NAME ANR RANK OF THE OFFICER

Shri Kuldeep Singh.
Constable,
49 Bn.,
Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 12-4-93 Constable Kuldeep Singh was detailed for protection duty of purchase party. At about 1120 hours some unindentified militants fired with automatic weapons on the police party in which one Constable was injured. Immediately the police party took position. In the meantime Constable Kuldeep Singh spotted a militant who was about to throw a hand grenade on the police party and without wasting a single second, he pounced upon the militant and at great

risk to his life, snatched the ARGES hand grenade No. 69 from him and along with another Constable fired on the militant and shot him dead. One more militant was also killed by another Constable. The dead militants were identified as Nazir Ahemed Mir of JKLF and Fayaz Ahmed Dhar.

In this encounter Shri Kuldeep Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 12-4-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 33-Pres/96—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Balwinder Singh,
Constable (GD),
16 Bn.,

Central Reserve Police Force.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On 12-10-93 two Section of CRPF personnel including Const. Balwinder Singh were deployed in Senapati Distt. from 0700 hours for checking of passengers. Suddenly 2 terrorists overpowered a Naik and tried to snatch away the SLR. Seeing the Naik resisting to it, 6 more terrorists joined and succeeded in snatching the rifle. Constable Balwinder Singh, who was on duty nearby heard the shout for help from the Naik and immediately opened fire from his GF Rifle killing one of the attackers. On this the terrorists withdrew under the cover of supporting fire from the terrorists positioned on roof tops. The killed terrorist was identified as Nehlum Kipgen, Founder and Chief of Kuki National Front, wanted in many cases of killing, loot and arson. Later more reinforcements arrived, cordoned the area and in the encounter one more terrorist was killed and four suspected were apprehended from whose possession 8 SBBL Gun Original, 4 SBBL Gun country-made, one DBBL Gun Original, one .22 Rifle Original, 2, skeleton country-made gun, 58 live rounds of .12 bore and tools for manufacture of country-made weapons ....

In this encounter Shri Balwinder Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 12-10-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 34-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Abraham George,
L/Naik (Driver),
7 Bn.,

Central Reserve Police Force.

Statement of service for which the decoration has been awarded :

On 3-5-1994 on receipt of information regarding movement ULFA activities in Bebejia and Ghahigaon, a CRPF party Bn., under Second-in-Command was detailed to carry out search operations. At about 1800 hours the CRPF party sighted a suspected ULFA militant, who on seeing the police party fired a volley of shots from his weapon. The CRPF men returned the fire but the militant taking advantage of darkness and uneven ground, took position behind a mound adjacent to a house. Very next to the house a CRPF vehicle was parked in which LNK/Driver Abraham George and a Const. were sitting. On hearing the sound of gun shots Shri George and the Const. looked around and spotted the ULFA militant taking position. Shri George also learnt that the target of the militant was the CRPF party. On seeing this Shri George directed the Constable to block the route of escape. Noticing Shri George advancing towards him the militant opened fire on Shri George. Shri George advanced further and challenged the terrorist to surrender. Seeing that the militant was not heeding to his warnings, Shri George jumped over the mound and fired at the terrorist from very close range killing him on the spot. The dead terrorist was identified as Promod Bora @ Lambu Bora, Distt. Commander of Nagaon, responsible for killing 4 policemen and looting their arms. One 9 mm pistol and one magazine with live cartridges were recovered from the killed terrorist.

In this encounter Shri Abraham George, Lance Naik (Driver), displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 3-5-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 35-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security force.

Name and Rank of the Officer

Shri Ajit Singh,
Sub-Inspector
53 Battalion, BSF.

Shri Raj Singh,
Head-Constable,
53 Battalion, BSF.

Shri Ali Raza Khan,
Constable,
53 Battalion, BSF.

Shri Raj Kumar,
Constable,
96 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 26-6-1994, a group of militant laid an ambush at Village Petha Dayalgam on the road from Kokernag to Anantnag to attack the party of DIG, BSF who was to pass through that route. Also a Company of 96 Battalion, BSF which was detailed for road opening duty in the area of Village Petha Dayalgam, observed a group of 5-6 militants in a bylane. Though the BSF immediately took position, militants started firing at the BSF personnel. The BSF personnel engaged the militants. The militants, however, retreated and took position behind a Bandh and fired heavily at BSF personnel. While BSF personnel were moving towards the militants, Constable Raj Kumar received a bullet injury in his thigh but despite his injury and pain, he continued to move ahead and finally succeeded in inflicting injuries to two militants.

While this encounter was going on in one part of the village, on the other side DIG, BSF, Anantnag alongwith his party came under heavy fire from the militants from almost all the directions. To contain the fire, SI Ajit Singh took his Commando Platoon to check the houses/buildings. He was fired upon with automatic weapons from adjoining house. SI Ajit Singh identified a house, where the militants were hiding. He immediately cordoned the house. Due to effective firing by BSF personnel, the militants stealthily slipped in the nearby fields. On this, SI Ajit Singh led his men towards the militants. The militants, opened fire with automatic weapons on

the BSF party and threw a number of grenades from close range. As a result of this two constables were injured and they were immediately evacuated.

Thereafter Constable Ali Raza Khan moved into one building with his LMG. The militants fired on Shri Khan, who narrowly escaped. In the firing another Constable was hit by the bullets, but Shri Khan continued to engage the militants from the same position to divert the attention of militants from advancing the BSF personnel. Due to effective and accurate fire by Shri Khan, one of the militants was fatally wounded. Under the effective covering fire of Shri Khan, SI Ajit Singh and HC Raj Singh tactically moved forward and reached very close to the militants, at a great risk to their lives. SI Ajji Singh and HC Raj Singh in a daring action charged at the militants and killed two of them.

In the encounter, in all five militants were klled, they were later identified as (i) Bombar Khan of Baluchistan (PAK); (ii) Fariq Bhai; (iii) Abdulla Bhai; (iv) Capt. Salauddin; and (v) Mudasir. Out of the five dead militants 4 were foreign nationals. During search one AK-47 Rifle, 3 AK-56 Rifles, one Rocket Launcher, one UMG, one PK-30 (Pikka Gun), 10 Magazines of AK-Series, 2 Hand-grenades and large number of ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Ajit Singh, S.I., Raj Singh, H.C., A. R. Khan, Const., and Raj Kumar Const. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 26th June, 1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 36-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of Officer

Shri Rustam Singh (Posthumous)

Constable,

88 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 13-4-1994, information was received about the presence of militants in village Mehargaon, P. S. Rangapara, District Sonitpur, Assam. The BSF troops immediately cordoned the area. Three parties were formed to search the village. One party which was headed by Naik Saji Joseph covered about 500 yards, they noticed eleven armed militants. On seeing the security forces, they formed two groups of seven and four and ran in different directions. The group of seven militants was chased by the party headed by an Assistant Commandant but hey managed to escape towards the jungles.

The group of four militants was chased by another group, Constable Rustam Singh, leading scout and they gave hot pursuit. Simultaneously, Naik Joseph also chased the militants and surrounded them with his group. Naik Joseph took position on the top of a nearby thatched Cattle shed and warned the militants to surrender but they opened heavy fire on the BSF troops. To release the pressure of militants fire on the BSF party, Naik Joseph fired with his automatic rifle to divert their attention. Meanwhile, Constable Rustam Singh started moving towards the militants, but the militants opened fire on him. Despite the grave-danger he continued to move towards the militants and reached very close to the militants and engaged them. In the exchange of fire, Constable Rustam Singh killed one militant but in the process, he himself was fatally hit by the bullets and died on the spot. In the meantime Naik Joseph noticed that Constable Singh was hit by the bullets and that the militants were intending to capture his AK-47 Rifle. Realising this, he brought sustained fire on the militants and foiled their attempt till the re-inforcement reached the spot. In the subsequent encounter the remaining three militants were liquidated. The dead militants were later identified as (i) Pranjit alias Swaraj Medhi; (ii) Etool Kalita alias Abhijyoti Kalita; (iii) Mantu Nath alias Nitu Balshya: and (iv) Pranjal Koch, all were trained ULFA activists. During search three .303 Rifles, one US Made carbine, one bag of ammunition and large number of live/empty cartridges were recovered from the dead militants.

In this encounter (Late) Shri Rustam Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty to a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13-4-94.

G. B. PRADHAN
Director

No. 37-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officers

Shri B. B. Joshi,
Assistant Commandant,
182 Battalion, BSF.

Shri Ramphal Singh,
Naik,
182 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 17-6-1994, information was received that a group of armed insurgents was moving in some villages of J&K. The Commandant of 182 Battalion, BSF immediately planned a cordon and search operation and led the Companies comprising of S/Shri B. B. Joshi, Ramphal Singh and N. K. Sharma, himself. During the initial search three insurgents were apprehended and 2 AK-56 Rifles, 2 Magazines and 25 rounds were recovered from them. The arrested militants were later identified as Pak trained members of 'Al-Jehad' group.

In the meanwhile, other search parties continued their operation. Some insurgents, who were hiding in a cow-shed, opened fire on the search party. At that time, Naik Ramphal Singh was near the cow-shed, and broke open the rear wall of the cow-shed and fired on them. He succeeded in injuring one of the insurgents but the other insurgent threw a grenade resulting into severe injuries to Naik Ramphal Singh. But inspite of injuries he went inside the cow-shed and scuffled with the insurgent and snatched his rifle. Then he killed him in a hand to hand fight.

Meanwhile, other suspects, who were till then hiding in the cow-shed ran out firing desperately and tried to escape. Constable N. K. Sharma engaged them and prevented their escape. But the insurgents entered in a house and started firing on the search parties. In the exchange of fire Constable Sharma was seriously injured.

Thereafter Shri B. B. Joshi, Assistant Commandant, who was supervising the search operation, with his escort entered the building where Constable Sharma had taken position. Under the covering fire, fired by the Comndt. Shri Joshi succeeded in evacuating Constable Sharma. But in the process, Shri Joshi and another Constable sustained splinter injuries due to the blasting of grenades lobbed by the militants. Despite his injuries, Shri Joshi took position and kept on firing at the militants and finally succeeded in killing one of them. The dead militants were later identified as Mustaq Ahmed Rather and Mustaq Ahmed Naikoo and 4 AK-56 Rifles with 6 Magazines and 40 rounds of AK-56 series were recovered from the dead militants. After about an hour of exchange of fire the house caught fire and was completely gutted down. During search, one completely charred dead body of a militant was recovered. Thus in the encounter, 3 militants were killed, 3 apprehended and one injured.

In this encounter S/Shri B. B. Joshi, Asstt. Comndt., and Ramphal Singh, Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17-6-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 38-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Azad Mohiuddin,
Assistant Commandant,
173 Battalion, BSF.

Shri S. S. Rawat.
Subedar,
173 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 18-4-1994, information was received that some dreaded militants were hiding in Dardpura area. Subedar S. S. Rawat alongwith two Platoons and MMG Detachment left the post for search. After reaching the area Shri Rawat deployed three groups covering North-East, East and West sides around the village and one section as Cut-off party on the South. At about 0600 hours, Shri Rawat observed four persons moving in suspicious manner. He challenged them to stop but they started firing with automatic weapons on the BSF parties. Shri Rawat and his party personnel, immediately took position and engaged the militants. The heavy exchange of fire continued. In the meantime, Shri Rawat informed his Battalion Headquarters about the encounter and requested for reinforcement. On getting the message the Commandant of 173 Bn., BSF alongwith Shri Azad Mohiuddin, Assistant Commandant and one Company of Commando Platoon reached the place of encounter. On seeing the additional forces, two militants started fleeing towards a nearby nallah under the covering fire of their colleagues. The Commandant directed Shri Rawat to chase the fleeing militants. Shri Rawat and party chased the militants. Meanwhile, the militants took position and one of the militants fired one burst towards Shri Rawat. He took position and started moving towards the hide-out. Shri Rawat, pounced upon the militant, had a brief scuffle and finally shot the militant dead. In the meanwhile, other party personnel managed to kill the second militant.

On the other hand, Shri Azad Mohiuddin alongwith his party personnel tactically moved towards the militants. As they reached close to the militants, they fired on the BSF party with automatic weapons. The militants also lobbed hand-grenades in a bid to escape. Visualising the situation and advantageous position of militants, Shri Mohiuddin directed his LMG group to shift to a nearby broken wall and engage the militants to divert their attention. Shri Mohiuddin, under the covering fire, moved towards the militants from the Northern side. As he reached near the hiding place, the militants brought heavy fire on the BSF Party. Shri Mohiuddin managed to reach near the militant, who was firing with UMG, pounced upon him and shot him dead. Thereafter, Shri Mohiuddin ran towards the second militant. On seeing him, the militant ran towards a nearby nallah. He was subsequently killed by the party headed by the Commandant. The dead militants were later identified as (i) Nazir Ahmed Bhat, Code-Asgar; (ii) Rafiq Ahmed Code-Akram; (iii) Gulam Hassan Mir, Code-Imtiaz; and (iv) Tanbir Ahmed Rishi, Code-Majid. They were involved in large number of heinos crimes. During search one UMG, 3 AK-56 Rifles, 7 Magazines of AK-56, 1 UMG Magazine Drum and 150 cartridges of AK-56 were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Azad Mohiuddin, Asstt. Comndt and S. S. Rawat, Subedar, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 18-4-94.

G. B. PRADHAN
Director

No. 39-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Ganesh Bhagat, (Posthumous)
Head Constable,
104 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 27-9-1994 information was received about the presence of militants in Govt. Housing Colony, Chanpora, P.S. Sadar, District Budgam. A joint cordon and search operation was planned with troops from different Battalions of BSF. When the search operation was in progress, the militants opened fire with automatic weapons on the search parties. One Constable of 59 Bn., BSF received bullet injuries and fell down. He was immediately evacuated and rushed to Hospital. As the militants were entrenched in a hugh building, the help of Army was sought and rockets were fired on the building by 5th Bn., Garhwal Regt. Since it became dark, the operation had to be stopped, but the cordon was kept throughout the night.

On 28-9-1994, efforts were again made by the Army with better fire-power to force the militants to come out but of no avail. Left with no alternative, it was decided to storm the building with selected personnel. The storming party managed to enter the building and secured the ground floor. At about 11.30 hours when one group of the storming party led by HC Ganesh Bhagat was approaching the 1st floor, the militants opened indiscriminate firing, as a result of this Shri Bhagat was critically injured. Inspite of injuries, Shri Bhagat took position in the room and engaged the militants with intermittent fire and compelled the militants to change their position. He also provided covering fire to members of the second party, who managed to gain access to the first floor. In the process another Constable received bullet injuries. One Naik and one Constable, who reached the first floor hurled grenades on the militants but they were pinned down by the militants with heavy fire. In the meantime, Shri Bhagat alongwith other injured Constable was evacuated and rushed to 92 Base Hospital, where he succumbed to his injuries.

The operation against the militants continued for next two days during which heavy exchange of fire took place. On the third day i.e. on 30-9-1994 at about 0900 hours the militants were killed. On search of the building, two dead bodies of militants were recovered, who were later identified as Abdul Gani alias Captain Safat (District Commander of HM Outfit) and Javed Ahmed Dar alias Col Hyder. During search 1 AK-56 Rifle with 1 Magazine, 1 AK-74 Rifle with

one Magazine, 1 Russian made Grenade and 29 cartridges of AK-56 series were recovered from the place of encounter.

In this encounter (Late) Shri G. Bhagat, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 28-9-94.

G. B. PRADHAN
Director

No. 40-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri S. S. Sandhu,
Second-in-Command,
65 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On receipt of a specific information about the presence of militants in the areas of Khushal Mattu and Sengrampura of Sopore Town, a special combing and search operation was planned on 15-9-1994. A search of the suspected houses was started to identify the hide-out of the militants by the selected Commandos under the command of Shri S. S. Sandhu, officiating Commandant of 65 Battalion, BSF. When Shri Sandhu alongwith Constable Shelly Jacob, partially opened the entrance of one suspected hide-out, militants hiding inside, opened fire with automatic weapons. Shri Sandhu and Constable Jacob with their presence of mind and alertness immediately took cover behind a wall. However, Shri Sandhu received splinter injuries due to bursting of hand-grenades, which caused bleeding on his left fore-arm. Shri Sandhu, moved to a vantage position and warned the militants to surrender. On this, one of the hiding militants camcout and pretented to surrender, but he opened fire on Shri Sandhu and his party. Shri Sandhu and Constable Jacob reacted swiftly and simultaneously fired on the militant and shot him dead, who was later identified as Farooq Ahmed Bhatt, Platoon Commander of HM outfit.

In the meawhile, the other militants kept on firing from inside the hide-out. Shri Sandhu re-organised his party and called for re-inforcement to strengthen the outer cordon. Shri Sandhu again warned the militants to surrender. Thereafter, a pitched gun battle between militants and BSF troops continued for about three hours. Due to sustained pressure and domination by BSF troops, the remaining two militants finally offered to surrender. Subsequently during interrogation they disclosed the presence of their colleagues in another hide-out. A raid was conducted and three militants were arrested from the said hide-out. During encounter/raid 7 AK Rifles, 1 Chinese Pistol with 2 Magazines, 1 Rocket Launcher, 1 Wireless Set, 20 Mtrs. Cordex and large number of cartridges were recovered.

In this encounter Shri S. S, Sandhu, Second-in-Command, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15-9-94.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 41-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri N. C. Sharma, (Posthumous)
Commandant,
194 Battalion, BSF.

Shri Aftab Alam, (Posthumous)
Constable,
194 Battalion, BSF.

Shri N. C. Nandi, (Posthumous)
Constable,
26 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 13-8-1994, Shri N. C. Sharma, Commandant of 194 Battalion, BSF left for Bakshi Stadium, Srinagar to supervise the troops, who were going to take part in the Independence Day Parade. A search operation in the area of Batmaloo was already in progress which is in the vicinity of Parade Ground Stadium. At about 11.00 hours, he received a message that an encounter had been going on in Batmaloo and one Constable of 26 Battalion, BSF had already been killed by the militants. He immediately rushed to the spot with his escort and took position in a house and pinned down the militants. At about 12.00 hours one militant tried to escape from the furry of our troops while firing in the direction of Shri Sharma but was spotted and killed on the spot. The militants hiding in a nearby house, fired heavily on the police with UMG/AK Rifles and also lobbed grenades. Shri Sharma while bringing effective fire on the militants was hit by a bullet on the right side of his chest. But continued to direct his men till he fell unconcious. He was immediately evacuated to hospital, where he succumbed to his injuries.

In the meawhile, during the same search operation, in the New Colony, Batmaloo, troops of 26 Battalion, BSF came under heavy fire by the militants, in which one constable was killed and some other injured. The Commandant with his troops rushed to the spot. Constable Aftab Alam alongwith party personnel stormed the house where the militants were hiding. Constable Aftab Alam who was in the lead was hit on the left side of his chest by a bullet fired by the militants. Though seriously injured, he engaged the militants to enable his party members to take suitable positions. Thereafter, he was evacuated to hospital, where he succumbed to his injuries.

Consable N. C. Nandi, who was in the cordon party, heard some sound of fire from a cluster of three houses and informed his Company Commander. After cordoning off the houses, a search party entered into one of the houses. During the search operation the militants brought heavy fire on the force with automatic weapons. But Constable Nandi who was in the lead kept on engaging the militants. In the meantime, adjacent building, a militant started firing on Constable Nandi. He engaged this militant by effective fire but in the process received a bullet injury on his head. He was immediately evacuated to hospital, where he succumbed to his injuries.

Thereafter, he shells from Rocket Launcher were fired and demolition charges were used, which ultimately brought down the roof of the house and thus silenced the militants. On search of the house, dead bodies of 3 militants were recovered alongwith arms and ammunition.

In this encounter (Late) Shri N. C. Sharma, Commandant, (Late) Shri Aftab Alam and (Late) Shri N. C. Nandi, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13-8-1994.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 42-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of

the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Ramesh Chand,
Constable
81 Battalion, BSF

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 19-9-1994, information was received that a group of insurgents was planning to fire a Rocket on the Sectt. in Batmaloo area, J&K. The Commandant of 81 Bn. BSF detailed 2 Companies from Ridge Chowk towards Magrmal Chowk. Constable Ramesh Chand was leading the column. When he reached a lane, the insurgents fired on him. Constable Ramesh Chand fell down on the ground pretending to have been shot, hoping to lure the insurgents to come towards him so that he could shoot them. The insurgents moved towards a house to have a better view of the advancing troops. The BSF personnel immediately took position behind the buildings. Constable Ramesh Chand quickly moved and took position behind the staircase of a road-side building. The militants advanced towards him but he shot dead one of them. The other insurgents immediately opened fire on Shri Ramesh Chand but he could not be harmed because he was under safe cover. They also threw number of grenades but unmindful of danger, he engaged them. By the time, an armoured vehicle of BSF moved ahead and opened fire with LMG, which forced the militants to retreat from their vantage position. The dead militants was later identified as "Badshah Khan" Bn. Commander of a HM outfit.

In this encounter Shri Ramesh Chand, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion of duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 19-9-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 43-Pres/96,—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Saji Joseph,
Naik,
88 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 13-4-1994, information was received about the presence of militants in village Meharganon, P. S. Rangapara, District Sonitpur, Assam. The BSF troops immediately cordoned the area. Three parties were formed to search the village. One party which was headed by Naik Saji Joseph covered about 500 yards, they noticed eleven armed militants. On seeing the security forces, they formed two groups of seven and four and ran in different directions. The group of seven militants was chased by the party headed by an Assistant Commandant but they managed to escape towards the jungles.

The group of four militants was chased by another group, Constable Rustam Singh, leading scout and they gave hot pursuit. Simultaneously, Naik Joseph also chased the militants and surrounded them with his group. Naik Joseph took position on the top of a nearby thatched Cattle shed and warned the militants to surrender but they opened heavy fire on the BSF troops. To release the pressure of militants fire on the BSF party, Naik Joseph fired with his automatic rifle to divert their attention. Meanwhile, Constable Rustam Singh started moving towards the militants, but the militants opened fire on him. Despite the grave-danger he continued to move towards the militants and reached very close to the militants and engaged them. In the exchange of fire, Constable Rustam Singh killed one militant but in the process, he himself was fatally hit by the bullets and died on the spot. In the meantime Naik Joseph noticed that Constable Singh was hit by the bullets and that the militants were intending to capture his AK-47 Rifle. Realising this, he brought sustained fire on the militatnts and foiled their attempt till the re-inforcements reached the spot. In the subsequent encounter the remaining three militants were liquidated. The dead militants were later identified as (i) Pranjit alias Swaraj Medhi; (ii) Etool Kalita alias Abhijyoti Kalita; (iii) Mantu Nath alias Nitu Balshya; and (iv) Pranjal Koch, all were trained ULFA activists. During search three .303 Rifles, one US Made carbine, one bag of ammunition and large number of live/empty cartridges were recovered from the dead militatns.

In this encounter Shri Saji Joseph, Naik, displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 13-4-94.

G. B. PRADHAN
Director

No. 44-Pres/96,—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri N. K. Sharma,
Constable,
182 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 17-6-1994, information was received that a group of armed insurgents was moving in some villages of J&K. The Commandant of 182 Battalion, BSF immediately planned a cordon and search operation and led the Companies comprising of S/Shri B. B. Joshi, Ramphal Singh and N. K. Sharma, himself. During the initial search three insurgents were apprehended and 2 AK-56 Rifles, 2 Magazines and 25 rounds were recovered from them. The arrested militants were later identified as Pak trained members of 'Al-Jehad' group.

In the meanwhile, other search parties continued their operation. Some insurgents, who were hiding in a cow-shed, opened fire on the search party. At that time, Naik Ramphal Singh was near the cow-shed, and broke open the rear wall of the cow-shed and fired on them. He succeeded in injuring one of the insurgents but the other insurgent threw a grenade resulting into severe injuries to Naik Ramphal Singh. But inspite of injuries he went inside the cow-shed and scuffled with the insurgent and snatched his rifle. Then he killed him in a hand to hand fight.

Meanwhile, other suspects, who were till then hiding in the cow-shed, ran out firing desperately and tried to escape. Constable N. K. Sharma engaged them and prevented their escape. But the insurgents entered in a house and started firing on the search parties. In the exchange of fire, Constable Sharma was seriously injured.

Thereafter Shri B. B. Joshi, Assistant Commandant, who was supervising the search operation, with his escort entered the building where Constable Sharma had taken position. Under the covering fire, fired by the Comdt. Shri Joshi succeeded in evacuating Constable Sharma. But in the process, Shri Joshi and another Constable sustained splinter injuries due to the blasting of grenades lobbed by the militants. Despite his injuries, Shri Joshi took position and kept on firing at the militants and finally succeeded in killing one of them. The dead militants were later identified as Mustaq Ahmed Rather and Mustaq Ahmed Naikoo and 4 AK-56 Rifles with 6 Magazines and 40 rounds of AK-56 series were recovered from the dead militants. After about an hour of exchange of fire the house caught fire and was completely gutted down. During search, one completely charred dead body of a militants was recovered. Thus in the encounter, 3 militants were killed, 3 apprehended and one injured.

In this encounter Shri N. K. Sharma, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17-6-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 45-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Raj Singh,
Deputy Commandant,
73 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15-7-1994, it was learnt that a group of militants were hiding in the orchards in village Woqub. The area was immediately cordoned off by the troops of 73 Battalion, BSF. While the cordon parties were closing in, the militants opened heavy fire with automatic weapons and also lobbed hand grenades on the BSF parties. Shri Raj Singh, Dy. Commandant alongwith selected Commandos moved towards the hide-out from South-Western side under the covering fire, which was supervised by the Commandant. When the storming party was closing in, the militants spotted the party and opened heavy fire on them. Shri Singh and his party members narrowly escaped unhurt, undeterred, the party held the ground and engaged the militants. They spotted one militant, who was firing on the BSF personnel. Shri Singh alongwith one Sub-Inspector took standing positions behind the trees to have a clear view of the militants and fired on him killing him on the spot. The dead militant was later identified as Mohd. Sarwar Mir, a self styled Divisional Commander and a most dreaded militant of "Jehad Force Militants' outfit, who was involved in a number of operations against Security Forces in the Valley. During search one 60 mm Mortar with Base plate and bipod, 3 AK-56 Rifles, 8 Magazines of AK-Series and 15 live rounds of AK-series were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Raj Singh, Dy. Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15-7-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 46-Pres/96—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Akhileshwar Singh
Deputy Commandant,
SHQ BSF Baramulla.

Shri S. Robinson,
Head Constable,
73 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

A specific information was received on 29-9-94 that some militants had centered their activities in the area of Sopore. A special operation was planned and a cordon was laid around the Village Tarzua. Some suspected persons were picked-up. During interrogation they disclosed that some dreaded armed miliants were hiding in the house of one Farooq Ahmed Mir in the hide-out located under the kitchen floor. Immediately selected Commandos cordoned the suspected house. On 29-9-1994 at about 15.45 hours during a systematic search of the house, the hideout was located in the kitchen under mud plastered 'Chullah' on a concrete slab lid. As the slab was being removed Shri S. Robinson, Head Constable and one Constable, the militants hiding inside the hide-out lobbed hand-grenades followed by heavy firing with automatic weapons. The BSF party immediately took position and retaliated in self defence. At about 17.30 hours, one of the militants managed to come out of the hide-out under the cover of dust and smoke. Shri Singh lobbed two sten grenades followed by two hand-grenades in quick succession which killed the militant on the spot. Thereafter, Shri Robinson lobbed sten-grenades and hand-grenades in the hide-out and silenced the guns of militants. On the stopping of fire two more dead bodies were recovered. The dead militants were later identified as i) Gulam Mohd. Bhatt ii) Safiq Ahmed Ganai; and iii) Mohd. Akbar Lone. one of them viz. Gulam Mohd. Bhatt was a dreaded militant involved in a number of armed encounter with security forces and was wanted in a number of cases of killings and extortions. During search, 3 AK 47/56 Rifles, one wireless set, 8 Rifle Grenades, 9 Magazines of AK-series, 27 rounds of ammunition of AK-series and 29 EFCs AK-series, were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Akhileshwar Singh, Dy. Comndt. and S. Robinson, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 29-9-94.

G. B. PRADHAN
Director

No. 47-Pres/96—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri B. S. Rawat (Posthumous)
Deputy Commandant
12 Battalion, BSF.

Shri U. R. S. Choudhury (Posthumous)
Head Constable
12 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 23-2-1995 at about 1445 hours, troops of 12 BN BSF conducted patrolling/Cat operation in the area of Bilal Colony, Bachpura, Shri U. R. S. Choudhury, Head Constable was in the front of the Patrol party of Shri B. S. Rawat, Deputy Commandant. When the party was going through a narrow lane, the militants hiding in the adjoining houses brought down heavy fire on the BSF party. Shri Rawat ordered Shri Choudhury to cordon the house. The militants again opened heavy fire on the BSF party. Shri Choudhury, kept the militants pinned down with effective fire to enable other members of the party to take position. In this process, one of the bullets fired by the militants pierced through the abdomen of Shri Choudhury. Though seriously injured, he continued to engage the militants. Shri Rawat on seeing that Shri Choudhury had received bullet injuries, immediately moved towards the house and brought effective fire on the militants and kept their heads down by firing from his AK-47 rifle. He managed to injure one militant, but the injured militant managed to jump out of the house, leaving his AK-47 rifle behind. In the meantime, another militant openeed fire on Shri Rawat, and a bullet hit on the left side of his temple. He kept on firing on the militants inspite of serious injuries to save other members of the party. Due to this bold action, the militants took to their heels, taking advantage of thickly built up area. S/Shri Rawat and Chowdhury on being evacuated to the Hospital succumbed to their injuries. During search, 1 AK-47 Rifle with one magazine, one IED, one Foreign-made

walkie-talkie set, one Tape-recorder Rs. 25,000/-, 500 Mtrs. Electric wire and 20 rounds of AK-47 ammunition were recovered.

In this encounter (Late) Shri B. S. Rawat, Dy. Commdt., and (Late) Shri U. R. S. Choudhury, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the Rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5 with effect from 23-2-1995.

G. B. PRADHAN
Director

No. 48-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and rank of officer

Shri Shelly Jacob,
Constable,
65 Battalion, BSF

Statement of Services for which the decoration has been awarded :—

On receipt of a specific information about the presence of militants in the areas of Khushal Mattu and Sengrampura of Sopore Town, a special combing and search operation was planned on 15-9-1994. A search of the suspected houses was started to identify the hide-out of the militants by the selected Commandos under the command of Shri S. S. Sandhu, officiating Commandant of 65 Battalion, BSF. When Shri Sandhu alongwith Contable Shelly Jacob, partially opened the entrance of one suspected hide-out, militants hiding inside, opened fire with automatic weapons. Shri Sandhu and Constable Jacob with their presence of mind and alertness immediately took cover behind a wall. However, Shri Sandhu received splinter injuries due to bursting of hand-grenades, which caused bleeding on his left fore-arm. Shri Sandhu, moved to a vantage position and warned the militants to surrender. On this, one of the hiding militants came out and pretented to surrender, but he opened fire on Shri Sandhu and his party. Shri Sandhu and Constable Jacob reacted swiftly and simultaneously fired on the militant and shot him dead, who was later indentified as Farooq Ahmed Bhatt, Platoon Commander of HM outfit.

In the meanwhile the other militants kept on firing from inside the hide-out. Shri Sandhu re-organised his party and called for re-inforcement to strengthen the outer cordon. Shri Sandhu again warned the militants to surrender. Thereafter, a pitched gun battle between militants and BSF troops continued for about three hours. Due to sustained pressure and domination by BSF troops, the remaining two militants finally offered to surrender. Subsequently during interrogation they disclosed the presence of their colleagues in another hide-out. A raid was conducted and three militants were arrested from the said hide-out. During encounter/raid 7 AK Rifles, 1 Chinese Pistol with 2 Magazines, 1 Rocket Launcher, 1 Wireless Set, 20 Mtrs. Cordex and large number of cartridges were recovered.

In this encounter Shri Shelly Jacob, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (I) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 15.9.94.

G. B. PRADHAN
Director

No. 49-Pres/96—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

NAME AND RANK OF OFFICER

Shri Ashok Kumar Tyagi,
Addl. Supdt. of Police,
Hardoi.

Shri Rampal Gautam,
Dy. Supdt. of Police,
C. O. Bilgram, Hardoi.

Shri Har Pal Singh,
S. O. Madhoganj,
Hardoi.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 23-3-93 at about 4.30 p.m. Shri Harpal Singh received information that a gang of 6-7 hardened criminals were hiding in the house of Salik Ram and Balak Ram Tewari of village Haraiya and Mewa Lal Pradhan who was abducted for ransom was also suspected to be in their possession. Shri Harpal Singh passed the information to Shri Ram Gautam who reached the village at about 5.30 p.m. with available force. Shri Gautam divided the force in three parties—first party was leg by himself including Shri Harpal Singh. S.O. Madhoganj among others, the second and third parties were detailed to lay cordon on the northern and southern side. The first party under Shri Gautam and Harpal Singh advanced slowly towards house of Salik Ram to arrest the criminals. At about 5.55 p.m. as Shri Gautam and Shri Harpal Singh reached near the house of Salik Ram, 6-7 criminals started firing indiscriminately from inside the house of Salik Ram. A Sub-Inspector was injured in the process and rushed to hospital Shri Gautam warned the criminals that they had been surrounded and asked them to surrender but the criminals did not pay any heed and continued indiscriminate firing. The police parties also returned fire in self defence but as the criminals were strategically positioned Shri Gautam asked for more re-inforcements Amidst heavy firing from criminals, Shri Gautam without caring for his life crawled up to the house of Balak Ram. Shri Gautam and Shri Harpal Singh showed exemplary courage and maintained pressure over criminals by effective firing.

At about 8.25 P.M. Shri Ashok Kumar Tyagi, Addl. S.P. reached the place with additional force and took over command. Shri Tyagi alongwith Shri Gautam and Shri Harpal Singh proceeded towards the northern side and surrounded the house from where the criminals were firing. Exhibiting remarkable courage and strategy S/Shri Tyagi, Addl. SP, Gautam, Dy. S.P. and Harpal Singh entered into a nearby thatched house and brought down aimed fire on the criminals. In the exchange of fire one criminal was shot dead and the other criminals managed to escape in the darkness. During search another criminal was found lying dead. The dead criminals were identified as Rajesh Lohar and Chatrubhuj Singh from whose possession one country-made pistol and one SBBL gun with huge quantity of live and empty cartridges were recovered.

In this encounter S/Shri Ashok Kumar Tyagi, Addl. Supdt. of Police, Rampal Gautam, Dy. Supdt. of Police, Harpal Singh, S.O. Madhoganj, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 23-3-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 50-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of officers

Shri Ram Sunder Tewari, Constable, (Posthumous)
District Allahabad.

Shri Ram Kripal Singh, (Posthumous)
Constable,
District Allahabad.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 17-7-1991 information was received that a notorious gang had assembled in village Deoria to murder the family of one Sachin. Immediately a police party under a Sub-Inspector including Constables Ram Sunder Tewari and Ram Kripal Singh rushed to village Deoria and found that the gang had shifted to village Becker and were present in the house of one Nanka. After ascertaining the presence of the criminals, the S.I. alongwith Constable Ram Sunder Tewari and Ram Kripal Singh went towards the western side of the house while the remaining personnel were deployed on the northern side. In the meantime criminals Bulaki Mallah, Nandu Bharthi, Ram Kishan Pasi and Suresh Mallah threw bombs and opened fire on the police party from the eastern side and tried to escape towards the north. S/Shri Ram Sunder Tewari and Ram Kripal Singh chased the fleeing criminals. The fleeing criminals on seeing the policemen turned back and again threw bombs but Constables R. S. Tewari and R. K. Singh opened fire in self defence on the criminals. Three of the criminals ran helter-skelter along the banks of the river, while Ram Kishan Pasi jumped into the river and swam towards village Jalalpur. The Police party including Constables R. S. Tewari and R. K. Singh took a boat lying nearby, chased Pasi and caught him. In the meantime some of the associates of Pasi came to save him and in the process had hand to hand battle with R. S. Tewari and R. K. Singh. In the scuffle, the criminals managed to free Pasi despite best efforts of R. S. Tewari and R. K. Singh and took him into their boat. The criminals then with the aim of killing the police personnel drowned the boat in which Constables R. S. Tewari, R. K. Singh along with others were sailing.

Thus S/Shri R. S. Tewari and R. K. Singh. Constable sacrificed their lives in the maintenance of the highest traditions of the service.

In this encounter S/Shri (Late) Ram Sunder Tewari, Constable, and (Late) Ram Kripal Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17-7-1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 51-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the officer

Shri Uma Shankar Yadav,
Sub-Inspector of Police,
SHO, Sitapur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 10-10-93 Shri Uma Shankar Yadav, S. I. SHO, Sitapur received reliable information that 7-8 heavily armed criminals were hiding in the grove of Nand Ram Pasi of Village Beharva, P. S. Sandhna and that they would commit a heinous crime. Immediately on receipt of this information, Shri Yadav alongwith available force rushed to the spot. The Police force reached the spot at 11.55 a.m. The Police force was divided into two parties—the first led by Shri Yadav himself confronted the criminals while the second party was placed in cordon to prevent the escape. After having placed the police parties strategically, Shri Yadav noticed 7-8 criminals lodged behind the trees. On seeing the criminals Shri Yadav challenged them to surrender but they instead of surrendering, suddenly opened indiscriminate fire on the police parties. Shri Yadav who was in the forefront faced the heavy fire and he immediately directed the police personnel to take position and open fire in self defence. Undeterred by the return of fire from the police parties, the criminals continued fire incessantly as a result of which Shri Yadav was hit by a bullet on his left hand. Despite being injured Shri Yadav did not loose his balance, kept on advancing and fired from his sten gun and at the same time kept on encouraging his personnel to keep firing on the criminals. This yielded the desired result. Two criminals were killed on the spot, while the remaining criminals managed to escape. One of the killed criminal was identified as Bhola while the other remained unidentified. One country made gun and one .12 bore gun alongwith cartridges were recovered from the spot.

In this encounter Shri Uma Shankar Yadav, Sub Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 10-10-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 52-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri Durga Charan Misra,
Dy. Supdt. of Police,
Meerut.

Shri Srinarayan Tripathi,
S. O. Lisari Gate,
Meerut.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 8-12-1992 information was received that an enormous and violent mob of one community from the areas of Ahmadnagar, Lakhipura, Rashidnagar, Shakoor Nagar and Kalwanagar had gathered with the intention of attacking the population of other community in the area of Shyam Nagar and Pilokhri Police Chowki and that they had stabbed and injured one person. On receipt of this information Shri S. N. Tripathi, Shri D. C. Misra and City Magistrate reached the location with police force. The police party spared no efforts to convince the mob to disperse peacefully but was reciprocated with physical attacks and throwing of bricks and stones on the police party. The City Magistrate warned the mob to disperse but the mob retaliated by firing from country made pistols and bombs and bricks as a result the window panes of the jeep and search light was broken and Shri S. N. Tripathi, S. O., got injured. The Magistrate then ordered the police force to disperse the mob by using minimum force by way of lathi charge and tear gas, Shri S. N. Tripathi fired two tear gas shells and also fired from his gun. At this juncture Shri Brij Lal arrived on the spot with additional force.

Seeing the police force under pressure from the onsurging violent mob, Shri Brij Lal warned the mob to disperse but the mob did not pay any heed. Then Shri Brij Lal alongwith D. M. and others chased the violent crowds in the narrow lanes and byelanes of Kalwanagar, Rashidnagar and Shakoor Nagar, while Shri D. C. Misra, Dy. SP, City Magistrate and others chased the crowd towards Ahmadnagar and Lakhipura when the mob resorted to stone throwing. The Crowd climbed the roofs of the nearby buildings and started attacking the police. The crowd also fired at Shri Brij Lal who escaped. Seeing that his warnings are not having the desired effect, Shri Brij Lal ordered the police force to fire in self-defence. Shri Brij Lal and Shri Tripathi opened fire from their service revolvers and the police force also opened fire simultaneously. The violent mob got panicky and dispersed and the situation brought under control. In the firing some persons received bullet injuries and their accomplices dragged the injured to safety, while two persons died. The police managed to arrest four criminals identified as Saleem with 12 bore CMP and pistol with live cartridges, Saleemuddin and Bashir with one sharpened knife each and Islamuddin with one knife.

In this encounter S/Shri Durga Charan Misra, Dy. Supdt. of Police, Srinarayan Tripathi, S. O. Lisari Gate, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8-12-1995.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 53-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officers

Shri Jodh Singh Adhikari,
Sub Inspector of Police,
District Ghaziabad.

Shri Balak Ram,
Constable,
District Ghaziabad.

Shri Ram Narayan,
Constable/Driver,
District Ghaziabad.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 19-6-93 at about 11.15 a. m. an information was received that a Maruti van carrying newly wedded couple had been hijacked at gunpoint, the occupants looted and decamped with the bride. On receipt of this information ,Shri Jodh Singh Adhikari, S. O., P. S. Dhaulana alongwith S/Shri Balak Ram, Constable and Ram Narayan, Cont./Driver rushed to intercept the vehicle. At about 11-25 a. m. the stolen Maruti was sighted near village Karanpurjat and Shri Adhikari with two Constables tried to intercept the fleeing robbers. It was learnt that the four men were heavily armed. S/Shri Adhikari, Balak Ram and Ram Narayan took up position to ambush the criminals. The criminals on seeing the police party did not stop but tried to run over the police personnel who quickly rolled away from the speeding vehicle. The criminals then started indiscriminate firing on the police personnel but undeterred the police personnel jumped into the jeep and chased the maruti van. The chase continued for about 2½ kms. and all the time the criminals were firing on the police party in the jeep. The police also returned the fire. On seeing another vehicle coming in the opposite direction, the crimtnals thinking themselves to be cornered, abandoned the maruti van and fled into the fields firing continuously. Seeing this the police personnel got off the jeep and chased the criminals on foot through the fields. The criminals fired on the chasing police party and Shri Adhikari who was in the front of the team had a miraculous escape. The police party returned the fire as a result one criminal was injured in the firing and fell down while the remaining three kept on running. The police party chased the others and managed to gun down one more criminal. During the combing operations carried out with additional reinforcement one more criminal was shot dead while the other managed to make his escape. On search of the dead bodies one .315 bore country made pistol was recovered from each criminal along with live cartridges and the entire looted property recovered. The three dead criminals were identified as (1) Vinod Gujar, S/o Babu Gujar, (2) Vinod Giri, S/o Nanak Giri and (3) Virendra S/o Hardam Jat were dreaded dacoits and wanted in many cases of murders robberies and dacoties.

In this encounter, S/Shri Jodh Singh Adhikari, Sub Inspector of Police, Balak Ram, Constable, Ram Narayan, Constable (Driver), displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 19-6-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 54-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Devendra Kumar Sharma,
Sub Inspector of Police,
Special Squad,
Distt. Ghaziabad.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the night of 22/23-9-93 Shri Ramesh Chandra Sharma, Inspector, got reliable information that some criminals equipped with automatic and sophisticated weapons planned to abduct an industrialist from Ghaziabad for ransom. Immediately Shri R. C. Sharma with police force (including Shri Devendra Kumar Sharma, S. I.), promptly moved towards Loni and waaited for the crtminals. At about 1.15 AM, a white Maruti car was found approaching and Shri R. C. Sharma signalled the car to stop. The car slowed down but on seeing the police party sped away. Shri R. C. Sharma alongwith police party chased the Maruti car. The miscreants seeing the police party who were chasing them. resorted to indiscriminate firing and the police party returned the fire in self-defence. One of the bullets fired by Shri D. K. Sharma hit the left rear tyre of the car puncturing it. The three criminals got out of the car, ran into the jungle and continued firing at the police party. Inspector Sharma challenged the criminals to surrender but the criminals fired at the police party. At this juncture Inspector Sharma and S. I. Sharma at great risk to their lives crawled towards the criminals and opened fire. The police party also opened fire and in the process the bulllets hit one of the criminals were died on the spot. Two other criminals managed to escape in the cover of darkness. During search one AK-56 Assault Rifle alongwith live/empty cartridges were recovereed from the dead. The dead criminal was identified as Harish @ Mama a dangerous gangester of Ashok Tyagi gang responsible for more than twelve murders, six kidnappings and also carried a reward of Rs. 1000/- on his head.

In this encounter Shri Devendra Kumar Sharma, Sub Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 23-9-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 55-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of Officer

Shri Vishnu Kumar Tiwari,
Sub-Inspector of Police,
Civil Police, Moolganj,
District Kanpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On receipt of information on 26-2-1993 at about 5.30 P. M., Shri Vishnu Kumar Tiwari, S. I., S. O., Moolganj, Distt. Kanpur, immediately worked out a strategy to apprehend the crtminals. The available police force was divided into four parties. The first party headed by Shri Tiwari, to confront the criminals while the other parties were positioned in strategic locations to prevent the escape. The police parties reached the spot at about 8.00 P. M. and took up position. At about 8.30 P. M. the tnformer spotted three persons coming on a motorcycle from Babupoorva side and via Gantagarh and proceeded towards Circular Road. The informer signalled Shri Tiwari that the two pillion riders were Jind Nath and Raju Shukla. The route bting taken by the criminals was crowdy. Therefore Shri Tiwari followed the criminals for a distance in his jeep to avoid any problem to the crowd and having reached a lonely road, challenged

the criminals to surrender. The criminals did not heed the warnings and instead opened fire on the police party. Immediately Shri Tiwari opened fire on the fleeing criminals as a result of which the motorcycle skidded and the two pillion riders got off the motorcycle and opened indiscriminate fire on the police party while the third escaped on his motorcycle. The police party in the jeep under Shri Tiwari also got off the jeep, took position and opened fire on the criminals. The criminals then ran and took position in a nearby shelter and opened fire on the police party. At this juncture, Shri Tiwari and his party brought effective fire on the criminals. The firing lasted for a few minutes after which it stopped. On search of the area two criminals were found dead who were identified as Jind Nath and Raju Shukla. Two .315 bore pistols with large number of live cartridges were recovered from the side of the dead criminals.

In this encounter Shri Vishnu Kumar Tiwari, Sub Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with is the special allowance admissible under rule 5 with effect from 26-2-1993.

G. B PRADHAN,
Director

No. 56-Pres/96.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Ramesh Chandra Sharma,
Inspector of Police,
P.S. Sahibabad,
Dist. Ghaziabad. 1st Bar

Statement of services for which the decoration has been awarded

On the night of 22/23-9-93 Shri Ramesh Chandra Sharma, Inspector, got reliable information that some criminals equipped with automatic and sophisticated weapons planned to abduct an industrialist from Ghaziabad for ransom. Immediately Shri R. C. Sharma with police force (including Shri Devendra Kumar Sharma, S.I) promptly moved towards Loni and waited for the criminals. At about 1.15 a.m., a white Maruti car was found approaching and Shri R. C. Sharma signalled the car to stop. The car slowed down but on seeing the police party sped away. Shri R. C. Sharma alongwith police party chased the Maruti car. The miscreants seeing the police party who were chasing them, resorted to indiscriminate firing and the police party returned the fire in self-defence. One of the bullets fired by Shri D. K. Sharma hit the left rear tyre of the car puncturing it. The three criminals got out of the car, ran into the jungle, and continued firing at the police party. Inspector Sharma challenged the criminals to surrender but the criminals fired at the police party. At this juncture Inspector Sharma and S.I. Sharma at great risk to their lives crawled towards the criminals and opened fire. The police party also opened fire and in the process the bullets hit one of the criminals who died on the spot. Two other criminals managed to escape in the cover of darkness. During search one AK-56 Assault Rifle alongwith live/empty cartridges were recovered from the dead. The dead criminal was identified as Harish @ Mama a dangerous gangster of Ashok Tyagi gang responsible for more than twelve murders, six kidnappings and also carried a reward of Rs. 1000/- on his head.

In this encounter Shri Ramesh Chandra Sharma, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 23-9-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 57-Pres/96.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and rank of the Officer

Shri Brij Lal
Sr Supdt. of Police,
Meerut.

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 8-12-1992 information was received that an enormous and violent mob of one community from the areas of Ahmednagar, Lakhipura, Rashidnagar, Shakoor Nagar and Kalwanagar had gathered with the intention of attacking the population of other community in the area of Shyam Nagar and Pilokhri Police Chowki and that they had stabbed and injured one person. On receipt of this information Shri S. N. Tripathi Shri D. C. Misra and City Magistrate reached the location with police force. The Police party spared no efforts to convince the mob to disperse peacefully but was reciprocated with physical attacks and throwing of bricks and stones on the police party. The City Magistrate warned the mob to disperse but the mob retaliated by firing from country made pistols and bombs and bricks as a result the window panes of the jeep and search light was broken and Shri S. N. Tripathi, S.O., got injured. The Magistrate then ordered the police force to disperse the mob by using minimum force by way of lathi-charge and tear gas. Shri Tripathi fired two tear gas shells and also fired from his gun. At this juncture Shri Brij Lal arrived on the spot with additional force.

Seeing the police force under pressure from the onsurging violent mob, Shri Brij Lal warned the mob to disperse but the mob did not pay any heed. Then Shri Brij Lal alongwith D.M. and others chased the violent crowds in the narrow lanes and byelanes of Kalwanagar, Rashidnagar and Shakoor Nagar, while Shri D. C. Misra, Dy. SP, City Magistrate and others chased the crowd towards Ahmadnagar and Lakhipura when the mob resorted to stone throwing. The crowd climbed the roofs of the nearby buildings and started attacking the police. The crowd also fired at Shri Brij Lal who escaped. Seeing that his warning are not having the desired effect, Shri Brij Lal ordered the police force to fire in self-defence. Shri Brij Lal and Shri Tripathi opened fire from their service revolvers and the police force also opened fire simultaneously. The violent mob got panicky and dispersed and the situation brought under control. In the firing some persons received bullet injuries and their accomplices dragged the injured to safety, while two persons died. The police also managed to arrest four criminals identified as Saleem with 12 bore CMP and pistol with live cartridges, Saleemuddin and Bashir with one sharpened knife each and Alamuddin with one knife.

In this encounter Shri Brij Lal, Sr. Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 8-12-1992.

G. B PRADHAN
Director

No. 58-Pres/96.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officer

Shri B. S. Solanki,
Sub-Inspector of Police,
District Meerut. 1st Bar

Statement of services for which the decoration has been awarded

On 1-3-1992 Shri B. S. Solanki, S.I. received information that a gang of criminals was likely to commit some heinous offences in Muzaffarnagar at about 0400 hours and camped on the outskirts where Jaggi, and his three associates were coming out on the road, an informer identified Jaggi, Lala and Bijendra while the fourth was unidentified. Shri Solanki chal-

lenged the criminals to surrender but the criminals fired to kill the Police personnel. The Police personnel took position and opened fire in self defence in which Lala & Mahesh suffered injuries and fell down while Jaggi and his associates fled in an ambassador car. However, Shri Solanki did not loose heart and chased the criminals in a nearby industrial area but the criminals kept on firing on the police personnel while running. Due to the pressure of the police, the criminals took refuge in a factory and continued fire on the police party. The police party also returned the fire in self defence in which Bijendra was killed on the spot. Thereafter Jaggi came out of the room and entered into an adjacent building, closeted himself in a room and opened fire, Shri Solanki in an exceptional display of valour climbed on the roof of the house with another S.I., entered the room where Jaggi took shelter and opened fire on the criminal and shot him dead. One factory made DBBL gun and one .315 bore pistol together with huge quantity of live cartridges were recovered from the dead criminals.

In this encounter Shri B. S. Solanki, Sub Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 1-3-1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 59-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Onkar Singh
Constable
3rd Commando Battalion,
P. S. Jagraon.

Shri Kuldip Singh
Constable
3rd Commando Battalion,
P. S. Jagraon.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 21-5-1993, SHO P. S. Jagraon received information about the movement of terrorists in some villages. Different police parties comprising of District Police, 3rd Commando Battalion (including S/Shri Onkar Singh and Kuldip Singh, Constables) and CRPF were formed and they reached near one farm-house. As the party consisting of 8 Commanders tried to enter the farm-house, they came under heavy firing of terrorists. The Police personel took position and returned the fire in self defence. The terrorists also fired with automatic weapons from the farm-house. While S/Shri Onkar Singh & Kuldip Singh were moving towards the window of the farm house, the extremists showered a volly of bullets towards them. Both the Constables without caring for their personal safety moved ahead and fired from their weapons. As a result of effective fire of Constable Onkar Singh, one of the extremists was injured and died. In the process Onkar Singh received bullet injuries in his thigh and back. Despite his injuries, he engaged the militants, lying in a pool of blood. On seeing this, Constable Kuldip Singh pumped a volley of bullets into the window and injured the other extremist. Thereafter he evacuated Constable Onkar Singh to hospital. Later on, the tubewell room was got demolished with the help of bullet-proof tractor. On search, two dead bodies of extremists were recovered, who were later identified as Jagga Singh and Mohan Singh. They were involved in 10 cases of heinous crimes. During further search, two AK-47 Rifles alongwith huge quantity of ammunition were recovered.

In this encounter S/Shri Onkar Singh and Kuldip Singh Constable. displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 21-5-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 60-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Dilbag Singh,
Deputy Supdt. of Police (City),
Tarn Taran.

Shri Ravinder Singh
Constable,
Tarn Taran.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 27-2-1993 special search operations were carried out by police parties headed by Shri Ajit Singh, in PS Sadar & City Tarn Taran to locate a terrorist. On seeing the police, a suspected person tried to escape from a farm-house. Immediately, the farm-house was cordoned and on questioning, the inmates revealed that the fleeing person was Gurbachan Singh Manochahal.

Thereafter, Shri Ajit Singh, SSP, Tarn Taran with the help of his officers, CRPF personnel and Raj Rifles laid night ambushes in the areas of possible hide-outs of Gurbachan Singh Manochahal. The next day morning (28-2-1993), the police parties headed by Shri Khubi Ram, SP (Operations), Shri Gurmit Singh, Dy. S. P. (Detective), Shri Dilbag Singh, Dy. S. P. (City) Tarn Taran and Dy. S. P., Bhikhiwind were formed and search operations were undertaken under the overall supervision of Shri Ajit Singh. When Shri Dilbag Singh alongwith his party reached near the farm-house of the one Sukhdev Singh, one middle aged Sikh terrorist armed with automatic weapons came out and started firing on police personnel and ran away. Immediately, messages were flashed to other search parties. The parties on reaching the spot laid cordon. While Shri Gurmit Singh & party covered the terrorist from one side, Shri Khubi Ram & party moved through the water channel & wheat crop and covered on the other side and opened heavy firing to enable Shri Gurmit Singh to lay cordon. Shri Dilbag Singh managed to reach at a suitable position near the terrorist and returned the fire. In the meantime, Shri Ajit Singh directed Constable Ravinder Singh to make holes on the wall to cover the movements of the terrorist which he did at the risk of his life. The terrorist changed his position and resorted to intermittant firing at the police parties. Shri Ajit Singh and party opened fire towards the terrorist through the holes. As a result of effective firing the terrorist was killed on the spot. The dead terrorist was later identified as Gurbachan Singh Manochahal who was responsible for killing a number of innocent persons, extortions and other heinous crimes. During search one GPMG Rifle, one AK-74 Rifles, one 9 mm Mouser with 70 cartridges, 50 Kgs explosive material, two Drum Magazines, Indian/Pakistani Currency and 436 cartridges of AK-47 series were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Dilbag Singh, Deputy Supdt. of Police and Ravinder Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 28-2-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 61-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Raj Kishan Bedi
Supdt. of Police (Detective)
Jalandhar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 30-5-1990, Shri R. K. Bedi, Supdt. of Police (Detective), Jalandhar received information that a group of terrorists are hiding in the house of one Surjit Singh, village Nizamdinpur. At about 1.45 PM, Shri Bedi formed a raiding party to cordon the house of Surjit Singh and he went towards the entrance of the house alongwith his gunmen. Without challenge the extremists hiding in the house started indiscriminate fire towards Shri Bedi and his party. They at once took positions and returned the fire in self dfeence. In the process of cross firing, one Constable of CIA Staff, Jalandhar received bullet injury. In the firing the Police parties used Service Revolvers, SLRs, .303 Rifles, LMGs and Hand grenades. the exchange of firing continued upto 4.30 PM. When the firing from inside the house stopped, Shri Bedi, who gallantly chased the terrorists ultimately decided to make a bold advance towards the house and he without caring for his personal safety, reached near the room by crawling where the extremists were hiding. He broke open the door of the house and found that two terrorists were lying dead due to bullet injuries inside the room. The dead extremists were later identified as Avtar Singh alias Balli and Jasbir Singh alias Sodhi. On search three AK-47 Rifles, 5 Magazines and large quantity of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri R. K. Bedi, Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 30-5-1990.

G. B. PRADHAN
Director

No. 62-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name of Officer Recommended :

Shri Ishwar Chander,
Senior Supdt. of Police,
Barnala.

Shri Harnek Singh,
Deputy Supdt. of Police,
P. S. Tappa.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 14-10-1992, under the supervision of Shri Ishwar Chander, Senior Supdt. of Police Barnala and Shri Harnek Singh Deputy Supdt. of Police, Sub-division Tappa, a search in the areas of villages Tajoke and Pakhoke Kalan was organised. At about 12.30 PM while the search parties were conducting search of tubewells installed in the Cotton fields in the area of village Pakhoke Kalan, suddenly four extremists started indiscriminate firing on the police personnel. The police party challenged the extremists to surrender but the extremists ignored the warning and continued firing on the police parties. The police parties also returned the fire in self defence. The extremists then started running while hiding themselves in the cotton fields. Shri Ishwar Chander alongwith other police personnel way-laid the extremists from front side and fired at the terrorists. Shri Ishwar Chander then directed Shri Harnek Singh and his party to cordon the fields, where the extremists were hiding. Shri Ishwar Chander alongwith other police personnel started advancing towards the extremists, while firing from their respective weapons without caring for their personal safety. Thereafter, Bullet-proof Tractors/Canters were pressed into srevice. Shri Ishwar Chander and Shri Harnek Singh crawled towards the position from where the extremists were firing on the Police personnel and fired several rounds from their firing on the extremists. The exchange of fire continued from both sides for about three hours. Thereafter, firing from the extremists side stoped. During search three dead bodies of extremists were found, who were identified as Naib Singh alias Naiba alias Doctor (a self styled Lt. Genl. of KCF, Pany war—carrying a reward of Rs. 5 lakhs), Ghoga Singh and Haramanjit Singh. They were involved in large number of killings of innocent persons, robberies extortions, ransom and dacoities etc. One AK-56 Rifle, one Mouser, one .32 bore Revolver and large quantity of ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Ishwar Chander, Sr. Supdt. of Police, and Harnek Singh, Dy. Supdt. of Police, displayed conspicuous galantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 14-10-192.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 63-Pers/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Hardial Singh,
Deputy Supdt. of Police,
Headquarters,
Gurdaspur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 26-6-1993, Shri Hardial Singh, Deputy Supdt. of Police, Headquarters, Gurdaspur received information that some terrorists were trying to infiltrate Gurdaspur to commit some heinous crimes. He immediately directed SHO : P. S. City, Gurdaspur to lay naka on the Dorangla Road. At about 11.00 PM two persons were noticed coming towards the naka party. They were signalled to stop and disclose their identity, instead, they opened fire at the Police party and fled towards the fields. Shri Hardial Singh alongwith force arrived at the place of encouter and took command of the operation. Extremists kept on firing heavily from inside the dense tree-grove. After taking position and plugging the possible escape routes, Shri Singh challenged the terrorist to surrender but they continued firing on the police party. In the meantime the terrorists lobbed a hand-grenade on the police party but before the grenade exploded, Shri Singh immediately picked up the grenade and threw it back on the terrorists, which exploded on the other side, thus he saved the lives of his party members. Thereafter Shri Singh alongwith other police personnel advanced towards the hide-out under covering fire in search of the terrorists. The terrorist fired on the police party and starter running. Shri Singh and his party without caring for their personal lives, fired on the running terrorists. As a result one of the terrorist was hit by the bullets and fell on the ground, who was later identified as Tarlok Singh, Deputy Chief of Babbar Khalsa International. The other terrorist managed to escape under the cover of darkness and dense trees. The dead terrorist was involved in large number of bomb-blasts, kidnappings and killings. During search, one AK-47 Assault Rifle, one .303 Rifle and one .12 bore gun alongwith huge quantity of ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Hardial Singh, DSP, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 26-6-1993.

G. B PRADHAN
Director

No. 64-Pres/96.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Punjab Police :—

Name and rank of the officers

Shri Khubi Ram,
Supdt. of Police,
Operations,
Tarn Taran. 4th Bar

Shri Gurmit Singh,
Deputy Supdt. of Police,
Detective,
Tarn Taran. 1st Bar

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 27-2-1993 special search operations were carried out by police parties headed by Shri Ajit Singh, in PS Sadar & City Tarn Taran to locate a terrorist. On seeing the police, a suspected person tried to escape from a farm-house. Immediately, the farm-house was cordoned and on questioning, the inmates revealed that the fleeing person was Gurbachan Singh Manochahal.

Thereafter, Shri Ajit Singh, SSP, Tarn Taran with the help of his officers, CRPF personnel and Raj Rifles laid night ambushes in the areas of possible hide-outs of Gurbachan Singh Manochahal. The next day morning (28-2-1993), the police parties headed by Shri Khubi Ram, SP (Operations), Shri Gurmit Singh, Dy. S.P. (Detective), Shri Dilbag Singh, Dy. S.P. (City) Tarn Taran and Dy. S.P., Bhikhiwind were formed and search operations were undertaken under the overall supervision of Shri Ajit Singh. When Shri Dilbag Singh alongwith his party reached near the farm-house of the one Sukhdev Singh, one middle aged Sikh terrorist armed with automatic weapons came out and started firing on police personnel and ran away. Immediately, messages were flashed to other search parties. The parties on reaching the spot laid cordon. While Shri Gurmit Singh & party covered the terrorist from one side, Shri Khubi Ram & party moved through the water channel & wheat crop and covered on the other side and opened heavy firing to enable Shri Gurmit Singh to lay cordon. Shri Dilbag Singh managed to reach at a suitable position near the terrorist and returned the fire. In the meantime, Shri Ajit Singh directed Constable Ravinder Singh to make holes on the wall to cover the movements of the terrorist which he did at the risk of his life. The terrorist changed his position and resorted to intermittant firing at the police parties. Shri Ajit Singh and party opened fire towards the terrorist through the holes. As a result of effective firing the terrorist was killed on the spot. The dead terrorist was later identified as Gurbachan Singh Manochahal who was responsible for killing a number of innocent persons, extortions and other heinous crimes. During search one GPMG Rifle, one AK-74 Rifle, one 9mm Mouser with 70 cartridges, 50 Kgs explosive material, two Drum Magazines, Indian/Pakistani Currency and 436 cartridges of AK-47 series were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Khubi Ram, Supdt. of Police and Gurmit Singh, Deputy Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5 with effect from 28-2-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 65-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Manipur Police :—

Name and rank of the officers

Shri Y. Sushil Kumar Singh
Sub Inspector of Police
Imphal District Police.

Shri Md. Iqbal Khan
Constable
Imphal District Police.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 3rd August, 1994 at about 6.45 p.m., after receiving information from the Control Room, S.I. Y. Sushil Kumar Singh alongwith his party consisting of Constable Md. Iqbal Khan and five other Constables set out to nab the fleeing extremists responsible in ambushing a police party. The Police party parked their vehicles in a village and moved by foot. After covering a distance of about 1 K.M., the Police party heard some sounds ahead of them. The police party stopped for a while to identify the persons walking ahead of them. Thereupon the armed extremists fired upon the police party injuring the party Commander and Constable Md. Iqbal Khan. Despite receiving the bullet injury, Shri Y. Sushil Kumar Singh took cover in a nallah and fired towards the extremists and also directed his party members to continue firing on the extremists. Constable Md. Iqbal Khan without caring for his injuries, opened fire from his AK-47 Rifle. The firing by the police party compelled the extremist to retreat. During search one of the extremists was found killed who was later identified as Thounaojam Somoijet Singh @ Naoton. Two magazines of SLR loaded with 38 rounds of ammunition were recovered from the spot.

In this encounter S/Shri Y. Sushil Kumar Singh, SI and Md. Iqbal Khan, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 3-8-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 66-Pres/96.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Maharashtra Police :—

Name and rank of the officers

Shri S. S. Walishetty,
Inspector of Police,
Greater Bombay. 2nd Bar

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 27-5-1994 at about 12.55 hours, Shri S. S. Walishetty of DCB, CID, Greater Bombay alongwith two others was going in the jeep to Main Office at Crawford Market. Near Sant Nirankari Bhavan, he noticed that people were running helter-skelter and shopkeepers were putting down the shutters of their shops. At some distance, a Blue Maruti Car had blocked the road causing traffic jam. He noticed one Ambassador Car taking sharp 'U' turn and speeding towards Chamber Camp side. One of the occupants in the car was holding a revolver in his hand. Suspecting some foul play, Shri Walishetty directed the driver to chase the car. Inspite of siren, the car did not stop. Ultimately the driver succeeded in overtaking the car and intercepted it. Immediately Shri Walishetty jumped out of the jeep, disclosed his identity and warned the culprits to surrender. As the car stopped the culprits got down and started running. One of them was carrying a suit case on his head and was running ahead. Shri Walishetty and others chased the culprits. The person, who was carrying a revolver shouted that he would kill him and fired in the direction of Shri Walishetty. Shri Walishetty fired one round from his service revolver, the bullet hit the criminal and he fell down. He disarmed the criminal and took him in custody and handed him to his driver for chasing the other criminals. One country-made revolver with two live rounds were recovered from the criminal. He then chased the other accused, who was engaged by his colleagues. Shri Walishetty fired one shot at the accused but the short mis-fired and the accused managed to escape. The arrested criminal was involved in 13 cases of dacoities, robberies and attempt to murder.

In this encounter Shri S. S. Walishetty, Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 27-5-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 67-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officers

Shri Mukesh Gupta,
Supdt. of Police,
Balaghat.

Shri Banjari Lal, (Posthumous)
Constable,
8th Bn., S.A.F.,
Chhindwara.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 3-5-1994 at about 11.30 A.M., Shri Mukesh Gupta, Supdt. of Police, Balaghat received information that a gang of naxalites was camping in a jungle in District Balaghat. Two parties one each headed by Shri Mukesh Gupta and Shri Prem Babu Sharma started searching the area. Both the parties quietly reached the hill-top and started closing in towards the hide-out. When they were about to complete the siege, the naxalites noted the movement of police personnel and opened heavy fire on the police parties with automatic weapons and also lobbed hand-grenades. The police personnel retaliated in self defence. A fierce exchange of fire continued for about 45 minutes. While firing was going-on, two naxalites ran towards the nearby nallah in a bid to escape. On seeing this Shri Mukesh Gupta moved ahead with his AK-47 Rifle and closely followed by constable Banjari Lal. Without caring for their lives, both advanced towards the militants while firing on them. In the process one bullet hit Shri Banjarilal but he continued firing on the naxalites. Thereafter again Shri Gupta and Constable Banjarilal brought heavy fire on the naxalites and killed two of them.

In the meanwhile the other party headed by Shri Prem Babu Sharma also came under heavy fire. As the party of Shri Sharma was in a vulnerable position, the naxalites became more offensive and started throwing hand-grenades towards them. Sensing that his party was in danger, Shri Sharma without caring for his personal safety, left his position and fired heavily on the naxalites with his AK-47 Rifle and pinned them down. On seeing this, Shri Shekhra Nand also came out from his safe position and crossed over to the other side of the hillock, fired on the naxalites and blocked their escape. Also he threw hand-grenades on the naxalites. Both the officers continuously fired on the naxalites and killed both of them. However, other naxalites managed to escape in the jungle. During search one AK-47 Rifle with three magazines, one .303 bore Rifle, one .12 bore Double Barrel Gun, one .12 bore Single Barrel Gun, Land-Mine Charger and large number of hand-grenades were recovered from the dead naxalites. Due to excessive bleeding, Constable Banjarilal died on the spot.

In this encounter Shri Mukesh Gupta, Supdt. of Police and (Late) Shri Banjari Lal, Constable, displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and conseqently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 3-5-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 68-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of the officers

Shri R. K. Gupta,
Addl. Supdt. of Police,
Jabalpur.

Shri Hardas Bairagi,
City Supdt. of Police,
Jabalpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 26-9-1994, Supdt. of Police, Jabalpur received information that some terrorists shot dead one Sub-Inspector of Police and another citizen at Pal Chowk. The S.P. sounded red alert and reached the spot. Thereafter, he came to know that the terrorists, after the shoot-out ran towards the hilly area.

The police parties covered most of the escape routes. Two parties were sent to check the hill areas, one each under the leadership of Shri R. K. Gupta, Addl. SP and Shri Hardas Bairagi, City Supdt. of Police. As these parties approached the hide out from two sides, the terrorists spotted them and opened fire with automatic weapons. Both the parties returned the fire in self defence. Shri Gupta then warned the terrorists to surrender but they started indiscriminate firing. Shri Gupta and Shri Bairagi occupied two vantage points and Constable Santosh Singh took position at the third vantage point. They all fired heavily on the terrorists. Shri Gupta fired two rounds from his LMG. As a result of heavy firing, one of the terrorists tried to escape. But Shri Gupta fired at the terrorist and one bullet hit his left hand. After a brief encounter with Constable Santosh Singh, the terrorist was hit by a bullet on the left side of his chest. Simultaneously, Shri Bairagi fired at the injured terrorist and killed him. However the second terrorist managed to escape under the cover of hilly terrain.

In the meantime, the third terrorist was apprehended by one of the cordon parties. The dead terrorist was later identified as Gurmel Singh, a dreaded terrorist of KCF Group of Punjab. During search one AK-56 Rifle alongwith live/empty cartridges were recovered from the dead terrorist.

Constable Santosh Singh, who also took active part in the encounter has been granted out-of-turn promotion.

In this encounter S/Shri R. K. Gupta, Addl. SP., and Hardas Bairagi, City Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These award are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 26-9-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 69-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police :—

Name and rank of Officer

Shri Prem Babu Sharma,
Deputy Supdt. of Police,
Balaghat.

Shri Shekhra Nand
Platoon Commander,
8th Battalion, S.A.F.,
Chhindwara.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 3-5-1994 at about 11.30 AM, Shri Mukesh Gupta, Supdt. of Police, Balaghat received information that a gang of naxalites was camping in a jungle in District Balaghat. Two parties one each headed by Shri Mukesh Gupta and Shri Prem Babu Sharma started searching the area. Both the parties quietly reached the hill-top and started closing in towards the hide-out. When they were about to complete the siege, the naxalites noted the movement of police personnel and opened heavy fire on the police parties with automatic weapons and also lobbed hand-grenades. The police personnel retaliated in self defence. A fierce exchange of fire continued for about 45 minutes. While firing was going-on, two naxalites ran towards the nearby nallah in a bid to escape. On seeing this Shri

Mukesh Gupta moved ahead with his AK-47 Rifle and closely followed by constable Banjari Lal. Without caring for their lives, both advanced towards the militants while firing on them. In the process one bullet hit Shri Banjarilal but he continued firing on the naxalites. Thereafter again Shri Gupta and Constable Banjarilal brought heavy fire on the naxalites and killed two of them.

In the meanwhile, the other party headed by Shri Prem Babu Sharma also came under heavy fire. As the party of Shri Sharma was in a vulnerable position, the naxalites became more offensive and started throwing hand-grenades towards them. Sensing that his party was in danger, Shri Sharma without caring for his personal safety, left his position and fired heavily on the naxalites with his AK-47 Rifle and pinned them down. On seeing this, Shri Shekhra Nand also came out from his safe position and crossed over to the other side of the hillock, fired on the naxalites and blocked their escape. Also he threw hand-grenades on the naxalites. Both the officers continuosly fired on the naxalites and killed both of them. However, other naxalites managed to escape in the jungle. During search one AK-47 Rifle with three magazines, one .303 bore Rifle, one .12 bore Double Barrel Gun, one .12 bore Single Barrel Gun, Land-Mine Charger and large number of hand-grenades were recovered from the dead naxalites. Due to excessive bleeding, Constable Banjarilal died on the spot.

In this encounter S/Shri P. B. Sharma, Dy. Supdt. of Police and Shekhra Nand, Pl. Comndr.. displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 3-5-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 70-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Jammu & Kashmir Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICERS

Shri Mohd. Rafiq Khan
Asstt. Sub Inspector of Police
District Poonch

Shri Mohammad Saleem Khan
Sg. Constable
District Poonch

Shri Bashir Ahmad
Constable
District Poonch

Shri Mehar Singh
Constable
District Poonch

Shri Bharat Singh
Constable
District Poonch

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On Sept. 20, 1994, after receiving information about the presence of some militants at Bhata Demian Mendhar, ASI Mohd. Rafiq Khan alongwith Sg. Constable Mohd. Salim Khan, Constable Bashir Ahmed, Constable Mehar Singh and Constable Bharat Singh set out for the place to flush them out. After reaching the hide out, the police party asked them to surrender. Instead of surrendering, the militants opened fire and lobbed hand grenades on them, the police party also retaliated and the exchange of fire between the police party and militants lasted for about two hours. The police party headed by ASI Khan ultimately killed the two militants. The following arms and ammunition alongwith other indiscriminate material were seized from their possession :—

(i) Rocket launcher with rocket fitted fire—5 nos.

(ii) AK-56 Rifles—3 nos.

(iii) Pistol 9 mm China made—2 nos.

(iv) Hand Grenades—4 nos.

(v) Pistol cartridges—30 nos.

(vi) AK 56 cartridges—200 nos.

In this encounter S/Shri Mohd. Rafiq Khan, ASI, Mohd. Saleem Khan, Constable, Bashir Ahmad, Constable, Mehar Singh, and Bharat Singh, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Presidents Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 20-9-1994.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 71-Pres/96.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Jammu & Kashmir Police :—

NAME ANR RANK OF THE OFFICER

(Posthumous)

Shri Abdul Rashid Mir.
Constable. No. 434/CR
Kashmir.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 28 February, 1995, 2 Grenadiers, Northern Command, launched specific search operation in village Bandagam to flush out the dreaded Hizabul Mujahideen militants. To make the search operation a success, Constable Mir volunteered himself to guide the security forces to the hide out of militants. He personally deployed the search party and laid such an effective dragnet giving no chance of slippage to the militants. During the raid, two militants tried to escape but were killed by the search party. In the meantime, Constable Mir spotted another militant in the hide out and asked him to surrender. Since no response was forthcoming, Constable Mir without regard for his personal safety rushed forward to snatch the rifle of the militant. Taking advantage of the position the militant opened fire and severely wounded the policeman, who later on succumbed to his injuries. In this operation, the Army apprehended 18 ultras and recovered one A. K. Rifle, 3 magazines and 67 rounds.

In this encounter (Late) Shri A. R. Mir, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 28-2-1995.

G. B. PRADHAN
Director.

No. 72-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Gujarat Police :—

NAME AND RANK OF OFFICERS

Shri R. H. Hadia,
Sub Inspector of Police,
Surat City.

Shri J. K. Patel,
Head Constable.
Surat City.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 30th November, 1994, S. I. Hadia and H. C. Patel after investigation of a murder case were travelling back in First Class Coach of Patna-Puri Express. At mid night, six armed robbers entered the compartment and pounced on the passengers and started demanding money, ornaments and other valuables. S/Shri Ishwar Dayal Singh and Rampal Singh both freedom fighters who were travelling in the same compartment were also attacked. The robbers threatened to kill them if they did not hand over their belongings to them.

On being challenged by the Police personnel, one of the dacoits caught Shri Hadia by his collar and put a razor on his throat while Shri Patel grappled with others. To save himself from the razor attack, Shri Hadia took out his service revolver and hit one of the dacoits. In the retaliation Shri Hadia received razor cut injuries on his face. The robbers got scared and ran out of the compartment. Two of them ran towards the bathroom and the other jumped out from the running train. S/Shri Hadia and Patel chased them and locked two desparadoes inside the bathroom without caring for their threatening warnings. Finally when the train stopped at Asansol Railway Station, the local Railway Police arrested the miscreants inside the bathroom. Subsequently, the remaining accused were arrested while one died by jumping out of the train. All the accused persons were wanted in many serious offences.

In this encounter S/Shri R. H. Hadia, Sub-Inspector and J. K. Patel, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5 with effect from 30-11-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 73-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Bihar Police :—

NAME AND RANK OF OFFICERS

Shri S. B. Sharma
Inspector of Police,
Hajipur Police Station.

Shri D. S. Rai,
Sub Inspector of Police
Hajipur Police Station.

J. U. Khan,
Havildar,
Hajipur Police Station.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 8th July, 1994 around 4.00 p.m., Shri Sharma, Inspector received information about the presence of some armed criminals in Chauhatta locality. Shri Sharma immediately organised a raiding party headed by himself and located the hide-out. A person who stood in front of the house fired two rounds from his revolver at the police party. To flush out the hiding criminals, Shri Sharma alongwith Daya Shankar Rai, SI, Hav. Jalal Uddin Khan and Constable Chaurasia entered the house and directed the remaining force to seal all the exist routes, but the criminals managed to escape in a thick orchard. On being chased the criminals took position in the orchard and started heavy firing on the police party. In the course of firing, Shri Sharma received bullet injuries in the right elbow but even then he fired two rounds from his service revolver. In the mean while, S.I. Rai was hit in the right leg, he however fired two rounds from his service revolver. Finding no way out, Shri Sharma ordered his party members to return the fire. S.I. Rai, Havildar Khan and others fired on the criminals. At the end, four dead bodies alongwith two revolvers and cartridges were recovered from the place of encounter. Out of four dead criminals, two were identified as Deo Chandra Jha and Raj Nandan Singh wanted in several cases of bank dacoities, murders and robberies.

In this encounter S/Shri S. B. Sharma, Inspector, D. S. Rai, Sub-Inspector and J. U. Khan, Havildar, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible undner rule 5, with effect from 8-7-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 74-Pres/96.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of the Delhi Police :—

NAME AND RANK OF OFFICERS

Shri Rajinder Singh,
Sub Inspector of Police,
DELHI POLICE.

Shri Om Prakash,
Head Constable,
DELHI POLICE.

Shri Bijender Singh,
Constable,
DELHI POLICE.

Shri Dinesh Kumar,
Constable,
DELHI POLICE.

Shri Prem Chand,
Constable,
DELHI POLICE.

Shri Hari Bhushan,
Constable,
DELHI POLICE.

Shri Sumer Singh,
Constable,
DELHI POLICE.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15-9-94 information was received that Brij Mohan Tyagi alongwith his associates would be visiting Delhi University Campus to create terror amongst the students. An 11 member team headed by Shri L. N. Rao, Inspr. and consisting of S/Shri Rajinder Singh, SI, Om Prakash, HC Prem Chand, Hari Bhushan, Bijender Singh, Dinesh Kumar and Sumer Singh, Constables left in four vehicles after proper briefing. The police parties went in private vehicles fitted with wireless sets. At about 1.15 p.m. a Maruti Car was seen crushing near Khalsa College. Shri Rao suspecting the person sitting on the front seat beside the driver as Brij Mohan, trailed the vehicle. The suspected Maruti car jumped all the red lights and Shri Rao fearing loss of trail directed SI Rajender Singh in a Gypsy alongwith HC Om Prakash and Const. Hari Bhushan to intercept the Maruti. Accordingly Const. Hari Bhushan driving the car, overtook the Maruti and blocked its way and forced it to stop. Immediately SI Rajender Singh, HC Om Prakash took position to prevent escape of suspects and then challenged them to come out. In the meantime Shri Rao, Inspr., alongwith Const. Bijender Singh and Sumer Singh dashed into the rear of the suspected car, surrounded the car and commanded the occupants to come out. At this, the criminals started indiscriminate firing on the police parties causing injuries to S/Shri Rao, Const. Bijender Singh and another HC and three public persons. Shri Rao despite bullet injuries on his left wrist fired at the criminals. Shri Bijender Singh continued to engage the desperadoes and fired several rounds. Costable Sumer Singh gave proper cover to the injured Shri Rao and assisted him, while Const. Dinesh Kumar covered Const., Bijender Singh who were badly injured. At this moment another bullet hit Shri Rao in the abdomen, inspite of this, he led his teams in the encounter. S.I. Rajender Singh, HC Om Prakash, Const. Hari Bhushan and Prem Chand engaged the criminals from the left side as well as the front side. After about 10 minutes, the firing from the car stopped. On checking the car, two persons were found injured who were immediately rushed to hospital alongwith the injured police personnel and public. The injured criminals are identified as Brij Mohan Tyagi and Anil Malhotra who were declared brought dead. One .9 mm imported pistol and one .32 bore Webley Revolver were recovered alongwith live cartridges from the dead.

Shri L. N. Rao, Inspector was operated upon and remained in ICU in critical condition while Shri Om Prakash and Shri Bijender Singh were also operated upon and bullets removed.

In this encounter S/Shri Rajinder Singh, Sub Inspector of Police, Om Prakash, Head Constable, Bijender Singh, Constable, Dinesh Kumar, Constable, Prem Chand, Constable Hari Bhushan, Constable, Sumer Singh Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules govering the award of Police Medal and consequently carries with it the supecial allowance admissible under rule 5, with effect from 15-9-1994.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 75-Press/96.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Delhi Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Laxmi Narain Rao,
Inspector of Police,
Delhi Police. 1st Bar

Statement of service for which the decoration has been awarded

On 15-9-94 information was received that Brij Mohan Tyagi alongwith his associates would be visiting Delhi University Campus to create terror amongst the students. An 11 member team headed by Shri L. N. Rao, Insepctor and consisting of S/Shri Rajinder Singh, SI, Om Prakash, HC, Prem Chand, Hari Bhushan, Bijender Singh, Dinesh Kumar and Sumer Singh, Constable left in four vehicles after proper briefing. The police parties went in private vehicles fitted with wireless sets. At about 1.15 p.m. a Maruti Car was seen cruising near Khalsa College. Shri Rao suspecting the person siting on the fron seat beside the driver as Brij Mohan, trailed the vehicle. The suspected Maruti car jumped all the red lights and Shri Rao fearing loss of trail directed SI Rajinder Singh in a Gypsy alongwith HC Om Prakash and Const. Hari Bhushan to intercept the Maruti. Accordingly Const. Hari Bhushan driving the car, overtook the Maruti and blocked its way and forced it to stop. Immediately SI Rajinder Singh, HC Om Prakash took position to prevent escape of suspects, and then challenged them to come out. In the meantime Shri Rao, Inspr., alongwith Const. Bijender Singh and Sumer Singh dashed into the rear the suspected car, surrounded the car and commanded the occupants to come out. At this, the criminals started indiscriminate firing on the police parties causing injuries to S/Shri Rao, Const. Bijender Singh and another HC and three public persons. Shri Rao despite bullet injuries on his laft wrist fired at the criminals. Shri Bijender Singh continued to engage the desperadoes and fired several rounds. Constable Sumer Singh gave proper cover to the injured Shri Rao and assisted him, while Const. Dinesh Kumar covered Const, Bijender Singh who were badly injured . At this moment another bullet hit Shri Rao in the abdomen, inspite of this, he led his team in the encounter. S. I. Rajender Singh, HC Om Prakash Const. Hari Bhushan and Prem Chand engaged the criminals from the left side as well as the front side. After about 10 minutes, the firing from the car stopped. On checking the car, two persons were found injured who were immediately rushed to hospital alongwith the injured police personnel and public. The injured criminals are identified as Brij Mohan Tyagi and Anil Malhotra who were declared brought dead. One .9 mm imported pistol and one .32 bore webley Revolver were recovered alongwith live catridges from the dead.

Shri L. N. Rao, Inspector was operated upon and remained in ICU in critical condition while Shri Om Prakash and Shri Bijender Singh were also operated upon and bullets removed.

In this encounter Shri Laxmi Narain Rao, Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5. with effect from 15-9-1994.

G. B. PRADHAN,
Director

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1996.